खण्ड-109, अंक-4
बुधवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(17 सितम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 109 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों कि सूची (३२१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ़ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री

जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री

महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ा, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, हाफ़िज़ श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मञ्ज़रुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवलक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुदल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

—:o:—

सदस्य का शपथ-ग्रहण करना

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ ग्रहण की—

श्री संग्राम सिंह ।

प्रश्नोत्तर

(१० सितम्बर, १९५२, के अन्न मंत्री के स्थगित प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २९७-२९८ पर]

आगरा जिले के लिये साफ्ट कोक का कोटा

*४--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या अन्नमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ ई० की प्रथम तिमाही में आगरा जिले को साफ्ट कोक का कोई विशेष कोटा दिया गया था ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जी नहीं, सन् १९५२ ई० की प्रथम तिमाही में आगरा जिले को साफ्ट कोक का कोई विशेष कोटा नहीं दिया गया। परन्तु द्वितीय तिमाही के जिले के कोटे में १० वैगन की वृद्धि प्रान्तीय नियंत्रक द्वारा की गई है।

*५--श्री रमेश वर्मा--इस कोटे का वितरण किस प्रकार किया गया ?

श्री बनारसी दास--जिलाधीश ने इस १० वैगन की वृद्धि को उन सात डिपो होल्डर्स में वितरित कर दिया, जिनका कोटा पहिले शरणार्थी तथा राजनैतिक पीड़ितों को कोटा देने के लिये रद्द कर दिया गया था। इन सात डीपो होल्डर्स की सूची "क" सम्बद्ध है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५७ पर)

*६--श्री रमेश वर्मा--क्या कोटा प्राप्त करने वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन पर चोर बाजारी के मामले चल रहे हैं या जिनको इस विषय की चेतावनी दी जा चुकी है ?

श्री बनारसी दास--जी हां, इन सात कोटा होल्डर्स में से एक (सर्वश्री सूरजभान एंड कम्पनी) के विरुद्ध इस समय अदालत में चोर बाजारी का मुकद्दमा चल रहा है तथा कुछ को इस विषय में चेतावनी भी दी गई है। जिनके विरुद्ध शिकायतें थीं उनका कोटा जिलाधीश ने रद्द कर दिया है और उनके स्थान पर अन्य उपयुक्त लोगों को यह १० वैगन कोटा देने के लिये प्रान्तीय नियंत्रक को सिफारिश कर दी है जिनकी सूची "ख" सम्बद्ध है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५८ पर)

श्री रमेश वर्मा--अन्न मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों का कोटा मंसूख करने का जिक्र है उनका कोटा स्वीकार करने के कितने समय बाद तथा कब इनका कोटा मंसूख किया गया ?

श्री बनारसी दास--मार्च, सन् १९५२ में इस कोटे की वृद्धि की सूचना मिली थी, उसी समय जिलाधीश ने उनका नाम शामिल किया लेकिन जिस समय डिस्पलेस्ड परसन और पोलिटिकल सफरर की शिकायतें मिलीं तब मई के महीने में उनका नाम सूची से पृथक करने के लिये स्टील कंट्रोलर को लिख दिया गया है।

श्री रमेश वर्मा--प्रश्न नम्बर ६ में जिन "उपयुक्त लोगों" का जिक्र है, क्या उनमें राजनीतिक पीड़ित और शरणार्थी भी शामिल हैं ?

श्री बनारसी दास--आगरा जिले के अन्दर कुल २६ डीपो होल्डर्स हैं जिनमें १७ राजनीतिक और डिस्पलेस्ड परसंस हैं। इसलिये व्यक्तिगत तो मेरे लिये कहना कठिन है कि इनमें से कौन राजनीतिक तथा डिस्पलेस्ड परसंस हैं।

श्री रमेश वर्मा--तो क्या यह सही है कि जिस समय इन ७ डीपो होल्डर्स को कोटा दिया गया उस वक्त उपयुक्त शरणार्थी और राजनीतिक पीड़ितों को कोटा देने का मामला विचाराधीन था?

श्री बनारसी दास--जी नहीं, जैसा कि पहले ही बतलाया गया कि यह ७ वह व्यक्ति थे जिनका कोटा काट करके डिस्पलेस्ड परसंस और राजनीतिक पीड़ितों को दिया गया था, इसलिये उस समय उसपर विचार का कोई प्रश्न ही नहीं था और यह १० वैगन तो अतिरिक्त कोटे का था। १०२ वैगन का जो विस्त्रित कोटा था उसमें सभी शामिल थे।

* * * *

जलाने की लकड़ी पर नियंत्रण

*११--**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने और कौन कौन से जिले हैं जिनमें जलाने की लकड़ी पर कंट्रोल लगा हुआ है?

श्री बनारसी दास--नियंत्रित लकड़ी की योजना किसी पूरे जिले में लागू नहीं है। इस समय यह योजना प्रदेश के निम्नलिखित केवल २४ नगरों में लागू है--

१. मुरादाबाद,
२. शाहजहांपुर,
३. लखनऊ,
४. कानपुर,
५. फैजाबाद,
६. बनारस,
७. आजमगढ़,
८. जौनपुर,
९. आगरा,
१०. मथुरा,
११. इलाहाबाद,
१२. विन्द्राबन,
१३. मेरठ,
१४. हापुड़,
१५. अलीगढ़,
१६. हाथरस,
१७. गोरखपुर,
१८. बहराइच,
१९. बदायूं,
२०. लखीमपुर,
२१. बांदा,
२२. बिजनौर,
२३. मुजफ्फरनगर,
२४. बुलन्दशहर।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कंट्रोल की लकड़ी बेचने के लिये एक जिले में कितने होलसेल डीलर्स नियुक्त किये जाते हैं और किन शर्तों के आधार पर?

श्री बनारसी दास--इसके लिये कोई संख्या निश्चित नहीं है। जैसी वहां आवश्यकता होती है, जिला मैजिस्ट्रेट की सिफारिश के बाद वहां पर इम्पोर्टर्स मुकर्रर किये जाते हैं।

सीमेंट और लोहा पर से कण्ट्रोल हटाने में सरकार की नीति

*१२--**श्री हरदयाल सिंह पिपल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सीमेंट और लोहा से कंट्रोल हटाने के लिये केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करने के लिये विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास--जी नहीं। ऐसा कोई विचार प्रदेशीय सरकार नहीं कर रही है।

* * * *

राज्य में नेत्र-चिकित्सा का प्रबंध

*१४---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)---क्या स्वास्थय मंत्री महोदय बतावेंगे कि प्रदेश में आंखों की बीमारी के रोक थाम और चिकित्सा के लिये सरकार ने क्या विशेष व्यवस्था की है ?

श्री बनारसी दास---प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में जहां साधारण बीमारियों की चिकित्सा होती है वहीं नेत्र चिकित्सा की भी व्यवस्था है। मेडिकल कालिज, लखनऊ तथा आगरा में ऊंचे स्तर की विशेषज्ञों द्वारा नेत्र चिकित्सा की जाती है। इलाहाबाद में मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय नाम का सरकारी अस्पताल केवल नेत्र चिकित्सा ही करता है। इसमें २४ शैय्या हैं। गांधी नेत्र चिकित्सालय, अलीगढ़ तथा नेत्र चिकित्सालय जो सारे प्रदेश में विख्यात है सरकार से ४०,००० रुपये वार्षिक और समय समय पर अनावर्तक अनुदान पाते हैं। अत्यन्त सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जून, १९५१ से नेत्र चिकित्सालय की सुविधा के लिये एक वृहत योजना चालू है इस योजना के अनुसार प्रदेश को दो बड़े क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है और दो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। छोटे छोटे नेत्र चिकित्सालय भी खोले गये हैं। इस क्षेत्र योजना में जाड़ों में उचित ग्रामों, कस्बों और शहरों में कैम्प होते हैं जिनमें गरीब अमीर सब का इलाज मुफ्त होता है। कुछ मोबाइल आई हास्पिटल भी हैं और कहीं कहीं इनका कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिये जिलों में डिस्ट्रिक्ट आई रिलीफ सोसाइटीज जिलाधीशों के सभापतित्व में बन रही हैं और बहुत जगह बन गई हैं। यह योजना तीन वर्ष के लिये चलाई गई है। इस साल अभी प्रान्त के प्रमुख नेत्र चिकित्सकों की एक कांफ्रेंस हुई थी जिनके सुझाव इस योजना में उचित संशोधन करने का विचार है ताकि इस योजना में यथा संभव प्रान्त के सभी नेत्र चिकित्सक जिनमें सेवा की भावना है भाग ले सकें।

*१५---**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**---क्या स्वास्थ्य मंत्री बतावेंगे कि देहातों में आंखों की विशेष चिकित्सा के लिये कैम्प संयोजित करने के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है और वह किस के द्वारा व्यय होगा ?

श्री बनारसी दास---प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में आंखों की विशेष चिकित्सा के लिये कैम्प संयोजित करने के लिये और मोबाइल हास्पिटल चलाने के लिये संचालक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के पास प्रति वर्ष ५०,००० रुपये की रकम रहती है। इस धनराशि में से २०,००० पूर्वी जिलों के वास्ते है, इस योजना के अन्तर्गत सिविल सर्जनों, गैरसरकारी अस्पतालों तथा नेत्र सेवक संघ इत्यादि संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो काम देहात में आर्गेनाइज किया जाता है उसे कुछ सहायता सरकार की ओर से धन के रूप में मिल सकती है ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---किस के पास प्रार्थनापत्र भेजना पड़ेगा, सरकार के पास क्या ?

श्री बनारसी दास---डाइरेक्टर के पास इस प्रकार के प्रार्थनापत्र आने चाहिये।

* * * *

*२१---२२---**श्री राजा राम शर्मा** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २९९ पर]

* * * *

एरछ (झांसी) के अस्पताल की इमारत बनवाने में व्यय

*२४--श्री राम सहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि एरछ (झांसी) के अस्पताल की इमारत बनवाने में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और अभी कितना रुपया और व्यय किया जायगा ?

श्री बनारसी दास--अभी तक १५,५४१ रुपया खर्च हुआ है और ३४,००० रुपया और खर्च होगा।

श्री राम सहाय शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि डाक्टर्स और कम्पाउंडर्स के क्वार्टर्स बनाने के लिये अलग रकम रक्खी है ?

श्री बनारसी दास--यह तो तफसील की बात है। रुपये के संबंध में मैंने अभी निवेदन किया है कि कुल रकम ३४ हजार रुपये है।

*२५--श्री राम सहाय शर्मा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इस अस्पताल के बनने की अन्तिम अवधि कब तक की है ?

श्री बनारसी दास--जून, १९५३ तक समाप्त होने की आशा है।

*२६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २९९ पर]

* * * *

*२९-३०--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २९९ पर]

राजनीतिक पीड़ितों को चिकित्सा के लिए सुविधायें

*३१--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ितों को अस्पतालों में इलाज कराने के लिये क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

श्री बनारसी दास--माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में प्रेषित किये गये आज्ञापत्र को देखने की कृपा करें जो इस के साथ नत्थी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वे कौन सी सुविधायें हैं जो राजनीतिक पीड़ितों को दी जायंगी क्योंकि जो आज्ञा-पत्र...।

अध्यक्ष--यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--मैं बहस नहीं कर रहा हूं, आज्ञा पत्र जो मेरे पास आया है उसमें कोई सुविधायें नहीं दी गई हैं उसमें केवल रिकमेंडेशंस की बात है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी सुविधायें हैं जो राजनीतिक पीड़ितों को मिलेंगी ?

श्री बनारसी दास--जिस पत्र का इसमें उल्लेख किया गया है उसमें पैरा १ से ५ तक लिखा हुआ है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिये जो सुविधायें होती हैं वे सब प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त जो अस्पताल के नियमों के अनुसार सुविधायें प्राप्त नहीं हैं उन पर भी व्यय किया जा सकता है लेकिन इसके लिये डायरेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को कौन सी सुविधायें अब तक दी जा चुकी हैं ?

श्री बनारसी दास--जैसा मैंने निवेदन किया कि जिला अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा के लिये जो सुविधायें दी जाती हैं राजनीतिक पीड़ितों के लिये विशेष रूप से वे मिल सकेंगी और यदि नियमों के अनुसार कोई सुविधा प्राप्त नहीं है तो वह भी विशेष रूप से दवा, भोजन और रहने के लिये डायरेक्टर की पूर्व स्वीकृति से प्राप्त हो सकती है।

*३२--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**--क्या स्वास्थ्य मंत्री राजनीतिक पीड़ितों को वही सुविधायें देने को तैयार हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं ?

श्री बनारसी दास--सरकार समझती है कि जो सुविधायें राजनीतिक पीड़ितों को प्राप्त हैं वे पर्याप्त हैं।

लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर के प्राइवेट वार्ड्स में टट्टी और गुसलखाना अलग न होने से कठिनाई

*३३--**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**--क्या स्वास्थ्य-मंत्री लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर के प्राइवेट वार्ड्स में टट्टी, गुसलखाना अलग न होने की बात को जानते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक ऐसे वार्ड में टट्टी, गुसलखाने बनवाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री बनारसी दास--जी हां, वास्तव में लाला लाजपतराय चिकित्सालय में अभी तक प्राइवेट वार्ड धनाभाव के कारण नहीं बन सके। जनता की सुविधा के हेतु जो छोटे छोटे कमरे जनरल वार्ड के साथ लगे हुये हैं प्राइवेट वार्ड की भांति व्यवहार में लाये जाते हैं। जैसे ही वहां प्राइवेट वार्ड बन जायेंगे तो यह कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

*३४--**श्री राम लखन** (जिला बनारस)--(अनुपस्थित) [देखिए आगे पृष्ठ २९९पर]

* * * * *

जौनपुर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ विभाग के अंतर्गत सैनिटरी गैंग का काम

*३६--**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर के डि० हेल्थ विभाग में जो सैनिटरी गैंग पंचायतों में काम कर रहा है वह किस के निरीक्षण में काम कर रहा है ?

श्री बनारसी दास--जौनपुर जिले में सैनिटरी गैंग स्वास्थ्य सम्बन्धी सारे कार्य जिला हेल्थ अफसर के निरीक्षण में करते हैं और उनके कार्य की देखभाल जिले के प्लानिंग अफसर भी करते हैं। पंचायतों के कर्मचारी गैंग के कार्यों में हर प्रकार की सहायता प्लानिंग अफसर के आदेशानुसार करते हैं।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सैनिटरी गैंग कितने दिनों तक पंचायतों में काम करेगा ?

श्री बनारसी दास--फिलहाल तीन महीने तक।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनिटरी गैंग के अलावा दूसरे मजदूर देहातों में काम कर सकते हैं ?

श्री बनारसी दास---यह तो जहां तक गैंग का सवाल है दूसरे मजदूरों का स्वास्थ्य विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

बस्ती जिले के सैनिटरी गैंग में हरिजन

*३७---**श्री पुद्दन राम** (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के स्वास्थ्य विभाग में सैनिटरी गैंग की नियुक्ति कब हुई है तथा उसमें कितने कुली व कितने जमादार नियुक्त किये गये ?

श्री बनारसी दास---बस्ती जिले में सैनेटरी गैंग की नियुक्ति सन् १९४४ में की गई थी। जिले की पांचों तहसीलों में एक एक गैंग नियुक्त किया गया था और प्रत्येक गैंग में एक जमादार और चार कुली नियुक्त किये गये थे। इस प्रकार कुल पांच जमादार और २० कुली नियुक्त किये गये थे। तत्पश्चात् आर्थिक अभाव के कारण प्रत्येक गैंग में कुलियों की संख्या घटा कर ४ से १ कर दी गई। पुनः अगस्त, सन् १९५१ से कुलियों की संख्या बढ़ा कर १ से ३ कर दी गई। इस समय प्रत्येक गैंग में एक एक जमादार और ३ कुली काम कर रहे हैं।

*३८---**श्री पुद्दन राम**---क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि इस सैनिटरी गैंग में कितने कुली व जमादार हरिजन जाति के हैं?

श्री बनारसी दास---५ जमादारों में से ४ जमादार और १५ कुलियों में से ५ कुली हरिजन जाति के हैं।

श्री पुद्दन राम---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेश होते हुये भी किन कारणों से हरिजनों को नहीं रखा गया?

श्री बनारसी दास---जैसा कि अभी उत्तर दिया जा चुका है कि ६ में से ५ और १५ मे से ५ रखे गये हैं और अन्य आफिसरों को यह आदेश था कि यदि किसी को आदमियों के मिलने में कठिनाई हो तो जितने सैनिटरी गैंग में रखे जायं उनमें अन्य लोगों को भी नियुक्त किया जा सकता है।

*३९---**श्री पुद्दन राम**---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सैनिटरी गैंग की नियुक्ति के लिये कोई सरकारी आदेश जारी किया गया था कि इसमें हरिजन वर्ग के ही लोग रक्खे जायं ?

श्री बनारसी दास---जी हां, सरकारी आदेश दिया गया था कि जहां तक मिल सकें हरिजन जाति के ही लोग सैनेटरी गैंग में रखे जायें ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सैनीटरी गैंग में नियुक्ति करने वालों को क्या वेतन दिया जाता है?

श्री बनारसी दास---गैंग का वेतन एक तो वहां की म्युनिसिपैलिटी के प्रस्ताव के अनुसार है लेकिन शुरू में उनको १२ रुपया वेतन दिया जाता है।

* * * *

देहाती क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों में डाक्टरों के स्थान पर कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

*४३---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्र में कितने ऐसे राजकीय अस्पताल हैं जिनमें डाक्टर का काम कम्पाउण्डर ही करते हैं?

श्री बनारसी दास––ऐसे राजकीय अस्पतालों की संख्या आज कल ६३ है।

राजा वीरेन्द्र शाह (ज़िला जालौन)––क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जहां पर कम्पाउण्डर काम कर रहे हैं वहां का कार्य ठीक चल रहा है?

श्री बनारसी दास––यह तो आपको स्वयं ही मालूम हो सकता है कि जहां पर काम्पाउण्डर कार्य कर रहे हैं वहां पर डाक्टरों की अपेक्षा उनकी एफिसियन्सी कम होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसके पास प्रान्त में कुछ रिज़र्व डाक्टर हैं ?

श्री बनारसी दास––हमारे पास डाक्टरों की संख्या कम है अगर ज्यादा तादाद में होते या रिज़र्व में होते तो वहां पर डाक्टर नियुक्त किये जा सकते थे।

सुमेरपुर, उन्नाव के राजकीय अस्पताल में डाक्टर की आवश्यकता

*४४––**श्री देवदत्त मिश्र**––क्या सुमेरपुर उन्नाव का राजकीय अस्पताल एक कम्पाउण्डर के चार्ज में है? यदि हां, तो क्या वहां डाक्टर भेजने की व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री बनारसी दास––जी हां, वहां डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री देवदत्त मिश्र––क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अस्पताल में कम्पाउण्डर डाक्टर का कार्य कर रहा है उसको डाक्टर का वेतन दिया जाता है?

श्री बनारसी दास––जी नहीं।

श्री नेक राम शर्मा (जिला अलीगढ़)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि यह कम्पाउण्डर महोदय यहां कब से डाक्टर के पद पर कार्य कर रहे हैं?

श्री बनारसी दास––यह पहले ही प्रश्न में उत्तर दे दिया गया है कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कम्पाउण्डर काम कर रहे हैं। यहां पर यह करीब डेढ़ साल से काम कर रहे हैं।

श्री देवदत्त मिश्र––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस अस्पताल में जल्द ही डाक्टर के भेजने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री बनारसी दास––वहां के लिये जल्द से जल्द भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है।

* * * * * *

बहराइच नगर में संक्रामक रोगी शाला के निकट यान्त्रिक जलकूप का निर्माण

*४७––**श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव** (ज़िला बहराइच)––क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि बहराइच शहर में आबादी के भीतर एक सरकारी संक्रामक रोगी शाला निर्मित की जा रही है जब कि शहर के बाहर इस प्रकार की रोगीशाला मौजूद है?

श्री बनारसी दास––जी हां, जिला चिकित्सालय के निकट एक संक्रामक रोगीशाला जिसकी स्वीकृति सरकार ने १९४९ में दी थी और जो अन्य भवनों के निर्माण के साथ अस्थायी रूप से रोक दी गयी थी अब पुनः निर्मित की जा रही है,

जो जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों के संरक्षण में रहेगी। चूंकि यह शाला एक आधुनिक चिकित्सालय का एक अंग होगी, इसलिये इसके द्वारा कोई संक्रामक रोग फैलने की संभावना नहीं है। इससे १ मील की दूरी पर संक्रामक रोग चिकित्सालय है लेकिन उसमें कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण पिछले कई वर्षों से कोई रोगी चिकित्सा कराने के लिये नहीं गया है।

*४८--श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव--क्या स्वशासन मंत्री को यह पता है कि उक्त संक्रामक रोगी शाला के निकट ही शहर में पानी पहुंचाने के लिए एक यान्त्रिक जलकूप का निर्माण हो रहा है ?

श्री बनारसी दास--जी हाँ, संक्रामक रोगी शाला से ५०० फीट के अन्तर पर एक यान्त्रिक जलकूप का निर्माण हो रहा है जिसका जल अधिक दूरी होने के कारण अशुद्ध नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यान्त्रिक जलकूप के जल को शुद्ध रखने के लिये अन्य कई उपाय जलकल विभाग द्वारा किये जाते हैं जिससे उस जल के अशुद्ध होने की संभावना बिल्कुल नहीं रह जाती।

[१७, सितम्बर, १९५२ के प्रश्न]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

बुलंदशहर का सत्याग्रह

*१--श्री राजनारायण (जिला बनारस)--क्या गृह मंत्री को मालूम है कि बुलन्दशहर सत्याग्रह के सम्बन्ध में २६ अगस्त को भी गिरफ्तारियां हुई थीं ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां।

श्री राजनारायण--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २६ अगस्त को कितने सत्याग्रही गिरफ्तार हुये थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६।

श्री राजनारायण--इसके बाद भी गिरफ्तारियां आरम्भ थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२६ तारीख के बाद २७, २८, २९, ३०, ३१, १, और ३ से ९, ११, १२, १५, तथा १६ इन तारीखों को कोई सत्याग्रह नहीं हुआ।

श्री राजनारायण--क्या २७ तारीख को भी एक गिरफ्तारी नहीं हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२७ तारीख को १३ गिरफ्तारियां हुई हैं।

श्री राजनारायण--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो इस सदन में बयान दिया था वह जिला कर्मचारियों की रिपोर्ट के आधार पर था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कौन सा बयान ?

श्री राजनारायण--बुलन्दशहर के सत्याग्रह के सिलसले में कहा था कि २६, २७ तारीख को गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने २५ तारीख की बाबत कहा था उस समय २६ तारीख की कोई सचना नहीं थी।

*२--श्री राजनारायण--क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि जिलाधीश ने २० अगस्त को प्रदर्शनकारियों से कोई बात नहीं की जो उनके पास गये थे और उनके साथ उपेक्षा की नीति बरती ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रदर्शनकारी जुलूस बना कर जिलाधीश की कोठी पर २० अगस्त को पहुंचे। उन्होंने जिलाधीश को एक पत्र दिया जिसमें केवल २१ तारीख से सत्याग्रह आरम्भ करने की सूचना थी। इसके बाद वे नारे लगाते हुये वापिस चले गये उनकी ओर से जिलाधीश से बात करने का कोई प्रयत्न या संकेत नहीं किया गया। यह निराधार है कि जिलाधीश ने उनके साथ उपेक्षा की नीति बरती।

*३--श्री राजनारायण--क्या यह सही है कि बुलन्दशहर के सत्याग्रहियों में से केवल एक को छोड़ कर सब कैदी 'सी' क्लास में रक्खे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--क्या सरकार इन सत्याग्रहियों को राजनीतिक बन्दी स्वीकार करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--राजनीतिक बंदियों का कोई अलग वर्ग नहीं है?

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्लासीफिकेशन का देना जिला अधिकारियों के ऊपर निर्भर है या नियमों में दी हुई योग्यता पर जिला अधिकारियों को देना अनिवार्य है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अनिवार्य का कोई सवाल नहीं होता है। अगर वह समझते हैं कि देना है या कोई दरख्वास्त आती है और वह देखते हैं कि वह इस योग्यता के हैं तो दे देते हैं।

*४--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में सिंचाई की योजना

*५--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में सिंचाई की कोई योजना है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, इस योजना के अन्तर्गत तहसील डुमरियागंज में पाराशरी नाले पर एक पक्का बांध आर पार बांधा गया है। इस बांध द्वारा नाले का पानी रोक कर सिंचाई की जायगी।

उपरोक्त बांध के अलावा डुमरियागंज तहसील में Indo. U. S. Technical Co-operation Scheme के अन्तर्गत पहले पांच साल में ९३ नलकूपों के बनाने की भी तजवीज है।

श्री रामलखन मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि बांध के प्रभाव क्षेत्र में कितने एकड़ जमीन की सिंचाई की योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, इस बांध के बंधने से ४०० एकड़ जमीन जो पानी में डूबी हुई थी वह निकल आवेगी और खेती के योग्य हो जायगी और उससे ८० एकड़ जमीन की सिंचाई भी हो सकेगी।

*६-८---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ ३०० पर)

सरकारी उद्योग धन्धों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों की यूनियनों का रजिस्ट्रेशन

*६---श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या श्रम मन्त्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि प्रादेशिक सरकार ने रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन कानपुर को यह आदेश दिया है कि प्रादेशिक सरकार द्वारा चलाये गये उद्योग धन्धों या सरकारी विभागों के कर्मचारियों की यूनियनों का रजिस्ट्रेशन न किया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस सम्बन्ध में बहुत सी दरख्वास्तें रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के पास विचाराधीन हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी कोई खास सूचना हमें नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरी यह निश्चित जानकारी है कि इस प्रकार की दरख्वास्तें हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार का स्पष्टीकरण करते हुये कोई आदेश वहां भेजेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मौजूदा कानून के अनुसार किसी ऐसे आदेश की जरूरत नहीं है। जो नियम हैं उनके अनुसार उनको रजिस्ट्री करना चाहिये और वह दरख्वास्तें यदि उन नियमों के भीतर होंगी तो वह बगैर किसी आदेश के ही उन पर कार्यवाही करेंगे और मैं समझता हूं कि वह करते भी होंगे।

तारांकित प्रश्न

*१-३---श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २००-३०१ पर]

कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की विकास योजना

*४---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या स्वशासन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बाबूपुरा, जुही, दरशनपुरवा, नारायनपुर, काकादेव, रावतपुर आदि क्षेत्रों को किस सन् में विकास के लिये घोषित किया ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)---बाबूपुरवा और जुही कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की सदर्न सिटी एक्स्टेंशन स्कीम (Southern city Extention Scheme) तथा दरशनपुरवा, नारायन पुर, काकादेव, रावतपुर आदि क्षेत्र ट्रस्ट की फैक्ट्री एरिया स्कीम संख्या १ (Factory Area Scheme No. 1) के अन्तर्गत हैं। उक्त योजनायें जनवरी, १६२१ में घोषित की गई थीं।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि बाबूपुरवा जुही आदि के लिये सन् १६२१ में जो घोषणा हुई थी, तब से क्या वहां मकान बनवाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उक्त क्षेत्र में कोई मकान बनवाना चाहे या मरम्मत कराना चाहे तो करा सकता है और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौताम—इसके लिये भी नोटिस चाहिये।

*५—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित**—क्या स्वाशासन मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या काकादेव निवासियों ने म्युनिसिपल टैक्स देना बन्द कर दिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

*६-७—**श्रीमती सज्जन देवी महनोत** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*८-१०—**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३०१ पर]

कार्तिक की फसल में गल्ले की वसूली

*११—**श्री रमेश वर्मा**—क्या अन्न मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी कार्तिक की फसल में सरकार किसानों से गल्ला वसूल करने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—अभी सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री रमेश वर्मा—इस संबंध में सरकार कबतक अपना निर्णय कर सकेगी ?

श्री बनारसी दास—अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर कोई विचार किया जा सके।

किसानों से गल्ला लेने की नई शरह

*१२—**श्री रमेश वर्मा**—क्या प्रदेशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से ऐसी हिदायतें प्राप्त हुई हैं कि किसानों से गल्ला वसूल करने की शरह घटायी जावे ? यदि हां, तो सरकार ने गल्ले की क्या नयी शरह तय की है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

*१३-१५—**श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—[३ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ९२-९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१८—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)—[३ अक्तूबर, १९५२, के लिये संख्या ५२-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९-२१—**श्री रामस्वरूप मिश्र** (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ३०२-३०३ पर]

*२२—**श्री नेकराम शर्मा**—[१५ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—**श्री धर्म सिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ३०३ पर]

*२४--श्री बाबू नन्दन--[२३ सितम्बर, १९५२, के लिये संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२५-२७--श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)--[१५ अक्तुबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

*२८--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ ३०३ पर]

स्थानीय संस्थाओं के मेहतर कर्मचारियों का वेतन

*२९--श्री भगवान दीन वाल्मीकि (जिला फतेहपुर)--क्या यह सही है कि १९ अगस्त, १९४७ ई० के जी० ओ० (सरकारी आदेश) संख्या ४४८६/११-७१३--४६ द्वारा इस प्रदेश की म्युनिसिपैलिटियों, टाउन और नोटिफाइड एरियाओं में काम करने वाले मेहतरों को वेतन आदि सुविधायें दिये जाने की सिफारिश सरकार ने की थी? यदि हां, तो उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया?

श्री मोहन लाल गौतम--जी हां।

*३०--श्री भगवान दीन वाल्मीकि--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्तीय मेहतर मजदूर फेड्रेशन, कानपुर द्वारा गत् ४ जुलाई, १९५१ ई० को सरकार की सेवा में चार्टर आफ डिमाँड्स का नोटिस भेज कर यह प्रार्थना की गयी थी कि सरकारी आदेश नम्बर ४४८६/११-७१३--४६ को रिवाइज़ किया जाय और सरकार उसको ऐक्ट का रूप दे? यदि उत्तर 'हां' में है, तो सरकार ने इस दशा की ओर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं, जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान दीन वाल्मीकि--क्या यह सही नहीं है कि १३ अगस्त, ५२ को मैं स्वयं माननीय मंत्री जी की सेवा में चार्टर आफ डिमांड की एक प्रति दे आया था?

श्री मोहन लाल गौतम--हो सकता है।

श्री भगवान दीन वाल्मीकि--सूबे की स्थानीय संस्थाओं के मेहतर कर्मचारियों का वेतन आदि रिवाइज करने के लिये सरकार क्या विचार कर रही है?

श्री मोहन लाल गौतम--जो पहले इनक्वायरी कमेटी बनी उसके लिये आदेश दे दिये गये थे और उस पर कार्यवाही हो चुकी है। इस समय और कोई नया विचार नहीं हो रहा है।

*३१--श्री भगवान दीन वाल्मीकि--क्या यह सच है कि उपरोक्त चार्टर आफ डिमांड्स पर विचार किये जाने के लिये फेड्रेशन द्वारा सरकार को कई बार मौखिक तथा लिखित रूप से स्मरण दिलाया गया है?

श्री मोहन लाल गौतम--जी नहीं, माननीय सदस्य के पत्र दिनांक १९ अप्रैल, १९५२ के प्राप्त होने पर जिसमें उक्त चार्टर आफ डिमांड्स का उल्लेख था, सरकार ने उन्हें उसकी एक प्रति भेजने को लिखा, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षा संस्थाओं से टी० बी० फंड

*३२--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्थाओं से टी० बी० फंड में कितना रुपया जमा हुआ है?

श्री बनारसी दास—१५ लाख

*३३—**श्री शिवनारायण**—क्या सरकार व्योरा देने की कृपा करेगी कि वह रुपया कैसे खर्च किया जायेगा ?

*३४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैनीटोरियम कहां स्थापित हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—इस रकम से नीचे दी हुई ३०० शय्यायें भिन्न भिन्न स्थानों पर बढ़ाई जायेंगी।

	शय्यायें
(अ) गेंठिया सेनेटोरिम, नैनीताल को खरीद कर	५०
(ब) कस्तूरबा टी० बी० क्लिनिक, लखनऊ की इमारत बढ़ा कर	६०
(स) बरहलगंज (जिला गोरखपुर)	१००
(द) लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में	६०
(य) डाकपाथर टी० बी० सेनेटोरियम, जिला देहरादून में	३०

इनमें से २२५ बेड अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये और ७५ बेड आम जनता के होंगे।

इस योजना में कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं पूरे तखमीने आने पर ही अंतिम फैसला होगा कि कहा कितने बेड्स बढ़ाये जायें।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार इस १५ लाख रुपये से कोई नया सैनेटोरियम अध्यापकों और विद्यार्थियों के नाम से खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—३०० बैड्स का विवरण पहले ही दिया जा चुका है । कोई अलग सैनेटोरियम खोलने का विचार नहीं है।

श्री शिवनारायण—जब यह रुपया वसूल किया जा रहा था तो अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में यह कहा गया था कि एक नया सैनैटोरियम खोला जायगा। तो क्या सरकार इन पुराने सैनैटोरियम में बेड्स बढ़ाकर उसकी पूर्ति कर सकती है और जो पहला वायदा है वह पूरा नहीं हो रहा है ?

श्री बनारसी दास—बड़हलगंज और नैनीताल में जेठिया का सैनैटोरियम खरीदा जा रहा है और एक विशेष पर्पज के लिये। रुपया तो इसलिये जमा किया गया था कि विशेष शैय्यायें टीचर्स और विद्यार्थियों के लिये मिल सकें। इस कार्य को पूरा किया जा रहा है।

श्री भगवान सहाय—१५ लाख रुपये में कितना रैकरिंग और कितना नानरैकरिंग होगा ?

श्री बनारसी दास—जैसा जवाब के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया था, यह योजना अभी विचाराधीन है। अभी तक इसके बारे में फैसला नहीं किया जा सका है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सही है कि यह १५ लाख रुपया जो विद्यार्थियों और अध्यापकों ने इकठ्ठा किया था तो हुकूमत ने ३०० बेड्स उन्हीं के लिये क्यों सुरक्षित नहीं किये ?

श्री बनारसी दास––यह सही है कि यह रुपया विद्यार्थियों और टीचर्स ने ही इकठ्ठा किया था। इन ३०० बेड्स में से २२५ बेड्स उनके लिये रिजर्व कर दिये गये हैं। आगे चल कर जो उनका रिकरिंग खर्चा होगा वह तो सरकार ही की सहायता से होगा।

*३५–३७––**श्री रामलखन मिश्र**––[२२ सितम्बर, १६५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८–३६––**श्री अब्दुल मुईज़ खां** (जिला बस्ती) [६ अक्तूबर, १६५२ के लिये संख्या ५७–५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

पंचायती अदालतों के अधिकारियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार

*४०––**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायती अदालतों के सरपंच, तथा पंचों को किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य बनने की छूट है और क्या यह लोग राजनीतिक पार्टियों की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं?

श्री मोहन लाल गौतम––पंचायती अदालत के सरपंच तथा पंच किसी राजनीतिक पार्टी के चुने हुये सदस्य (एलेक्टेड मेम्बर) अथवा पदाधिकारी (आफिस बेरर) नहीं हो सकते और न वह विवादग्रस्त राजनीतिक कार्यक्रम (कांट्रावर्शियल ऐक्टीविटीज आफ ए पोलिटिकल पारटी) में भाग ले सकते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी––क्या माननीय अन्न मंत्री जो इस वाक्यांश का स्पष्टीकरण करेंगे, विवादग्रस्त राजनीतिक पार्टी से उनका क्या मतलब है?

श्री मोहन लाल गौतम––जो एक पोलीटिकल पार्टी का दूसरी पोलीटिकल पार्टी से आपस में विवाद होता है, इसका मतलब उससे है।

राजा वीरेन्द्र शाह––क्या सरकार को यह मालूम है कि कांग्रेस के कुछ सदस्य पोलीटिकल पार्टी में रहते हुये भी पंचायत के सदस्य हैं?

श्री मोहन लाल गौतम––जी हां, हो सकता है।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)––क्या सरकार को यह मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इन पंचायत के आफिसरों को अपनी पार्टी में ले रही है?

श्री मोहन लाल गौतम––ऐसी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के आदेश पंचायत ऐक्ट की किस धारा के अधीन दिये गये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम––इस पर दो रायें हैं, उन दोनों रायों पर विचार हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––मैंने यह प्रश्न किया था कि पंचायत ऐक्ट की किस धारा के अधीन ये आदेश दिये गये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम––ये धारा ६१ (१) (च) के अधीन दिये गये हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे पंच या सरपंच किसी धार्मिक संस्था के मेम्बर हो सकते हैं या नहीं?

श्री मोहन लाल गौतम––इस पर जहां तक मुझे मालूम है कोई रोक थाम नहीं है।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह––जो पंच या सरपंच किसी राजनीतिक पार्टी में हैं क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री मोहन लाल गौतम––जैसा मैंने कहा केवल सदस्य होने पर कोई रोक नहीं है, इलेक्टेड मेंबर, आफिस बीअरर और कंट्रोवर्शियल ऐक्टिविटीज आफ दी पोलीटिकल पार्टीज में भाग लेने पर पाबंदी है। अगर किसी के खिलाफ इस किस्म की बातें सामने आयेंगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

नगर पालिकाओं को खादी खरीदने के आदेश

*४१––श्री बाबू लाल मीतल (जिला आगरा)––क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नगर पालिकाओं को खादी की ख़रीद के बारे में कोई आदेश भेजे हैं? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या?

श्री मोहन लाल गौतम––जी नहीं, जहां तक दूसरे भागों का सम्बन्ध है प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू लाल मीतल––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस तरह के आदेश जारी करने को तैयार है कि नगर पालिकाओं में आगे जो भी कपड़ा खरीदा जाय वह खादी ही खरीदा जाय?

श्री मोहन लाल गौतम––जी हां, ऐसे आदेश दिये जा रहे हैं कि तौलिये, बस्ते, और झाड़न आदि की आवश्यकता के लिये खादी ही खरीदी जाया करे।

आगरा मेडिकल कालेज में हरिजन विद्यार्थियों का प्रवेश

*४२––श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष मेडिकल कालेज, आगरा में कितने विद्यार्थियों का दाखिला किया गया और उनमें से कितने विद्यार्थी हरिजन वर्ग में से हैं?

श्री बनारसी दास––कुल संख्या ७६ है, इसमें से हरिजन विद्यार्थी कोई नहीं है।

श्री पुत्तू लाल––क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि इन ७६ स्थानों में कितने स्थान हरिजनों के लिये सुरक्षित थे और उनकी पूर्ति के लिये कितने हरिजन विद्यार्थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए?

श्री बनारसी दास––हरिजन विद्यार्थियों के लिये मेडिकल कालेज में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है।

*४३––श्री पुत्तूलाल––क्या यह बात सच है कि उक्त कालेज में शिक्षा पाने के लिये कुछ विद्यार्थियों को सरकार स्वयं चुन कर (direct nomination) से प्रति वर्ष भेजती है? यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है?

श्री बनारसी दास––जी नहीं।

*४४––श्री पुत्तूलाल––क्या सरकार उक्त कालेज में शिक्षा पाने के लिये हरिजन विद्यार्थियों को स्वयं चुनकर (nominate) करके भेजने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास—अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आगरा जिले में भट्टों के लिये स्टीम कोयला

*४५—श्री रमेश वर्मा—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५२ की प्रथम छमाही में आगरा जिले में कितने भट्ठों के लिए स्टीम कोयला दिया गया?

श्री बनारसी दास—सन् १९५२ ई० की प्रथम छमाही में स्टीम कोयला जिला आगरा के किसी भट्ठे वालों को नहीं दिया गया। परन्तु इस छमाही में ३४१ वैगन कोयले के चूरे के परमिट जिले के ६७ भट्ठेवालों को दिये गये।

*४६—श्री रमेश वर्मा—इस कोयले में से फ़ीरोजाबाद नगर के कितने भट्ठों के लिये कोयला स्वीकार किया गया?

श्री बनारसी दास—इस कोयला में से फीरोजाबाद नगर के २७ भट्ठे वालों को १३८ वैगन कोयले का चूरा स्वीकार किया गया, जिनकी सूची सम्बद्ध है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

श्री रमेश वर्मा—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की साढ़े तेरह लाख की आबादी के मुकाबले में एक लाख की बस्ती को अधिक कोटा देने का क्या कोई विशेष कारण था?

श्री बनारसी दास—यह विशेष औद्योगिक कस्बा है। वहां पहले से ही ज्यादा खपत रही है। इस तरह से वहां भट्ठेवालों के लिये बेसिक एलाटमेंट का कायदा रहा है और वहां भट्ठों की संख्या अधिक रही है, इस वजह से वहां ज्यादा एलाटमेंट किया गया है।

*४७—श्री रमेश वर्मा—क्या इनमें से कुछ भट्टों के लिये कोयला का कोटा मंसूख भी किया गया है?

श्री बनारसी दास—जी हां, सन् १९५२ ई० की द्वितीय छमाही में इनमें से ८ भट्ठेवालों का कोटा मंसूख किया गया है, जिनके नाम सम्बद्ध सूची में तारांकित हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

श्री रमेश वर्मा—क्या अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन आठ वर्षों का कोटा किस कारण से मंसूख किया गया है?

श्री बनारसी दास—यह भट्ठे वालों के पहले के व्यापार के आधार पर ही निश्चित किया गया था।

*४८-४९—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—[८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गए।]

बस्ती जिले में कठौतिया ग्राम के निकट एक पुलिया के जीर्णोद्धार की आवश्यकता

*५०—श्री रामलखन मिश्र—क्या स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि तहसील डुमरियागंज, (बस्ती) में इटावा व बिक्कोहर के बीच ग्राम कठौतिया के पास

एक पुलिया बाढ़ से शिकस्ता हो गयी है और फलतः १४ वर्षों से यातायात केवल पुलिया के जीर्णोद्धार न होने से बरसात में बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र इसे निर्माण करायेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम---जी हां, बस्ती जिले की इटावा-बिक्कोहर सड़क उन सड़कों में से है जो युद्धोत्तर कालीन पुर्निर्माण योजना के प्रथम चरण में सरकार द्वारा १९४६ में ले ली गई थीं और अब जिला बोर्डों को वापस कर दी गई हैं। व्यापक आर्थिक अभाव के कारण यह पुलिया अभी तक न बन सकी। इन सड़कों के रख रखाव के लिये इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने पर्याप्त अनुदान देना स्वीकार किया है। परन्तु अभी अनुदान का जिला बोर्डों के बीच वितरण नहीं हो पाया है। अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि बस्ती जिला बोर्ड को जो अनुदान मिलेगा उससे वह इटावा-बिक्कोहर सड़क पर ग्राम कठौतिया के पास की टूटी हुई पुलिया का जीर्णोद्धार करने में समर्थ होगी या नहीं।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अनुदान के वितरण के आधारभूत सिद्धान्त क्या हैं ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसमें कई बातों का विचार किया जायगा।

*५१---श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ ३०४ पर]

[१० सितम्बर, १९५२, के अन्न मन्त्री से संबंधित अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न]

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन का गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ, के सम्बन्ध में वक्तव्य

*१---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन के बयान की ओर गया है जो उन्होंने गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ, के सम्बन्ध में दिया है ? सरकार इस अस्पताल की इस प्रकार बढ़ती हुई शिकायतों के सम्बन्ध में क्या विचार करती है ?

श्री बनारसी दास---सरकार ने बयान देखा है और उस पर पूछ-ताछ हो रही है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन ने जो वक्तव्य दिया है वह क्या है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, नवजीवन के अन्दर इस प्रकार का वक्तव्य निकाला गया था कि उनके बच्चे के गले में डिपथीरिया हो गया था और वह अस्पताल के अन्दर जिस वक्त पहुंचे तो वहां डाक्टर ने उनको क्लिनिक में ले जाने के लिये कहा। डाक्टर को अटेंड करने में डेढ़ घंटे की देर हो गयी। बच्चे को डिपथीरिया था और उसकी उम्र केवल १ साल की थी और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य २८ जुलाई के नवजीवन में शाया किया था।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार इन शिकायतों की जांच करने के लिये एक कमेटी बनाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास---इस समय तो कोई ऐसा प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है। जब यह प्रश्न उपस्थित हुआ तभी उसके विषय में जानकारी के लिये यूनीवर्सिटी को भेजा गया था और वहां से जांच की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।

नोट---तारांकित प्रश्न १-३ श्री नेकराम शर्मा ने पूछे।

मेडिकल कालेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रेक्टिस

*२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर गया है कि मेडिकल कालेज के कुछ डाक्टर निश्चित फीस से ज्यादा वसूल कर लेते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री इस सम्बन्ध में कोई क़दम उठाने का विचार करते हैं?

श्री बनारसी दास—शिकायत जो शहर में फैली है वह सरकार के भी सुनने में आई है परन्तु कोई विशेष शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

*३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जनता में यह भावना बढ़ रही है कि कालेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जाय? इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री ने क्या निश्चय किया है?

श्री बनारसी दास—जी हां, इस प्रश्न पर लखनऊ यूनीवर्सिटी विचार कर रही है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कुछ शिकायतों के फलस्वरूप राज्य के प्रमुख ने तीन डाक्टरों को पृथक् करने के आदेश दिये हैं?

श्री बनारसी दास—यह इस प्रश्न से तो सम्बन्धित नहीं है लेकिन यह सही है कि अखबारों में इस प्रकार का विवरण निकला है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार इस बात की कोई जांच करेगी कि डाक्टर्स लोग जो फीस नियत है उससे ज्यादा चार्ज करते हैं?

श्री बनारसी दास—यह उत्तर तो पहले दिया जा चुका है कि यूनीवर्सिटी से इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है और जब इस प्रकार की कोई विशेष शिकायत आती है तो वहां से उसकी पूछताछ की जाती है और यह भी ऐसी शिकायत है जो यूनीवर्सिटी के पास पूछताछ के लिये भेजी गई है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ डाक्टर्स ने अपने घरों पर प्राइवेट अस्पताल खोल रखे हैं और वहां आपरेशन करते हैं?

श्री बनारसी दास—हां, इस प्रकार की शिकायतें जरूर सुनने में आयी हैं लेकिन कोई विशेष रूप से शिकायत नहीं आयी है।

श्री रतन लाल जैन—जो डाक्टर्स अपने घरों पर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये अस्पताल खोले हुये हैं क्या सरकार उनकी प्रैक्टिस को बन्द करने का विचार कर रही है?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्राइवेट प्रैक्टिस कब तक बन्द हो जायेगी?

श्री बनारसी दास—जैसा कि प्रश्न ३ के उत्तर में कहा गया है इसका सीधा सम्बन्ध सरकार से नहीं है। यह अस्पताल और यह मेडिकल कालेज बिल्कुल यूनीवर्सिटी के प्रबन्ध में है। यह प्रश्न यूनीवर्सिटी के विचाराधीन है और सरकार ने

भी यूनीवर्सिटी के संरक्षकों से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा है और आशा है कि यूनीवर्सिटी इस सम्बन्ध में आवश्यक विचार करेगी।

* * * *

राज्य में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रबंध

*२१—श्री राजा राम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल सरकार द्वारा कहीं चलाया जा रहा है?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी नहीं।

*२२—श्री राजा राम शर्मा (अनुपस्थित)—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल भी खोलने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

* * * *

सीतापुर जिले के कोड़री परगना में सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का सुझाव

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील सिधौली के दक्षिण कोड़री परगना में जो कि गांजरी क्षेत्र है सस्ते अनाज की दूकानें खोले जाने के संबंध में हल्का एम० एल० ए० या जिला मैजिस्ट्रेट ने कोई सुझाव भेजे हैं? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस संबंध में माननीय सदस्य ने ही मुझे लिखा था। जिलाधीश सीतापुर को आदेश दे दिया गया है कि जिस हिस्से में स्थिति खराब हो सस्ते गल्ले की दूकानें खोल दी जांय। इसके अतिरिक्त सरकार ने ३०,००० रुपया पीड़ितों को तकावी बांटने के लिये भी मंजूर किया है।

* * * *

गोरखपुर में राशन की दुकानें

*२९—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में कुल कितनी दुकानें राशन की चल रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला गोरखपुर में ए० पी० की २२४ दूकानें हैं।

*३०—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की कितनी दुकानों की वितरण व्यवस्था के संबंध में जिला अधिकारियों के पास शिकायतें आयी हैं? उन पर क्या फैसला हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन दूकानों में से ३६ के विरुद्ध जिला अधिकारियों के पास शिकायतें आई थीं। पूछ ताछ के बाद २४ दूकानदारों के लाइसेंस मंसूख कर दिये गये हैं।

* * * *

राज्य में अनाज का आयात

*३४—श्री रामलखन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९४८ से सन् १९५१ तक इस प्रान्त में बाहर से कितना गल्ला मंगाया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाहर से मंगाया हुआ कुल अनाज—

१९४८ ई० में	१६३,९५६ टन
१९४९ ई० में	३३६,१३४ टन
१९५० ई० में	१७३,६४१ टन
१९५१ ई० में	२६९,६११ टन

[१७ सितम्बर, १९५२, के अनुपस्थित सदस्यों के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

बलिया जिले में खरीफ की हल्की फसल के कारण लगान में छूट

*६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया में गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कम मात्रा में बारिश हुई है?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी हां।

*७—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार अवगत है कि बलिया जिले में सामान्यतः खरीफ़ की फस्ल बहुत कम हुई है और विशेषतः तहसील रसड़ा, जिला बलिया में अभी धान की रोपाई तक नहीं हुई है?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, जुलाई में काफी वर्षा न होने के कारण ऐसा अनुमान किया जाता था कि खरीफ की फसल को काफी हानि पहुंचेगी परन्तु अगस्त, सन् १९५२ के दूसरे सप्ताह में वर्षा होने के कारण स्थिति बिलकुल बदल गयी। बलिया और बांसडीह की तहसीलों में खरीफ के क्षेत्र में पूरी पूरी बोवाई हो गयी है और तहसील रसड़ा में, जहां मुख्यतः धान की खेती होती है, अगस्त के अन्त में लगातार वर्षा होने के कारण लगभग ८५ फीसदी क्षेत्रों में धान की रोपाई हो गई है। बाकी १५ प्रतिशत क्षेत्रों में शीघ्र ही रोपाई हो जाने की सम्भावना है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि धान की रोपाई के लिये कौन सा महीना उपयुक्त होता है?

श्री चरण सिंह—धान की रोपाई का समय हर जिले में अलग अलग है। दो, दो, चार, चार, पांच, पांच, दस, दस दिन का फर्क जो जिले आपस में मिले हुये हैं उनमें भी हो जाता है। वैसे धान की रोपाई का समय आम तौर से अगस्त होता है। और मैंने यह जो जवाब पढ़ा यह तीसरी सितम्बर को तैयार हो गया था। तो अब तक वह रोपाई जिसके लिये कहा गया है कि होने वाली है, हो गयी होगी।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या यह सही है कि यह धान की रोपाई हो गयी है?

श्री चरण सिंह—हो चुकी है।

*८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार का इरादा है कि वह न बोये हुये खेतों का लगान माफ़ कर दे और जिन खेतों की फसल बुरी है उन खेतों के किसानों को उसके लिये लगान में छूट दे?

श्री चरण सिंह—लगान की माफी या छूट का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता।

[१७ सितम्बर, १९५२, के अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न]

कपड़े के लाइसेंस देने के संबंध में आदेश

*१—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या भारतीय सरकार ने इस प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया है कि कपड़े के लाइसेंस अधिक उदारता से दिये जायें? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या क़दम उठाया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, भारतीय सरकार के आदेशानुसार प्रदेशीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन व्यापारियों को मिल १० गांठ प्रति मास देने का वायदा करेगी उन्हें नये अस्थायी लाइसेंस दिये जायेंगे।

*२—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार उन लाइसेंसदारों को जिनका साझा टूट गया है और जो अलग अलग लाइसेंस चाहते हैं लाइसेंस देने पर विचार करेगी और नये आदमियों को भी लाइसेंस देगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस संबंध में उचित आदेश भेज दिये गये हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ६–८ श्री गेंदा सिंह ने पूछे।

*३—श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)—क्या सरकार खेरीज बिक्रेताओं को अपने जिले से बाहर से माल मगाने का अधिकार देने का विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—खेरीज विक्रेताओं को आज्ञा है कि वे प्रदेश के अन्य जिलों से कपड़ा ला सकें। ऐसे खेरीज विक्रेता, जो सरकार के नियमानुसार आज्ञा प्राप्त कर लेते हैं, वह प्रदेश के बाहर से भी कपड़ा आयात कर सकते हैं।

* * * *

मारकेंटिंग फेडरेशन बस्ती द्वारा सूत का वितरण

*८—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मारकेंटिंग फेडरेशन, बस्ती को सूत के बटवारे के लिये स्प्लाई आफिस, बस्ती से कितने बुनकरों की लिस्ट, सन् १९५१ के माह जनवरी में मिली थी, और सन् १९५२ के माह जनवरी में यह तादाद कितनी हो गयी थी? यदि कुछ तादाद बढ़ी, तो किसके आदेश से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जनवरी, सन् १९५१ में मारकेंटिंग फेडरेशन को सूत के बटवारे के लिये बुनकरों की कोई लिस्ट नही दी गई थी। सन् १९४७ की गणना के अनुसार बुनकरों की संख्या ७,३६६ थी। मारकेंटिंग फेडरेशन को अप्रैल, १९५१ में इसी संख्या की सूची दे दी गई थी। जनवरी, १९५२ में बुनकरों की संख्या १०, २३८ हो गई, तादाद जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश से बढ़ी थी।

*९—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मौजा रायपुर छपिया उर्फ ठोका तप्पा चुरेव, तहसील खलीलाबाद, तथा मौजा बुदवल तप्पा रामपुर पैली, तहसील बस्ती में कितने कितने बुनकर (जुलाहे) हैं और माह जनवरी, सन् १९५१ में इन दोनों मौजों में अलग अलग कितने सूत के राशन कार्ड थे, और माह जनवरी, सन् १९५२ में इन दोनों मौजों में अलग अलग कितने सूत के राशन कार्ड और किसकी जांच के आधार पर बढ़ाये गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

ग्राम	बुनकरों की संख्या	जनवरी, १९५१ में सूत के राशन कार्ड	जनवरी, १९५२ में सूत के राशन कार्ड
रायपुर छपिया	१८	१८	१८
बुदबर	४८	२६	४८

यह वृद्धि ग्राम सभापति, कानूनगो व नायब तहसीलदार की जांच पर हुई थी।

*१०—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलायेगी कि सूत का बटवारा आयातकों से मारकेंटिंग फेड्रेशन बस्ती को क्यों और कब दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूत का बटवारा आयातकों से मारकेंटिंग फेडेरेशन को नहीं दिया गया। आयातक थोक का काम करते हैं और फेड्रेशन आयातकों से सूत ले कर बुनकरों में बांटता है। फेडेरेशन जिले के समस्त बुनकर सोसाइटियों का एक संघ है इसलिये बुनकरों को सोसाइटियों की रुचि के अनुसार तथा बुनकरों के हित को दृष्टि में रखते हुये सूत का वितरण मारकेंटिंग फेडेरेशन द्वारा कराया गया। यह कार्य उनको अप्रैल १९५१ ई० में दिया गया था।

* * * *

रायबरेली जिले में पंचायत मंत्रियों को वेतन मिलने में विलम्ब

*१९—श्री रामस्वरूप मिश्र (अनुपस्थित)—रायबरेली जिले के कितने कितने पंचायत के मंत्रियों के आज, दिनांक ११-८-५२ तक कितने कितने महीनों का वेतन नहीं मिला और इस वेतन के न मिलने का क्या कराण है?

श्री मोहन लाल गौतम—रायबरेली जिले में पंचायत मंत्रियों को ११-८-५२ तक कितने कितने महीनों का वेतन नहीं मिला उसका विवरण इस प्रकार है—

मंत्रियों की संख्या जिन्हें वेतन नहीं मिला	मास एवं दिन जिनका वेतन नहीं मिला।	
	माह	दिन
३	३	०
५	४	०
१	५	०
३९	५	११
२२	६	११
५४	७	११
५	८	११
८	९	११
१५	१०	११
४	११	११
९	१२	११
५	१३	११
५	१४	११
२	१५	११
१	१६	११
२	१७	११
१	१८	११

उपरोक्त मंत्रियों को ग्राम सभाओं के कोष में धन के अभाव के कारण वेतन नहीं दिया जा सका क्योंकि कर की वसूली यथेष्ठ मात्रा में नहीं हो सकी।

*२०—श्री राम स्वरूप मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से रायबरेली के पंचायत विभाग को जो सहायता दी गयी वह पंचायत के मंत्रियों के वेतन देने के अतिरिक्त अन्य मदों में भी खर्च हुई ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी नहीं, जो शासकीय अनुदान मंत्रियों के अवशेष वेतन के लिये दिया गया वह केवल उसी मद में व्यय हुआ।

*२१—श्री राम स्वरूप मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार पंचायत विभाग के मंत्रियों के बकाया वेतन को शीघ्र देने और भविष्य में वेतन प्रति मास मिले इस बारे में कोई कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो वह प्रबन्ध कब तक होने वाला है ?

श्री मोहन लाल गौतम—समस्त प्रदेश के पंचायत मंत्रियों को १-७-५२ से २८-२-५३ का वेतन शासन द्वारा दिये जाने के आदेश हो चुके हैं और जिलाधीशों को अवाश्यक धन भेजा जा चुका है। इसके साथ ही साथ १२ क्षतिग्रस्त जिले, ४ पहाड़ी जिले, तथा देहरादून जिला के पंचायत मंत्रियों के समस्त अवशेष वेतन का भुगतान शासन द्वारा किया जा रहा है और इसके अदेश भी भेजे जा चुके हैं।

अन्य जिलों के पंचायत मंत्रियों के ३०-६-५२ तक के अवशेष वेतन में से जितना सम्भव हो सकेगा ग्राम पंचायतें देंगी। शेष पर शासन पुनः विचार करेगा।

* * * *

बुलंदशहर जिले में पंचायत राज ऐक्ट के अंतर्गत जनता पर कर

*२३—श्री धर्म सिंह (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में पंचायतों ने पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार, ग्रामीण जनता पर कोई टैक्स लगाया है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां, जिला बुलन्दशहर के लगभग समस्त ग्राम सभाओं ने धारा ३७ के अन्तर्गत निर्दिष्ट कर ग्रामीण जनता पर लगाये हैं।

* * * *

मुरादाबाद जिले में टाउन एरिया के क्लर्कों द्वारा गबन

*२८—श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के टाउन एरिया के क्लर्कों के खिलाफ कोई छानबीन हो रही है जिसका कारण २२,००० रुपये का ग़बन है, जिसका विवरण निम्नलिखित आंकड़ों में ज्ञात भी हो चुका है ?

धुनौरा टाउन एरिया का	१६,०००)
कुंदरकी	२,२००)
बछराऊं	८००)
बिलारी	१,२००) इत्यादि।

यदि हां, तो सरकार इस विषय में भविष्य में क्या करने का विचार रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जा रही है। जिस क्लर्क को उत्तरदायी समझा गया है उसे पदच्युत कर के आगे की वैधानिक कार्यवाही के लिये पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस की जांच जब पूरी हो जायगी और उसको दोषी समझा जायगा तब उस क्लर्क के विरुद्ध मुक़दमा चलाया जावेगा। गबन की धनराशि के सम्बन्ध में अभी ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

* * * *

गोरखपुर जिले में भ्रष्टाचार से संबंधित व्यक्तियों को दंड

*५१—श्री केशव पांडेय (अनुपस्थित)—गोरखपुर जिले में कुल कितनी घूसखोरी तथा चोरबाजारी के केस पकड़े गये हैं और उसमें कितनों को सजा हुई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घूसखोरी के लिए पकड़े गए केस की संख्या शून्य है। चोर बाजारी के लिए पकड़े गए केस की संख्या अगस्त मास तक सन् १९५२ ई० में ९२ है जिसमे से २५ में सजा हुई।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज खोलने की व्यवस्था

१—श्री धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में जो आयुर्वेदिक कालेज की व्यवस्था की गयी है उसमें बी० एम०, बी० एस० की डिग्री प्राप्त करने के समय तक आयुर्वेद शिक्षा के लिए कितने वर्ष नियत किये गये हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी कोई अलग समय नियत नहीं है, मामला विचाराधीन है।

२—श्री धर्म दत्त वैद्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक कालेज के साथ छात्रों के प्रैक्टिकल ज्ञान के लिये कोई अलग हास्पिटल की भी व्यवस्था की गयी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, परन्तु शीघ्र इसकी स्थापना की आशा है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ, के विद्यार्थियों तथा अध्यापकों द्वारा आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—मेरे पास श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भेजा है। और वह इस सम्बन्ध में है कि यहां विश्वविद्यालय में जो राज्यपाल जी ने फैसला दिया उसके सम्बन्ध में जो कल आन्दोलन हुआ और हड़ताल की धमकी दी गयी, उससे अन्य संस्थाओं पर भी उसका परिणाम हो सकता है। अनुशासन के प्रश्न पर विचार करने के लिये चाहते हैं कि सदन का समय लिया जाय और काम रोका जाय।

मैं इसको निश्चित भी नहीं समझता हूं कि कोई निश्चित बात है क्योंकि हड़ताल की धमकी वगैरह अखबारों में ही छपी है। उसी की बुनियाद पर यह चीज आयी है। दूसरे यह प्रश्न इतने महत्व का नहीं है जहां तक कि सार्वजनिक विचार करने का सम्बन्ध है क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में इस सम्बन्ध में अनुशासन के सम्बन्ध में चर्चा होगी और पता नहीं कि उसका क्या परिणाम हो। कहीं भी कोई हलचल मचे और उसकी बुनियाद पर कोई काम रोको प्रस्ताव आ जाय, यह उचित भी नहीं है। मैं आज यह माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं क्योंकि रोजाना इस तरह के प्रस्ताव न आने लगें। मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

देहली तथा कानपुर की नार्दन रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों तथा संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदश के लिये सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष—एक सूचना चुनाव के कार्य-क्रम के सम्बन्ध में देनी है ।

देहली तथा कानपुर की नार्दन रेलवे की स्थानीय परामर्शदात्री समितियों के लिए, एक एक सदस्य चुनना है ।

संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के लिए एक सदस्य चुनना है।

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय १६ सितम्बर, १६५२ को ३ बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २० सितम्बर, १६५२ को दिन के डेढ़ बजे तक।

नाम वापस लेने की तिथि और समय २३ सितम्बर, १६५२ को ३ बजे तक।

निर्वाचन की तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो सदन में) २४ सितम्बर, १६५२ को सायंकाल ५ बजे।

चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६५२

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं, चैरिटेबिल एंडाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १६५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

*उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १६५२ (क्रमागत)

अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (डयूटी) विधेयक, १६५२, पर विचार जारी रहेगा।

खंड ५

अभिलेख तथा नक़शे।

५—(१) यदि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी ऐसे अभिलेख ऐसी रीति तथा ऐसे आकार में रक्खेगा, जो नियत किये जायं और जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे

(क) उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) को देने के लिए उत्पन्न की गयी अथवा प्राप्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स),

(ख) उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स) अथवा उसके द्वारा उपभुक्त इकाइयां,

(ग) उन पर देय डयूटी (शुल्क) की धनराशि और धारा ४ के अधीन उसक द्वारा वसूल की हुई अथवा दी हुई डयूटी (शुल्क), और

(घ) अन्य ऐसे ब्यौरे जो नियत किये जांय।

---

* यह विधेयक ३ सितम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है।

(२) प्रत्येक लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी जिसे उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रखने का निर्देश किया गया हो, ऐसे नक्शे ऐसे आकार और रीति में प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी (विद्युत शक्ति) की मात्रा उस रीति से आंकी जायगी जो नियत की जाय।

अध्यक्ष--माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने खंड ५, खंड ६ और खंड ७ में "निकाल दिया जाय" इस तरह का संशोधन दिया है, जिसका मतलब है विरोध करना। अगर उन्हें विरोध करना है तो अन्तिम खंड में विरोध कर सकते हैं, वह ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन हर एक का विरोध करना, मैं समझता हूं इस तरह का प्रस्ताव उचित न होगा।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

निरीक्षणाधिकारी।

६--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा ५ के अधीन रक्खे अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये, निरीक्षणाधिकारी (Inspecting Officers) नियुक्त कर सकती है।

(२) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षणाधिकारी ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारों का उपयोग में लायेंगे जिन्हें समय समय पर नियुक्त किया जाय।

१८६० की ऐक्ट संख्या ११।

(३) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षणाधिकारी इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (जन सेवक) समझा जायगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७--एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के हिसाब में देय कोई भी धनराशि, यदि नियत समय पर और नियत रीति के अनुसार नहीं दिया गया हो, तो राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी के बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल किया जा सकता है

(क) यदि एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति लाइसेंसी द्वारा की गई हो तो राज्य सरकार, जैसा चाहे उपभोक्ता से, अथवा धारा ४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अधीन लाइसेंसी से, और

(ख) किसी दूसरी एनर्जी (विद्युत शक्ति) की दशा में उस व्यक्ति से जिसके द्वारा धारा ३ के अन्तर्गत ऐसी ड्यूटी (शुल्क) देय हो।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

८—यदि कोई व्यक्ति— दंड

(क) जिसे धारा ५ के अनुसार अभिलेख रखना तथा नक़शे प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन्हें नियत रीति से अथवा नियत आकार में रखने में अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) धारा ६ के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षणाधिकारी के इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत अधिकार प्रयोग तथा कर्तव्य पालन में जानबूझ कर बाधा डालता है, अथवा

(ग) किसी नियम का उल्लंघन करता है,

तो वह किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिशस्त होने पर (on conviction) अर्थ दंड का भागी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक न होगा।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९—इस अधिनियम में कोई बात, अपने उपयोग या उपभोग के लिये उत्पादित अथवा उस स्थिरयंत्र (प्लाण्ट) द्वारा उत्पादित एनर्जी (विद्युत शक्ति) को लागू नहीं होगी, जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवाट से अधिक न हो। अपवाद

श्री ऐजाज रसूल (ज़िला हरदोई)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के स्थान पर निम्नलिखत नया खंड ९ रक्खा जाय—

"९—इस अधिनियम में कोई बात ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग या उपभोग के लिये उत्पादित की जाय अथवा किसी ऐसे स्थिर यंत्र (प्लांट) द्वारा उत्पादित की जाय जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवेट से कम न हो।"

हुजूरवाला, यह महज़ फारमल अमेंडमेंट है और अल्फाज़ की गलतियों को दूर करने के लिये पेश किया गया है कि जो बिल में रह गयी थी। इसका मतलब सिर्फ यह है कि हर इंडिविजुवल आदमी प्रोडक्शन के लिये एनर्जी अपने लिये तैयार करके इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह ढाई किलोवाट से ज्यादा न हो। मुझे उम्मीद है कि सदन मेरी तरमीम को मंजूर करेगा।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मुझे कुछ एतराज इसमें नहीं है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के स्थान पर निम्नलिखित खंड ९ रख दिया जाय—

"९—इस अधिनियम में कोई बात ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग या उपभोग के लिये उत्पादित की जाय अथवा किसी ऐसे स्थिर यंत्र (प्लांट) द्वारा उत्पादित की जाय जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवाट से कम न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार [उत्पादित बिजली का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिये न किया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक खंड ९ का सम्बन्ध है वह इस प्रकार है कि इस अधिनियम में कोई बात, अपने उपयोग या उपभोग के लिये उत्पादित अथवा उस स्थिर यंत्र (प्लान्ट) द्वारा...।

अध्यक्ष—श्री सुल्तान आलम खां का जो प्रस्ताव था और जिसको श्री ऐजाज रसूल ने पेश किया, उस संशोधन की दृष्टि से देखिये। इस वक्त वह चीज सामने मौजूद है। आप तो पुराना पढ़ रहे हैं जो कि खत्म हो चुका है।

श्री गजेन्द्र सिंह—इस अधिनियम में कोई बात ऐसी एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर लागू नहीं होगी जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग या उपभोग के लिये उत्पादित की जाय अथवा किसी ऐसे स्थिर यंत्र (प्लान्ट) द्वारा उत्पादित की जाय जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवाट से कम न हो। इसमें यह संशोधन और जोड़ दिया जाय

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार उत्पादित बिजली का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिये न किया जाय।"

जहां तक ढाई किलोवाट का सम्बन्ध है, अगर कोई भी व्यक्ति अपने निजी यंत्र के द्वारा इस तरह की बिजली को उत्पादित करता है और वह अपने उपभोग के लिये इस्तेमाल करता है, तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इस नियम की ओट में कोई भी व्यक्ति इस ढाई किलोवाट की शक्ति के द्वारा कुछ ऐसे कार्यों का संचालन करे जिनके द्वारा वह कुछ उपार्जन करे, यानी छोटे छोटे उद्योगधंधों को चला करके वह कुछ पैदा करे। जैसे कलई, प्लास्टिक या आलू को ठंडा करने के जो छोटे छोटे काम हैं उनको किया जा सकता है और उनसे बेजा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिये संशोधन के द्वारा मैं चाहता हूं कि अगर सरकार यह संशोधन मान ले तो इसके द्वारा इस किस्म का बेजा फायदा उठाने की बात नहीं रह जायगी, नहीं तो इस नियम की ओट में लोग बेजा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पिछले दिन बोलते हुये मैंने यह संशोधन रखा था कि छोटे छोटे उद्योग-धन्धे हैं अगर उन पर से नियन्त्रण हटा लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन आज उसके विपरीत बोलने के लिये हमें इसलिये मजबूर होना पड़ रहा है कि अगर इस किस्म की इजाजत दे दी जायगी तो जो छोटे छोटे उद्योग धन्धे हैं, जिन पर टैक्स लग चुका है, उनके द्वारा जो वस्तु बनेगी वह ज्यादा तेज बनेगी और इसलिये लोग चोरबाजारी करेंगे क्योंकि इसके द्वारा जो चीज वे बनायेंगे वह बाजार में सस्ती पड़ेगी। इसलिये छोटे उद्योग धन्धों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, खास तौर से उन छोटे उद्योग धन्धों पर जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ब्लैकमार्केटिंग को भी मौका मिलेगा जिससे करप्शन बढ़ेगा। इसलिये इस संशोधन को पेश करते हुये मैं माननीय सचिव से निवेदन करूंगा कि यह एक छोटा सा संशोधन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वे इसको कृपया मंजूर कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि इसमें ब्लैकमार्केटिंग किधर से आ सकता है। एक आदमी खास अपने इस्तेमाल के लिये बनाता है, बेचता तो है नहीं। बेचने के लिये यह है नहीं। यह जो सेक्शन है यह बेचने

वालों के लिये नहीं है। यह तो उनके लिये है जो खास अपने इस्तेमाल के लिये बनाते हैं, तो वहां ब्लैकमार्केटिंग का सवाल कहां है। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है मैं यह समझता हूं कि इंडस्ट्रीज के लिये यह बात मुजिर हो जायगी। मान लीजिये मैंने अपना एक छोटा सा प्लान्ट लगा रखा है और अपने घर बिजली बनाता हूं और उस बिजली से अगर मैं कपड़े भी बुन लिया करूं और उसके ऊपर कोई खर्चा न बढ़े, तो इसमें हर्ज क्या है। तो न यह बात इंडस्ट्रीज के लिये मुफीद है और न किसी के लिये मुफीद है। यह रखा गया है कि थोड़ा सा खर्चा करने वाले जो आदमी हैं, जैसे ढाई किलोवाट का इसमें जिक्र है जिसमें क़रीब २२ हजार यूनिट होते हैं, इसके ऊपर उधर से ही दलील दी गयी थी कि मद्रास में इतने यूनिटस् एक्जेम्प्ट हैं, बम्बई में इतने यूनिट्स एक्जेम्प्ट हैं तो मैंने उस वक्त अर्ज कर दिया था इसमें भी क़रीब २२ हजार यूनिट्स एक्जेम्पटेड हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैंने ब्लैकमार्केटिंग की बात कही थी और जिसका विरोध मंत्री जी ने किया है। मैं उनको बतला देना चाहता हूं कि इस तरह से आप जो छूट दे रहे हैं उससे कुछ लोग बेजा फायदा उठायेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग उपयोग के लिये बहाना बनायेंगे कि वह इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इसके साथ ही साथ वह दूसरे उद्योग धन्धे खोलेंगे और उनके द्वारा फायदा उठायेंगे। दूसरे आदमियों पर तो यह ड्यूटी लगेगी और उन पर नहीं लगेगी। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन जो है वह मौजूं है, उपयुक्त है। मैं निवेदन करूंगा कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार उत्पादित बिजली का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिये न किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि परिवर्तित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

नियम बनाने का अधिकार।

१०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) विशेषत: तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये, इन नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है—

(क) धारा ३ के अधीन ड्यूटी (शुल्क) का [जिसके अन्तर्गत सीमान्तक समायोजन (मार्जिनल एडजस्टमेंट) भी है] हिसाब करने की कैलकुलेटिंग की रीति,

(ख) लाइसेंसी तथा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा (विद्युत शुल्क) की उगाही और उसे राज्य सरकार को देने की रीति,

(ग) कंज्यूमर्स (उपभोक्ताओं द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) को देने का समय तथा रीति,

(घ) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता हो।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, सार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे (स्टेट गवर्नमेंट) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के उपभोक्त (कंज्म्पशन) पर ड्यूटी (शुल्क) लगाने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत शक्ति) के अपभोग पर ड्यूटी लगाई जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, जो मेरा संशोधन इसमें आया है वह ग़लत है । मैं आप की आज्ञा से सही संशोधन पेश करना चाहता हूं। यह कोई खास संशोधन नहीं है केवल शाब्दिक है ।

"अपभोग" के स्थान पर शब्द "उपभोग" रख दिया जाय।

'अपभोग' के रखने से तो मिसयूज आफ़ एलेक्ट्रिसिटी का बिल हो जायगा इसलिये 'उपभोग' होना चाहिये

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझे तो जनाबवाला, यही मश्विरा मिला है कि जो हिन्दी के बिल में लिखा है वह ठीक है और जो आप रखना चाहते हैं वह सही नहीं है ।

अध्यक्ष--अंग्रेजी में "कंजम्पशन" वर्ड है । इसलिये "उपभोग" करेक्ट है। आपके इसमें अपभोग लिखा है ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अंग्रेजी का जो इसमें है उससे तो यह मानने के काबिल मालूम होता है। मैं नहीं समझता कि हिन्दी में क्या लिखा है । इस वक्त सवाल यह है कि हिन्दी के क्या अल्फाज रहें।

अध्यक्ष--एक जगह "उपभोग" लिखा हुआ है हिन्दी में और इसके बाद विधेयक में इस स्थान पर "अपभोग" छपा हुआ है । इसमें कोई विशेष महत्व नहीं है, मैं इसको खुद ही ठीक कर सकता हूं क्योंकि यह मिसप्रिन्ट मालूम होता है । अतएव संशोधन का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय सदस्य इसे वापस लेते हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--हां, मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२ पारित किया जाय ।

मैं मेम्बरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तवज्जह के साथ इस बिल पर बहस की और इसको जरूरी नहीं समझता हूं कि अब कुछ और भी इसके मुताल्लिक़ अर्ज़ करूं। इसलिये इन अल्फाज़ के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह बिल यह ऐवान पास करेगा ।

अध्यक्ष—माननीय राज नारायण जी जो संशोधन हो चुके हैं, उन्हीं तक अपने भाषण को सीमित रखेंगे।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें बुनियादी तौर से संशोधन हुये हैं जैसे कि एग्रिकल्चर का सवाल और और सवाल हैं जिन पर से टैक्स खत्म कर दिया गया है । ये जनरल डिसकशन से संबंधित हो जाती है । मैं आप के ज़रिये बिल मंत्री से यह ज़रूर निवेदन करूंगा कि टैक्सेशन बढ़ाने जैसी बात जिस बुनियाद को सामने रख कर वित्त मंत्री जी इस प्रकार से सदन के सामने लाये हैं वह बुनियादी तौर से ही ग़लत ढंग पर उनके सामने आयी है ।

अध्यक्ष—मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकूंगा । जो संशोधन हो चुके हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है या आप उनको नापसन्द करते हैं, या उनका दुष्परिणाम हो सकता है, ऐसा अगर आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, जैसा कि वह इस भवन में संशोधित हो चुका है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य सूची के क्रम में परिवर्तन

अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री, आप को अब पांचवें आइटम को पेश करना है ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—माननीय माल मंत्री जी कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जैसा मैंने १० तारीख को अर्ज़ किया था यह भूमि व्यवस्था अनुपूरक बिल बहुत जरूरी है और बहुत जल्द यह विधान मंडल से पास हो जाय। जो लोग बेदखल हो चुके हैं या हो रहे हैं उनके हुकूक की रक्षा करने में जितनी देर होती है उसमें उतनी ही पेचीदगी पड़ेगी। आपने उस रोज भी हमदर्दी से मेरी प्रार्थना पर विचार किया था लेकिन चूंकि अमेंडमेंट्स का कोई नोटिस देने का समय नहीं मिला था इसलिये वह बात उस रोज टल गई। आज १० तारीख से लेकर ७ रोज हो चुके हैं और जिनको संशोधन देने थे वे दे चुके हैं। मेरी दरख्वास्त यह है कि जो दो बिल हैं उनपर प्रवर समिति की रिपोर्ट पर विचार न करके मेरा जो बिल है उस पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर किसी को आपत्ति न होगी ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय माल मंत्री ने कहा यह सही है कि जमींदारी भूमि व्यवस्था अनुपूरक बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन आपके जरिये से मैं माननीय माल मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब उस बिल के लिये सेलेक्ट कमेटी की बात कही गई थी तो हमने उसका विरोध किया था, मगर आज जिस रूप में वह सेलेक्ट कमेटी से आया है, वह सर्वसम्मति से नहीं आया है उस पर सेलेक्ट कमेटी के कुछ सदस्यों की रिपोर्ट है और दूसरे सदस्यों की असहमति रिपोर्ट है। सबको अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला है तो मैं यह समझता हूं कि उसके बारे में जो रिपोर्ट है उसका हम अध्ययन कर लें और उस पर हम अमेंडमेंट दे दें तो फिर कल उसके ऊपर अच्छी तरह से विचार हो जाय और विवाद हो।

श्री चरण सिंह—सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तो १० तारीख को ही यहां पर पेश हो चुकी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—वह सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट उस दिन पेश हुई थी जब कि हाउस उठ रहा था। उस दिन सदस्यों की संख्या बहुत कम थी जैसा कि डिविजन से मालूम होता है। केवल १०२ सदस्य उस दिन उपस्थित थे। तो उस पर पूरी तरह से विचार करने का मौका नहीं मिला है। इस वास्ते यह कल के लिये रख दिया जाय और आज माननीय वित्त मंत्री का भूगृहादि के सम्बन्ध का बिल ले लिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे ताज्जुब है कि इस पर भी ऐतराज हो सकता है। विरोधी पक्ष की ओर से बराबर कहा जाता है कि जल्दी की जाय जब कि कोई बात आती है लेकिन जब जल्दी करने की बात होती है तो कोई न कोई बात निकाल कर अड़ंगा डालने की कोशिश की जाती है। यहां पर १० तारीख को सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। माननीय नेता विरोधी दल ने बिना मालूम किये ही यह कह दिया कि हमको वह रिपोर्ट पढ़ने को नहीं मिली। दूसरे मित्र ने कहा कि जिस दिन उस रिपोर्ट को यहां पर रखा गया उस दिन सब आदमी नहीं थे लिहाजा सब होने चाहियें। इस तरह की बातें सुनकर ताज्जुब होता है। इसके ऊपर तो ३ दिन की बात जरूरी है लेकिन इसके लिये तो ७ दिन हो चुके हैं सिर्फ ३ दिन के बाद ही किसी रिपोर्ट पर विचार हो सकता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जनहित को देखते हुये इस बात की आवश्यकता है कि इस बिल को अभी ले लिया जाय यों तो जैसा उन्होंने कल के लिये कहा परसों के लिये भी कह सकते हैं। इसके औचित्य को देखते हुए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को अभी ले लिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं आपके जरिये से माननीय माल मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उनकी हार्दिक अभिलाषा है उसका मैं स्वागत करता हूं मगर मैंने जहां तक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखा है और पढ़ा है। उसमें इस बिल की आत्मा का हनन किया गया है। अब इसी बुनियाद पर इसमें हमारे संशोधन पेश होंगे। अगर आप इजाजत दें कि वह संशोधन इसी समय पेश कर सकें और उस पर विवाद हो सके तो मैं समझता हूं कि बावजूद इस बात के कि हमको कुछ दिक्कत पड़ेगी, हम तैयार हो सकते हैं और अगर यह न हो कि हम इस समय संशोधन दे सकें तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल पर कल विचार किया जाय।

अध्यक्ष—यदि आप तत्काल संशोधन देना चाहेंगे तो मैं उन संशोधनों पर विचार करने के लिये इजाजत दे दूंगा।

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषाएं।

(क) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में "निश्चित दिनांक" का तात्पर्य १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन उक्त क्षेत्र के निहित होने के दिनांक (date of vesting) से है। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(ख) "भूमि" (land) का तात्पर्य बाग़ भूमि (Grove land) से भिन्न ऐसी भूमि से है जिसका १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १८ या १९ के अधीन कोई भी व्यक्ति भूमिधर या सीरदार बन गया हो; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

(ग) उन शब्दों और पदों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है और जो यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ अथवा यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ अथवा १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में प्रयुक्त हुए हों, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियमों में उनका हो। — यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१; यू० पी० ऐक्ट संख्या १७, १९३९; उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रखा गया है, इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—प्रत्येक व्यक्ति जो १३५९ फ़स्ली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १८ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो,

(क) यदि उक्त भूमि का भूमिधर या सीरदार, अथवा जहां उक्त भूमि संयुक्त रूप से दो या अधिक भूमिधरों या सीरदारों की हो और उनमें से सब निश्चित दिनांक पर उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के मद (१) से (६) में अभिदिष्ट व्यक्ति हो, तो वह वर्षानुवर्ष (from year to year) का असामी, अथवा

(ख) यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो तो अधिवासी
निश्चित दिनांक से होगा और एतत्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है; और वह यथास्थिति उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा असामी या अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उन पर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे।

स्पष्टीकरण--यदि कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर भोग बन्धकी (मार्टगेजी विध पजेशन) या ठेकेदार के रूप में खेती करता हो अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में, सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी की केवल सहायता करता हो तो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो तो उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३ रख दिया जाय--

"३--प्रत्येक व्यक्ति जो १३५८ फसली से १३५९ फसली के अन्त तक लगातार किसी भूमि पर उसके खातेदार की लिखित रजामन्दी से खेती करने के रूप में काबिज हो, किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो, जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १९ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो, यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो, तो निश्चित दिनांक से अधिवासी होगा और वह उक्त अधिनियम के अधीन अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उन पर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे।

स्पष्टीकरण--यदि कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर भाग बन्धकी या ठेकेदार के रूप में या सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार के नौकर के रूप में खेती करता हो, अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार को केवल सहायता करता हो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो तो उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज है।"

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रवर समिति ने जिस प्रकार इसमें संशोधन किया है उसको पढ़ देना चाहता हूं।

"प्रत्येक व्यक्ति, जो १३५९ फ़स्ली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १८ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो,

(क) यदि उक्त भूमि का भूमिधर या सीरदार, अथवा जहां उक्त भूमि संयुक्त रूप से दो या अधिक भूमिधरों या सीरदारों की हो और उनमें से सब निश्चित दिनांक पर उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के मद (१) से (६) में अभिदिष्ट व्यक्ति हो, तो वह वर्षानुवर्ष का असामी, अथवा

(ख) यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो तो अधिवासी निश्चित दिनांक से होगा और एतद्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है; और वह यथा स्थिति उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा असामी या अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उन पर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे।

स्पष्टीकरण---यदि कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर भोग बन्धकी या ठेकेदार के रूप में खेती करता हो अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में, सम्बद्ध भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी की केवल सहायता करता हो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो, तो उसके सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में क़ाबिज है।"

श्रीमन्, हमारा संशोधन इसलिये है कि जो धारा प्रवर समिति ने भेजी है उसमें यह बात साफ नहीं होती। इस सिद्धान्त को तो हम मानते हैं कि यदि किसी काश्तकार की जमीन किसी ग़रीब की जमींन, किसी वजह से १३५६ फ़सली में रह गई हो और इन्दराज नहीं हो तो उसे उसका लाभ होना चाहिये। श्री सुरेश प्रकाश सिंह जी जो हमारी ओर से प्रवर समिति में थे उन्होंने भी अपने नोट में कहा है कि इससे वे लोग जिन्होंने जबरदस्ती १३५७-५८ और १३५९ में क़ब्जा कर लिया है फायदा उठा लें जायेंगे। सरकार ने कोई ऐसी चीज नहीं निकाली कि उनका क़ब्जा न होने दें। इससे प्रान्त में अराजकता फैलेगी और मुक़द्दमेबाजी बढ़ेगी। सरकार का यह उद्देश्य तो हो कि ग़रीबों को लाभ हो परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि जबरदस्ती क़ब्जा करने वालों को वह प्रोत्साहन दे। अगर सरकार ऐसा कानून बनायेगी तो सिवाय झगड़े बढ़ाने के और कुछ नहीं करेगी। सरकार के ही एक सदस्य श्री बलवन्त सिंह जी ने कहा है कि इस कानून से बहुत कम आदमियों को फ़ायदा होगा और देहात के अन्दर खलबली आपस में मच जायगी जिसे सरकार के लिये सम्भलना मुश्किल हो जायगा। जिस तेजी से सरकार इस बिल पर विचार कर रही है, ठीक है, वह करे। सरकार के इस उद्देश्य को तो हम मानते हैं कि दरिद्र काश्तकारों को फ़ायदा होना चाहिये।

श्रीमान्, मैंने जो संशोधन रखा है उसमें रजामन्दी आती है। यदि कोई पक्की लिखा पढ़ी नहीं है और यह मालूम है कि फ़लां शख्स का क़ब्जा है तब तो उसकी बात मान लेनी चाहिये। नहीं तो यह होगा कि जिस राजनैतिक पार्टी का बहुमत होगा उसके लोग खड़े होकर दूसरों के खेतों पर क़ब्जा करने के लिये तैयार हो जायेंगे और उससे बेईमानी तथा मुक़द्दमेबाजी बढ़ेगी। जो जमीन को जोतता है वह कहां से गवाह लावेगा? तो इन सब बातों को देखते हुये मुझे बड़ा भय है जिस उद्देश्य से सरकार इस बिल को पास करना चाहती है उससे काश्तकारों को कोई फायदा नहीं होगा और इससे झंझट और मुक़दमेबाजी बढ़ेगी। काश्तकारी और अन्न की पैदावार में बहुत कमी हो जायगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से विनय करता हूं कि वह इसलिये कि यह संशोधन विरोधी पार्टी की तरफ से आया है, इसे नामंजूर न करें। हमने काफ़ी सोच समझ कर यह संशोधन रखा है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और हमारे संशोधन को कृपया स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मुझे अफ़सोस है कि मुझे इस संशोधन का विरोध करना पड़ता है। विरोध की वजह बहुत स्पष्ट है। आपका संशोधन यह कहता है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो १३५८ फसली से १३५९ फसली के अन्त तक लगातार किसी भूमि पर उसके खातेदार की लिखित रजामंदी से खेती करने के रूप में काबिज हो...." अगर लिखित रजामन्दी होती तब तो यह बिल ही पेश करना न पड़ता। यह तो अधिकतर उन लोगों के फ़ायदे के लिये लाया गया है जो जो भूमि पर कब्जे में हैं और उनके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है। तहरीरी सबूत होता है तो रेग्युलर प्रोसीडिंग्स होती है जिस तरह से बाकायदा मुकदमे की सुनवाई

[श्री चरण सिंह]

होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब कि कोई तहरीरी सबूत नहीं होता और वह काश्तकार साबित हो जाता है। लेकिन ऐसे केसेज़ बहुत कम होते हैं। १०० में ५ केसेज़ ही ऐसे होते हैं जिनमें रजामन्दी न होते हुए भी वे अपने आपको काश्तकार साबित कर पाते हैं। अब इन ५ फीसदी जिनके पास लिखित रजामन्दी नहीं होती और काश्तकार साबित हो जाते हैं वह भी अपने उस हक़ से इस अमेंडमेंट के मान लेने से महरूम हो जायेंगे। इसलिये यह अमेंडमेंट तो इस सारे बिल का जो उद्देश्य है उसके ही खिलाफ है इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, पहिले इसके कि मैं इस संशोधन पर कुछ निवेदन करूं मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम लोग यहां पर उपस्थित होते हैं और यह जो कार्यक्रम के छपवाने में खर्च किया जाता है वह सब माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये ही खर्च किया जाता है। ऐसा बिल, ऐसा विधेयक जिसके लिये कुछ लोग प्रवर समिति में गये हों, इतनी दिलचस्पी ली गई हो, तो मैं समझता था कि ऐसे प्रस्ताव को लाने के पहिले कि इस चीज़ को कार्यक्रम में पहिले ले लिया जाय, माननीय मंत्री जी को हमें कुछ संकेत अवश्य कर देना चाहिये था। अगर हम कार्यक्रम के अनुसार यह समझते कि फलां आयटम उस वक्त पेश होने वाला है और उसके अनुसार यदि हम इस समय न होते...

अध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य को ज़रा ग़लतफ़हमी हो गयी है। जब आज के कार्यक्रम में यह मौजूद है तो यह मुमकिन हो सकता है और यह मान भी लेना चाहिये कि कोई मंत्री यदि चाहें तो अपना प्रस्ताव पेश न करें, दूसरा भी पेश न करें तब तीसरा प्रस्ताव अपने आप ही आ जायगा। इसलिये सब को इसके लिये तैयार रहना चाहिये कि कार्यक्रम में जो बातें हैं वे कभी भी ली जा सकती हैं।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट १० तारीख़ को पेश हो गयी थी। यदि कोई अमेंडमेंट किसी सज्जन को देना था तो उसके लिये ७ दिन का समय था।

अध्यक्ष--वे यह कह रहे हैं कि कार्यक्रम में जो इसके ऊपर २ आईटम हैं वे क्यों छोड़ दिये गये?

श्री चरण सिंह--मान लीजिये ये दोनों बिल २ बजे से पहिले ही समाप्त हो जाते तब भी यह आ सकता था।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह--श्रीमान्, अगर ऊपर का कार्य खत्म हो जाता तब तो मेरी समझ में आ जाता और मैं अपने शब्दों को वापिस ले लेता लेकिन जब वे खत्म नहीं हुए हैं और माननीय राजस्व मंत्री ने सदन से इसकी अनुमति ली है उसके लिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसका हमें संकेत होना चाहिये था। भाग्यवश हम यहां पर हैं लेकिन अगर कहीं २० मिनट को चले जाते तब क्या होता?

अध्यक्ष--चले जाने के लिये कोई गुंजायश नहीं हो सकती। सदन में हर एक को रहना चाहिये।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---श्रीमन्, इस समय मैं इस संशोधन पर कुछ निवेदन नहीं करना चाहता था परन्तु समय से पहले मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को कुछ अपनी बातें समझाऊं जिन पर सोच विचार कर वे मेरी बातें मानने के लिये तैयार हो जायं तो उनके लिये समय है कि कोई न कोई संशोधन बाद में भी ला सकें क्योंकि सब संशोधन खत्म हो जाने के बाद शायद वह समय न रह जाय। श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मेरा इन ५ या ६ वर्षों का लेजिस्लेचर का जो अनुभव है, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कि किसी विधेयक के उद्देश्य और उसके सिद्धान्तों से इतनी सहानुभूति होते हुए भी मैं मजबूर हो जाऊं कि भवन में खड़े होकर उसका विरोध करूं।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)---आप इस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं?

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा या अपोज करूंगा इस को जनाने के लिये मेरे माननीय मित्र इतने उतावले हो गये। मैं कहना चाहता हूं कि न मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, न अपोज कर रहा हूं बल्कि जो कुछ इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा उसे सुनकर मेरे माननीय मित्र या माननीय राजस्व मंत्री स्वयं तय कर लेंगे कि मैं क्या चाहता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि हर एक माननीय सदस्य पहले यह ऐलान कर दे कि मैं इसको सपोर्ट करने के लिये बोल रहा हूं या इसके अपोजीशन में बोल रहा हूं।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक के सिद्धान्त का प्रश्न है मैंने शुरू में ही यहां तक कि प्रवर समिति में भी ...।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य से मैं यह जरूर कहूंगा वे इस संशोधन को सपोर्ट कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं इसे भले ही नहीं कहें लेकिन वे संशोधन के सम्बन्ध में ही बोल सकते हैं। जनरल डिस्कशन इसके ज़रिये नहीं ला सकते।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---श्रीमन्, मेरा इरादा यह था कि मैं कुछ कह कर तब यह संकेत दूं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूं। क्योंकि एक दम से पहले कह देने से जरा ग़लतफ़हमी हो सकती है। मैं बिल्कुल इसी संशोधन के अन्दर बोलूंगा। इस संशोधन का सिर्फ़ एक माने यह है कि किसी तरह से इस विधेयक के द्वारा गासिबाना कब्जा न हो सके।

श्री ऐजाज रसूल---आपकी पोजीशन क्या है।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह---इतने साल के तजुर्बे के बाद भी माननीय सदस्य को मेरी पोजीशन के बारे में मालूम नहीं हो सका है इसके लिये मुझे बहुत अफसोस है। मेरी पोजीशन तो साफ़ यह है कि यदि सरकार अपने इस उद्देश्य पर दृढ़ है और वह सच्चाई से उन ग़रीब शिकमी काश्तकारों की मदद करना चाहती है जो अपनी जमींन से निकाले और बेदख़ल किये जा रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं इस विधेयक के उद्देश्य से पूर्ण तरह से सहमत हूं। परन्तु जैसा कि माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने कहा कि जब आप काश्तकारों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो आपको उन काश्तकारों की पोजीशन को भी समझना है। ऐसे काश्तकार हो सकते हैं जिन्हें ज़मींदार या नये खातेदार उन ज़मीनों से जिन पर वे अब तक शिकमी काश्त करते थे बेदख़ल करना चाहते हों या कर दिये हों तो उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाय। परन्तु यहां पर सवाल यह है कि उनको प्रोटेक्शन देते समय यह देखना आवश्यक है या नहीं कि प्रोटेक्शन केवल उन्हीं लोगों को मिले जो खातेदार या ज़मींदार की भूमि पर शिकमी काश्त

[श्री सुरेशप्रकाश सिंह]

करते चले आ रहे हैं परन्तु जमींदारी विनाश अधिनियम के कारण वे जबरदस्ती बेदखल किये जा रहे हैं। वे इतने गरीब हैं कि खातेदारों या जमींदारों से रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिये उनको जबरदस्ती बेदखल होना पड़ता है।

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जब-जब मुझे माननीय सदस्यों से या माननीय राजस्व मंत्री जी से भी इस पर बात करने का कोई अवसर प्राप्त हुआ, प्रवर समिति में और बाहर भी तो सब लोगों ने बड़ी दृढ़तापूर्वक यह कहा कि इस विधेयक का मंशा यह हर्गिज नहीं है, और हम यह कदापि नहीं चाहते हैं कि इस विधेयक के द्वारा किसी तरह से गासिबाना कब्जे को प्रोत्साहन दिया जाय।

जहां तक कि प्रवर समिति में भी केवल माननीय राजस्व मंत्री ही नहीं बहुत से हमारे माननीय सदस्य भी.....

अध्यक्ष—प्रवर समिति के बारे में जिक्र नहीं होना चाहिये।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—जहां तक, श्रीमान्, मुझे माननीय सदस्यों से बातें करके पता चला है ९० फीसदी से ऊपर सदस्य इस से सहमत हैं कि इस विधेयक द्वारा गासिबाना कब्जे को कदापि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। श्रीमन्, आप देखें कि जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट में १३५६ फसली तक के गासिबाना कब्जेदारों को यह पूरे हक दे दिये गये थे कि चाहे जैसे उन्होंने कब्जा कर लिया हो उनको सीरदार या अधिवासी के हक पहुंच चुके हैं। इस पर भी इसका मंशा न होते हुये भी इस विधेयक द्वारा गासिबाना कब्जे को प्रोत्साहन दिया जाय, मंशा इसकी यह हो कि इस विधेयक द्वारा उन गरीब काश्तकारों को प्रोटेक्शन दिया जाय जिन्होंने शिकमी काश्त अब तक की हो चाहे वह साल भर की हो या २० साल से हो। इससे उनके हाथ से जमीन निकल जायगी जो जमींदार हैं या खातेदार हैं उनको बेदखल कर रहे हैं तो प्रश्न यह है कि इन काश्तकारों के प्रति सहानुभूति रखते हुये भी क्या हम कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं यह हमको ऐसा कदम उठाना चाहिये जिसके द्वारा गासिबाना कब्जे को प्रोत्साहन मिले। क्या किसी गरीब के पास कुछ खाने को न हो और उसके खाने का प्रबन्ध करना है, तो क्या कोई ऐसा कानून हम यहां से पारित कर सकते हैं जिसके द्वारा उसको चोरी के लिये प्रोत्साहन मिले। क्या यह ठीक होगा कि गरीबों से यह कह दें कि चोरी करो। किसी-किसी मुल्क में कहीं-कहीं पर ऐसे सिद्धांतों पर काम होता है लेकिन इस प्रदेश का और इस सरकार का सिद्धांत यह नहीं है कि हम गरीबों से कह दें कि जब तुम्हारे पास खाने को नहीं है तो जिनके पास धन है उनसे छीन लो।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य कह सकते हैं कि प्रवर समिति में खंड ३ ऐसा रखा गया था कि वह गासिबाना कब्जे को उत्तेजित करते हों?

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—अवश्य। प्रवर समिति में खंड ५ में जो अमेंडमेंट हुआ है मैं उस तरफ़ आने वाला ही था। मैं यह कहने जा ही रहा था कि आगे चल कर प्रवर-समिति में कुछ अमेंडमेंट्स लाये गये थे जिससे कब्जा गासिबाना कुछ हद तक रोका गया था और वह यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट की धारा १८० और १८३ के अन्तर्गत जो मुकदमे चल रहे हैं वह इस विधेयक से बाहर रखे गये हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि यह कुछ गासिबाना कब्जे को रोकता है। परन्तु खंड ३ में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यह गासिबाना कब्जा रुक सके। इसमें यह कमी है कि अगर काश्तकार यह साबित कर दे कि उसका कब्जा १३५९ फ़सली में किसी समय उस भूमि पर था तब यह जरूरी नहीं है कि वह यह साबित करे कि वह खातेदार की रजामंदी से था, यह जरूरी नहीं है कि वह यह साबित करे कि उसका कब्जा गासिबाना नहीं है और इसी प्रश्न पर मैं श्रीमन् निवेदन करता हूं कि जब कि सरकार यह समझती है, जब कि

इस भवन के माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इस विधेयक द्वारा हमको गासिबना कबज़े को किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं देना है तो बहुत आसान बात थी कि उसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगा दिया जाता या कोई ऐसा अमेंडमेंट कर दिया जाता जिससे गासिबाना कबजा बिलकुल बंद हो जाय। श्रीमन् मैं एक सुझाव आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री के सामने रखूंगा कि अगर यहां पर कोई प्रतिबन्ध लगा दिया या कोई ऐसा संशोधन खंड ३ में ले आया जाय कि अगर खातेदार यह साबित कर सके कि गासिबाना कब्जा था यानी बर्डन आफ़ खातेदार पर छोड़ दिया जाय और वह यह साबित कर दे कि कब्जा गासिबाना है तो श्रीमन् फिर वह कब्जा सही क्यों माना जाय।

खंड ३ इस पर बिलकुल चुप है कि कब्जा किस प्रकार हुआ है। जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं मुझे माननीय राजस्व मंत्री को इस चेष्टा से कि वह गरीब काश्तकार जो कि शिकमी काश्त करता चला आ रहा है अब न निकाले जांय या न बेदखल किये जांय। मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। और मैं तो आशा करता था कि प्रवर समिति में इस विधेयक में कोई न कोई ऐसा संशोधन अवश्य लाया जायगा जिससे मैं इस बिल के ऊपर माननीय राजस्व मंत्री को पूर्ण सहयोग दे सकूं। परन्तु केवल सिद्धांत से ही काम नहीं चलता। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया हम गरीबों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित हो कर क्या हम उनसे यह कह सकते हैं कि तुम्हारे पास धन नहीं है तो धनवालों से छीन लो या जिनके पास जमीन नहीं है उनसे, क्या हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर लो।

जैसा कि मैंने अपनी असहमति टिप्पणी में भी कहीं कहा है सारे देश में यह बात मानी जाती है कि यहां पर वह गरीब जिनके पास भूमि नहीं परन्तु भूमि पर ही उनकी रोटी दाल चलती है, उन की समस्या बड़ी कठिन है। सरकार को कुछ न कुछ करना होगा। परन्तु जब तक सरकार कोई ऐसा प्रबन्ध न कर सके तब तक जो भूमिहीन खेतिहर भूमि पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे उनको प्रोटेक्शन देते हुये क्या यह उचित होगा हमारे लिये, उनके लिये भी या इस स्टेट के लिये कि हम किसी तरह से मंशा जाहिर करके या मंशा न भी जाहिर करके गासिबाना कब्जा को प्रोत्साहन दिया जाय। और कहा जाय कि बाद में कोई दरवाजा खुला होगा जमींदार या खातेदार के पास तो आगे देखा जायगा।

मैं मानता हूं कि ऐसे कब्जे हैं और हो सकते हैं जहां पर जमींदारों ने अपने शिकमी काश्तकारों को अपनी भूमि से बेदखल किया हो या करना चाहते हों। परन्तु श्रीमन्, उसके साथ-साथ यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे भी काश्तकार हैं और हो सकते हैं जहां कि जमींदारों या अन्य खातेदारों की भूमि पर गासिबाना कब्जा भी किया गया हो। मैं यही निवेदन करता हूं कि इस धारा ३ में कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है, किसी तरीके से यह नहीं कहा गया है कि यह जो कब्जा काश्तकार का १३५९ फ़सली में था, और किसी समय भी था, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि लगातार कब्जा होता चला आया हो, और यदि वह कब्जा जबरदस्ती किया गया हो तो वह इस विधेयक के अन्दर न आये। इसलिये मुझे दुख के साथ इस विधेयक का विरोध करना पड़ता है। मैं अब भी माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस स्टेज पर भी वह ऐसा संशोधन ला सकते हैं जिससे किसी प्रकार गासिबाना कब्जा इस विधेयक में न आये। मैं यहां तक जाने के लिये तैयार हूं कि गासिबाना कब्जा साबित करना खातेदार पर ही छोड़ दें, उसी को यह साबित करना होगा कि वह गासिबाना कब्जा है। इसलिये यह विधेयक के अन्दर नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह खंड ३ पर इस समय जो वादविवाद जारी है मैं आपके जरिये तमाम सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह खंड अनुपूरक बिल का प्राण है। इसलिये इस पर हम को जरा गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा।

[श्री राजनारायण]

मैं पुनः आपके जरिये सम्मानित सदस्यों से यह कहना चाहता हूं, यद्यपि कहना नहीं चाहता था, मगर दिल की बात आनी चाहिये, माल मंत्री जी को इस जल्दी में आज जो इस बिल को प्रस्तुत करना पड़ा है, इसका भी रहस्योद्घाटन कौतूहलपूर्ण होगा, पर्दाफ़ाश होने पर जमींदारों के साथ सरकार का संगठन गठबन्धन स्पष्ट होगा।

मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो एक घंटा रिसेस का मिलेगा उसमें से, पहले जो बिल आया था तथा अब जो बिल प्रवर समिति से संशोधित हो कर आया है दोनों का मुकाबला करेंगे, तो वे यह पायेंगे कि पहले वाला बिल कितना आगे था और यह कितना प्रतिक्रियावादी होता जा रहा है। उससे कितना पीछे जा रहा है।

तो मैं आपके जरिये इस धारा के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जैसा कि उसके उद्देश्य और कारण में बतलाते हैं कि जो किसान टिलर आफ़ दि स्वाइल है, वह जमीन से बेदखल हो रहा है, उसके हक की हिफ़ाजत होनी चाहिये, तो उसके हक की हिफ़ाजत केवल १३५९ फसली के अभिलिखित से ही नहीं होती है।

श्री चरण सिंह---क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं या अनुमोदन कर रहे हैं।

अध्यक्ष---वह संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं और जो प्रवर समिति की धारा ३ का संशोधन आया है उसका भी विरोध कर रहे हैं। वह अपना दूसरा संशोधन देंगे।

श्री ऐजाज रसूल---उन्होंने पेश किया है?

अध्यक्ष---वह बाद में पेश होगा।

श्री राजनारायण---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, यह चिन्ता होनी ही चाहिये माल मंत्री जी को और उसके समर्थक सदस्यों को।

मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह प्राण है अनुपूरक विधेयक का। अगर यह निकाल दिया गया तो विधेयक बिलकुल बेकार हो जायगा जो संशोधन वीरेन्द्र शाह जी ने रखा है उसका विरोध तो करता ही हूं, यह विधेयक जिस प्रकार से सरकार की ओर से रखा गया है उसका भी विरोध करता हूं। इसका विरोध इसलिये करता हूं कि इसमें जो उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं उनकी पूर्ति नहीं हो रही है। मैं आपके जरिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो इस धारा में १३५९ फ़सली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो तो इस १३५९ फ़सली ही से ही इतना प्रेम क्यों है माल मंत्री जी को? १३५७ से क्यों नहीं हुआ? १३५८ से क्यों नहीं हुआ? इसलिये नहीं हुआ कि माननीय माल मंत्री जो संशोधन है, जो अनुपूरक बिल आ रहा है वह जमींदारों के हित में आयेगा और माननीय वीरेन्द्र शाह जी थोड़ा सा विरोध करने के बाद उसे बहुत आसानी से स्वीकार भी कर लेंगे। वीरेन्द्र शाह जी की परेशानी उस समय और बढ़ी होती जब कि हमारे संशोधन इसमें छाप करके बांट दिये गये होते और मैं समझता हूं एक घंटे में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारी ओर से किये गये हैं, अगर वह सब सदस्यों को मिल जाते तो हमारे संशोधन के पक्ष में सदस्यों का आम मत होता।

अध्यक्ष---मैं आपको इत्तला करना चाहता हूं कि कुछ संशोधन आये, लेकिन प्रवर समिति में जिस प्रकार का खंड रखा गया है उसके संशोधन नहीं है। जो पहले विधेयक भवन के सामने उपस्थित था उसके संशोधन हैं। यदि आपके दल के लोग उनमें उचित परिवर्तन कर दें और प्रवर समिति ने जो खंड पेश किया है उसके अनुसार दुरुस्त कर दें तो मैं उसको विचारार्थ पेश कर दूंगा।

श्री राजनारायण—जैसा कि हमारे साथी ने बतलाया, वैसा ही उन्होंने कर के दिया है। यही दिक्कत हो जाती है। पहले से प्रोग्राम नहीं मालूम होता और यकायक बदल दिया जाता है तो दिक्कत होती है। हमारे पास जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट नहीं है और जिस धारा को मैं कोट करना चाहता हूं वह भी· · ·

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को यहां की प्रथा नहीं मालूम थी, इसलिये वह पहले विधेयक के ऊपर संशोधन दे चुके हैं। उस गलती के लिये वे खुद जिम्मेदार हैं, राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कह रहा था यह कह रहा था कि जिस तरह से जल्दी से इसको लाने की कृपा की गई उससे जमींदार और सरकार किस मनोवृत्ति का परिचय देना चाहते हैं इस पर प्रकाश पड़ता है। तो ऐक्ट की १६ वीं तथा और २० वीं दफ़ा को आप पढ़ें, तो · · · ·।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, शायद मेरे मन में कुछ भ्रान्ति है, या कनफ्यूजन, है, समझ नहीं पा रहा हूं। जो संशोधन पेश किया गया है, जिसपर बहस हो रही है उसका विरोध या उसका समर्थन तो समझ में आ सकता है, लेकिन उस खंड पर या बिल पर आम बात कहना, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब आप अपना संशोधन दे दें, उसकी प्रति आपकी दया से मुझे मिल जाय· · ·।

अध्यक्ष—वह खंड का विरोध तो कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह—उस खंड का भी विरोध कर सकते हैं और अमेंडमेंट का भी कर सकते हैं, पर जब तक वह कोई अमेंडमेंट पेश नहीं करते तब तक वह कोई और बात कैसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है, उसका भी तो विरोध वे कर रहे हैं। तो ऐसे विरोध में वे अपने उसूल बताना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह संगत है।

श्री राजनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यही तो मूल प्राण है इस बिल का और यह बिल जो है उसमें यह है।

प्रत्येक व्यक्ति, जो १३५९ फ़स्ली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज हो किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १८ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो।

यह इसमें लिखा हुआ है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो धारायें १८ से लेकरके २१ तक हैं, उन धाराओं को भी आप की आज्ञा से मैं सम्मानित सदस्यों के सामने पढ़ दूं कि आखिर इस बिल से किस की रक्षा होती है और किस की नहीं होती है। यह इस बिल के अन्दर है कि जो टिलर आफ दि स्वायल है (खेती करने वाले) उसके हक़ की हिफ़ाजत होनी चाहिये। मैं यही पढ़ कर के सुनाना चाहता हूं कि इस धारा के अनुसार टिलर आफ़ दि स्वायल के हक की हिफ़ाजत नहीं हो रही है। इस पर माननीय मंत्री जी गर्व करते होंगे कि वे टिलर आफ़ दि स्वायल के हक़ की हिफ़ाजत कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वे केवल मौखिक हिफ़ाजत करना चाहते हैं तो करें परन्तु ठीक रूप से, बुनियादी रूप से और फंडामेंटल ढंग से हिफ़ाजत नहीं हो रही है। (इंट्रप्शन) जी हां, आप परेशान क्यों होते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य न चाहते हों तो आप १५ मिनट पहले बन्द कर दें। जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ा नहीं है उनको परेशानी होती है।

अध्यक्ष---यही तो कठिनाई माननीय सदस्यों के सामने मौजूद है। उनको समझ में बात आ नहीं रही है ।

श्री राजनारायण---धारा २० में यह है।

'ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर इस अधिनियम के निदेशों के अनुसार निम्नलिखित था या समझा गया हो।'

मैं यह जानना चाहूंगा माननीय माल मंत्री से कि १३५९ फ़स्ली.....

अध्यक्ष---यह संशोधन सामने है।

श्री राजनारायण---जी हां, इसी संशोधन के संबंध में मैं बोल रहा हूं । धारा १८ से २१ तक सीरदार और भूमिधर जो हो गया है उसपर यह लागू नहीं हो रहा है । मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। १६ वीं धारा के अनुसार चाहे वह ट्रेसपासर रहा हो या न रहा हो लेकिन अगर वह जमीन पर काबिज था तो उसका यह अधिकार मान लिया गया है कि वह मौरूसी हो जायगा बशरते कि वह वेस्टिग डेट तक उस पर काबिज रहा हो। पहले जब यह बिल यहां पर आया था तब मैं ने यह निवेदन किया था कि वह कौन सी मशीनरी है जिसके जरिये से यह जाना जायगा कि कोई किसान वेस्टिंग डेट तक काबिज रहा। मैं आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह ट्रेसपासर के रूप में हो, चाहे वह शिकमी के रूप में हो, जो टिलर आफ़ दि स्वायल के रूप में उस खेत को जोतता रहा है उसका १३५७ फ़स्ली में नाम हो या न हो, १३५८ फस्ली में नाम हो या न हो, १९५९ फस्ली में नाम हो या नहो, उसी को असलियत में जमीन मिलनी चाहिये और उसी का कब्जा पूरा पूरा मान लेना चाहिये। क्या इस बिल के जरिये इस उद्देश्य की पूर्ति होती है? मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप के जरिये फिर माननीय माल मंत्री को बतलाना चाहता हूं कि जब से जमींदारी उन्मूलन बिल आया और वह ऐक्ट बना तभी से जमींदारो के दिल में और बड़े-बड़े काश्कारों के दिल में यह भावना चल गयी कि जो शिकमी के रूप में जोत रहे हैं या जो उनकी सीर की जमीन पर जोत रहे हैं उनके हाथ से जमीन निकाल लें, उनके पजेशन से जमीन निकाल वें, इसलिये वे पटवारी को मिला करके किसी दूसरे का नाम इंटर करा दिये हैं।

सन् १३५६ तक तो यह भावना इतने उग्र रूप में नहीं थी मगर जब उन्होंने देखा कि जिस तरह के फोरसेफ़ (शक्तियां) काम कर रहे हैं जो सरकार को बाध्य करेंगे और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पास होकर आयेगा तो उन्होंने सोचा कि हम नाम तब्दील कर दें और नामों की तब्दीली शुरू हो गई और १३५६ में जो नाम थे उनको १३५७ में हटा कर के दूसरे लोगों के नाम रख दिये गये। इसी तरह से १३५८ में और भी नामों की तब्दीली कर दी गई मगर खेत वही पहले का गरीब किसान अधिकांश जोतता रहा है ।

अध्यक्ष महोतय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १३५९ में मैं ऐसी जमीनें जानता हूं हक जोता कोई दूसरा किसान है और नाम किसी दूसरे का लिखा हुआ है, या जो बड़ा काश्तकार होगा या जमींदार होगा उसका नाम लिखा हुआ है। मैं तमाम लीगल (कानूनी) बातों में स समय जाना नहीं चाहूंगा लेकिन माननीय सदस्य केवल एक बात को मद्देनजर रखें और फिर उस सफाई के साथ उत्तर दें कि जो काश्तकार या जो व्यक्ति किसी जमीन को जोत बो रहा है उसके हक में यह बिल अधिकार देता है या नहीं। यह फंडामेंडल (बुनियादी) सवाल है एक सवाल उठाया जाय कि जो टिलर आफ़ दि स्वायल (खेत जोतने वाला) उसके हक की यह हिफ़ाजत करता है या नहीं। मैं कहता हूं, नहीं करता है। आज माननीय माल मंत्री जी हमारे साथ चलें तो मैं उन्हें दिखाने के लिये तैयार हूं। मैं अभी देहातों में घूमकर आया हूं और मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बड़े-बड़े काश्तकारों ने और जमींदारों ने किसानों को जबर्दस्ती बेदखल कर दिया है और अपने नाम में एंट्री भी करा ली है। हो सकता है कि हमारे सदस्य जो इस समय उतावले हो रहे हैं वह यह कहें कि आगे की धाराओं से उनके हकों की हिफ़ाजत

होगी और कोई डिप्टी कलेक्टर रख दिया जायगा वह जांच करेगा। अगर सरकार का मंशा यह है तो बतला दे कि उसका मंशा यह है। यह शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। हम तो यह कहते हैं कि ...

श्री ऐज़ाज़ रसूल—मैं समझा नहीं !

श्री राजनारायण—आप कभी नहीं समझेंगे। उस समय जब कि बिल की मंशा माननीय मंत्री जी व्यक्त कर रहे थे कि "सरकार को इस आशय की बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि भूमिधर और सीरदार के खातों की भूमि में खेती करने के रूप में काबिज बहुत से व्यक्ति भूमि से जबरदस्ती बेदखल किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं। " यह लिखा हुआ है और यह इसका उद्देश्य है । उसी की हिफाज़त के लिये यह धारा आई है । मैं यही चाहता हूं कि माल मंत्री जी एक ही शब्द में सारे मामले को खत्म कर दें और ज्यादा डिबेट (बहस) न करें जो व्यक्ति ज़मान को बो जोत रहा है उसको अधिकार दिया जा रहा है या उसको कानून की बारीकियों में और कानून के जंगल में फंसाया जा रहा है मैं समझता हूं कि वह कानून के जंगल में फंसाया जा रहा है .....

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय सदस्य बताने की कृपा करेंगे कि गासिबाना कब्जे में ज़मीन ली हो तो उसको भी आप टिलर आफ़ सव्याल कहेंगे ।

श्री राजनारायण—हमारे मित्र ने बड़ा सुन्दर सवाल किया है। गासिबाना कब्जा वह किसका मानते हैं। मैं तो चाहता था लेकिन उस समय आपने मुझे इजाजत नहीं दी वरना जब मैं एलैक्ट्रीसिटी पर बोलने के लिये खड़ा हुआ था बताना चाहता था कि जो पैदा करने वाला है वह गासिबाना है या जो धन को लूटने वाला है वह गासिबाना है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और हमारे मित्र ज़रा अपनी दृष्टि खोलें और इस बात को समझें कि जो धन पैदा करने वाला है उसी के हाथ में सारी सम्पत्ति जानी चाहिये । यह सन् १९४२ की हमारी प्रतिज्ञा है कि—

"The state must necessarily belong to Produc ing masses, workers in fields and Factories"

[राज्य पर अनिवार्यतः उत्पादक जनता-खेतों तथा कारखानों में काम करने वालों का अधिकार होना चाहिये] क्या हम इसको भूल सकते हैं जिस प्रतिज्ञा को लेकर हमने अंग्रेजी राज्य का राजमुकुट लंदन में फेंका, और राजनीतिक आज़ादी हासिल की। उसको भूलने के लिये हम तैयार नहीं है, भले ही हमारे माल मंत्री जी भूलें। मैं आपके जरिये यह अपील करना चाहता हूं कि जब धन को पैदा करने वाले के हाथ में, खेत को जोतने बोने वाले के हाथ में माल मंत्री जी अधिकार देना चाहते हैं तो इस बिलकी किस धारा से, किस वाक्य से, किस शब्द से उन किसानों को हक मिलता है? जब इसमें यह लिखा हुआ है कि "प्रत्येक व्यक्ति, जो १३५९ फ़सली में किसी भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज़ हो किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो जो १३५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवथा अधिनियम की धारा १८ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो । क्या यह धारा जो व्यक्ति लगातार जोतता आया हो उसकी हिफ़ाजत करता है कि वह व्यक्ति लगातार ५८ तक जोतता आया हो, लेकिन ५९ में नाम न हो तो वह काबिज मना जाय ऐसी हालत में अब उसको जाना पड़ेगा जैसा कि इस ऐक्ट में आगे लिखा हुआ है, जिसमें सरकार अपनी असीम अनुकम्पा समझती है, जो डिप्टी कलेक्टर नियुक्त होगा उसकी जो हुजूरी में ऐसे व्यक्ति का जाना होगा और कहना पड़ेगा कि हम तो पहले से काबिज थे। तो मेरा कहना यह है कि यह १३५९ क्यों लिखा गया १३५७, १३५८ क्यों नहीं आया । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसमें खुद अपना संशोधन ले आयें कि वह व्यक्ति जो १३५६ में ज़मीन पर काबिज था उसके बाद १३५७ में काबिज था नई ज़मीन पर, फिर १३५८ में काबिज था नई ज़मीन पर और १३५९ में काबिज था नई ज़मीन पर उनको अधिकार मिलेगा। मैं पुनः इसको साफ़ करना चाहता हूं क्योंकि माननीय माल मंत्री बहुत जल्दी सवाल कर देंगे कि

[श्री राजनारायण]

१३५७ में काबिज थे राजनारायण और १३५८ में काबिज थे चरण सिंह तो किसको काबिज माना जाय । मैं यह कहूंगा कि जब से ऐक्ट शुरू हुआ १३५६ में जो ट्रेसपासर भी था उसको भी कानूनी अधिकार ऐक्ट में दिया गया तो ५७ में जिसका नाम था उसका कब्जा माना जाय क्योंकि जिसका कब्जा ५६ में था उसका अधिकार मान लिया गया है। ५६ में जिसका नाम इन्द्राज है उसका नाम चाहे ५७, ५८ या ५९ में न हो उसे किसी कोर्ट तक जाने के लिये मजबूर न होना चाहिये । कब्जा उसी का माना जाना चाहिये । अब बिल का जैसा उद्देश्य है उसके बाद ५७ आता है। ५६ तक हम जो काबिज है उसका कब्जा मान चुके हैं । जो ५६ में इन्द्राज काबिज था उसका नाम पटवारी के रेकार्ड में आगे हो या न हो हमें मान लेना चाहिये कि वही काबिज होगा । ५७ में जो नई जमीन जोत में आये, उस पर जिसका कब्जा हो उसका कब्जा माना जाना चाहिये चाहे आगे ५८ या ५९ में उसका नाम पटवारी के रेकार्ड में हो या न हो। इसी तरह से ५८ जो में नई जमीन जोत में आये और उस पर जिसका कब्जा हो उसका नाम ५९ में रेकार्ड में हो या न हो उसी का कब्जा माना जाना चाहिये । इस तरह से जो पहले से काबिज रहा हो उसी का नाम माना जाना चाहिये। इसी तरह से ५९ आ गया। इसमें भी जिस तरह से ५६, ५७ और ५८ में किया गया है वही इसमें भी होना चाहिये और इस प्रकार यह धारा लागू होनी चाहिये। यानी जो ५६ में रेकार्ड है पहले उसका कब्जा माना जाना चाहिये चाहे आगे उसका रेकार्ड हो या न हो फिर ५७ का रेकार्ड फिर ५८ का और उसके बाद जो नयी जमीन बचे उस पर ५९ का । इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से फिर माननीय मंत्री से अपील करूंगा और जितने सदस्य हैं जो सेलेक्ट कमेटी में रहे हों या नहीं रहे हों उनसे भी अपील करूंगा कि यह जो धारा ३ है उसका वह अच्छी तरह से अध्ययन करें और जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की कापी लेकर देखें कि हमारा जो उद्देश्य है कि जो जमीन जोतता है वही जमीन का मालिक है उसके ही हाथ में जमीन जानी चाहिये वह उसके हाथ में सही तरीके से ले जाता है या नहीं ले जाता है ? हमारे माननीय मित्र वीरेन्द्रशाह जी यहां पर और इस सदन के बाहर भी जब हम लोग फील्ड में देखते हैं वह इस तरह की बातें किया करते हैं और मैं उनकी दिक्कतों को समझता हूं इसलिये मैं उनसे भी अपील करूंगा कि यह बातें किसी एक फैसले पर ले जाई जायं और यह फैसला यह हो कि जो जमीन जोतता है उसके हाथ में यह जमीन जानी चाहिये। दूसरे इसके बाद सवाल आयेगा कि एक शिकमी काश्तकार है या दो हैं या तीन हैं या चार हैं। एक छोटा काश्तकार अपनी जमीन को शिकमी पर देता है और उसमें शिकमी का नाम दर्ज है तो यह सवाल बाद को आयेगा कि किस तरह से इसको हल किया जाय। मान लीजिये कि किसी काश्तकार के पास ४ एकड़ जमीन है और उसने ३ एकड़ जमीन शिकमी को जोतने के लिये दी है और उस शिकमी असामी का नाम तथा कब्जा १३५९ फ़सली में है तो जो जमीन उसके पास थी, उस पर जो शिकमी लेकर जोतता था उसका नाम उस पर हो गया तो वह पहले वाला कहां जायगा। यह परेशानी पैदा हो जाती है इसको कैसे हल किया जाय। मैं आपके जरिये ऐसे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक दृष्टि को अपने सामने रखें और वह यह है कि " The land should be in possession of the tileer of soil " [भूमि खेत जोतने वालों के अधिकार में होनी चाहिये।] जो जमीन जोतने वाला है उसके हाथ में जमीन जाना चाहिये । यह मानवोचित अधिकार है और उसको यह मिलना चाहिये। आप सारी आबादी को तोलें और सारी सम्पत्ति को तोलें। फिर उसका उचित रूप से भाग कर दें तो सबके पास खाने के लिये, पहनने के लिये, रहने के लिये इन्तजाम हो सकता है किसी भी सरकार का यह कर्तव्य हो कर ही रहेगा। यह हो सकता है कि थोड़े समय के लिये हम इसको टाल दें लेकिन अधिक समय तक इसको टाला

नहीं जा सकता है। यही इस संशोधन का उद्देश्य है और इसी दृष्टिकोण के आधार पर इस संशोधन को पेश किया गया है और इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार करना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनके खाने के लिये, पहनने के लिये, और रहने के लिये इन्तजाम करना सरकार का कर्तव्य है और अगर यह सरकार उनका प्रबन्ध इस तरह से नहीं कर सकती है तो ज्यादा दिन सरकार यहां पर टिक नहीं सकती। यह मानवोचित धर्म है और यह प्रबन्ध किसी भी प्रकार से होकर ही रहेगा। हर मनुष्य की मौलिक आवश्यकतायें पूरी होंगी।

श्री ऐजाज रसूल—जनाब स्पीकर साहब, मैंने बहुत गौर के साथ लीडर आफ़ दि अपोजिशन की स्पीच सुनी। उन्होंने मालूम नहीं कि क्या कहा और क्या समझा इसको मैं कह नहीं सकता हूं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने समझने की कोशिश की वह यह है कि उन्होंने कहा कि उनका थोड़ा बहुत क़ब्जा गासिबाना है। इसमें सवाल यह है कि ५९ फ़सली में जो आदमी जिस जमीन पर काबिज है और मौके पर काबिज पाया जाता है तो उसी शख्स का नाम रिकार्ड में दर्ज हो सकता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैं यह कह रहा था कि यह क़ानून इसलिये बनाया गया है कि जिन काश्तकारों के नाम पटवारी के कागजात में दर्ज नहीं है और जो १३५९ में क़ाबिज हैं उनके लिये यह बनाया गया है। जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरान ने भी अपने नोट आफ़ डिसेंट में लिखा है और उस पर कोई २ राय नहीं हो सकतीं। उन्होंने लिखा है कि "यह बात निर्विवाद है कि इस प्रदेश में ऐसे किसानों की एक खास संख्या है जिनका कब्जा खेती करने के रूप में आराजियात पर अर्से से चला आ रहा है परन्तु उनका नाम कागजात पटवारी में काबिज के रूप में दर्ज नहीं है।" तो ऐसे ही काश्तकारों के लिये यह बिल बनाया गया है। देखना यह है कि १३५९ में जो रिकार्डेड काश्तकार हैं खवाह वह ट्रेंसपासर्स हों या हेरेडिटरी काश्तकार हों वह काश्तकार हो गये। मंशा तो यह था कि जैसे ही जमींदारी बिल पास होता यह भी एनफोर्स होता लेकिन मुक़दमेबाजी की वजह से या दूसरी वजहों से यह एनफोर्स न हो सका। तो अब इस दरम्यान में जिनके नाम दर्ज नहीं थे उनके लिये यह पेश किया गया है। अब जैसा कि हमारे सोशलिस्ट भाई ने अपने नोट आफ़ डिसेन्ट में लिखा है कि जिनके नाम इन्द्राज है उनको तो हक हो और अगर जबरदस्ती काबिज हो तो वह १८० में दावा करे तो बेदखली कराई जा सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें यह मतलब कहां से निकल रहा है कि यह बिल रिएक्शनरी है। जब यह बिल पेश हुआ था उस वक्त तो सोशलिस्ट नेताओं ने कहा कि यह बिल रिवोलूशनरी है और इससे पहले ऐसा बिल कभी नहीं आया और इसको बहुत जल्द पास करना चाहिये और इसमें कोई फ़र्क न होना चाहिये। उस वक्त और सिलेक्ट कमेटी में जाने से कौन सा फ़र्क हो गया वहां तो थोड़ी सी तब्दीली हुई है। जो मुक़दमें १८० और १८३ के चल रहे हैं और जिनकी डिगरी हो गई है वह इसमें नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है अदालत उनका फ़ैसला करेगी। तो मालूम नहीं कि अब यह बिल आपको क्यों ब्लैक बिल नजर आने लगा कल तक तो आप इसको रिवोलूशनरी बिल कहते थे। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी समझ में तो उनके दिमाग में यह कनफ्यूजन हो गया है जिसको वह पहले अच्छा कहते थे उनको अब बुरा कहने लगे। यह बिल पहले भी उन्हीं काश्तकारों के लिये था जिनके नाम आज तक पटवारी के कागजात में

[श्री ऐजाज रसूल]

नहीं हैं और जो १३५९ में मौके पर काबिज पाये जायेंगे और अगर्चे ज़मींदार ने या दूसरे शख्स ने शिकमी काश्तकारों से क़ब्ज़ा ले लिया है बहुत सी मिसालें मेरे ज़िले में हैं। ज़मींदारों ने शिकमी काश्तकारों को, जिनका काग़ज़ात पटवारी में नाम दर्ज नहीं था और जिन्होंने १३५९ फ़सली में बोया था, उनको हटा कर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो यह बिल ज़मींदारों के मुवाफिक़ कहां है? उन ज़मींदारों को हटाया जायगा। यह उनके खिलाफ है और हर उस शख्स के खिलाफ है जिसने ग़रीब काश्तकार को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। अब अगर कमेटी ने यह तय किया कि मौक़े पर अफ़सर जावेंगे, तहसीलदार सेकेण्ड क्लास अफ़सर या फर्स्ट क्लास रेवेन्यू अफसर जायेंगे, और जाकर तहकीकात करेंगे और जो कुछ पाया जायगा उनके नाम मौके पर दर्ज कर दिये जावेंगे। मेरे ख्याल में यह तो बिल ज़मींदारों के खिलाफ़ ही है। हर शख्स चाहता था और मैं भी चाहता था कि अगर उनका नाम दर्ज हो जाय तो मौके पर क़ब्ज़ा दिलवा दिया जाय। लेकिन उसमें कुछ कानूनी अड़चनें थीं और मुश्किलात थीं। उनकी वजह से यह बात पूरी नहीं हो सकी। वरना जिस कदर रिवोल्यूशनरी बिल पहले था वह आज भी है।

अब हमारे सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर साहबान ने यह भी कहा कि साहब, दफा १० का हवाला दे दिया गया और इससे यह बिल बिल्कुल खराब और ग़लत हो गया। हुजूरवाला, जो प्रजेन्ट ऐक्ट है जब तक उसकी तब्दीली नहीं होगी उस वक्त तक ऐक्ट उसके कांट्रेडिक्शन कोई नहीं बन सकता। अगर बनता है तो वह ग़ैरकानूनी होगा। हिफ़ाज़त करने के लिये भी कानून ठीक रहे और उसमें कोई खराबी न रहे इसलिये यह दफा १० लगाई गई है। पहले दफा ५ थी वह बहुत ही वैसी थी जो मज़बूत नहीं थी। मेरे पास अंग्रेजी है उससे मैं पढ़ दूं—

"The entry made in the record of rights in pursuance of section 4 shall be presumed to be correct unless contrary is proved"

[धारा ४ के अनुसार अधिकार अभिलेख में किये गये इन्दराज के विषय में यह परिकल्पना की जायगी कि जब तक वह अन्यथा प्रमाणित न हो, सही है।]

अब दफा ५ जो है वह यह है—

"The entry made in the record of rights in pursuance of section 4 shall be deemed to be correct unless the party challenging proves it to be wrong"

[धारा ४ के अधीन अधिकार-अभिलेख में किया गया इन्दराज सही समझा जायगा जब तक कि उसका विरोध करनेवाला पक्ष (party) उसे ग़लत न प्रमाणित कर दे।] तो यह किस क़दर मज़बूत अल्फ़ाज़ में लिख दिया गया है और एक कंक्लूसिव एवीडेंस मान ली गई है कि अगर कोई काश्तकार मौक़े पर काबिज है तो वह क़ाबिज माना जायगा जब तक कि कोई चैलेंज करने वाला न हो। अब मेरी समझ में यह नहीं आया कि इसमें क्या खराबियां हो गई हैं। ५ रोज में क्या बुराइयां पेश हो गईं? १० तारीख को असेम्बली खत्म हुई और हमारे लीडर आफ़ अपोज़ीशन फ़ौरन चले गये। उन्होंने कानून पढ़ा नहीं और वह आज एकदम पेश हो गया। वह घबरा गये और परेशानी होने की वजह से उन्होंने कोई अमेंडमेंट भी नहीं रखा। इसलिये उन्होंने कहा कि बात कहना जरूरी है और स्पीच देना जरूरी है। उन्होंने बगैर पढ़े हुये यह तक़रीर कर दी।

अध्यक्ष—किसी सदस्य के सम्बन्ध में इतना व्यक्तिगत कुछ नहीं कहना चाहिये विशेषतः इतने विस्तार से।

श्री ऐजाज रसूल---तो उन्होंने यह तक़रीर फ़रमाई। मैंने सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी और उस पर बहुत ग़ौर किया। दफ़ा १८३ का इससे कोई मतलब ही नहीं है। दफ़ा १८० का इससे कोई मतलब ही नहीं है। दफ़ा १८० और १८३ तो उन काश्तकारों के बारे में है जिनके नाम इन्दराज मौजूद है। जिसका नाम दर्ज है उस हर शख्स को अख्तियार है कि वह कानूनी कार्यवाही करे। उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी वाले इस पर ग़ौर करेंगे और जिस खुशी से उनके लीडर साहब ने इस बिल को रिवोल्यूशनरी बतलाया था उसी खुशी के साथ इसको मंजूर फरमायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (ज़िला आज़मगढ़)--- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री राजनारायण सिंह जी ने जो संशोधन रखा है...

अध्यक्ष---श्री राजनारायण ने कोई संशोधन नहीं रखा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वीरेन्द्रशाह जी ने जो संशोधन रखा है उसके ख़िलाफ़ और प्रवर समिति में जो धारा ३ में संशोधन हुआ है उसके ख़िलाफ मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों में व्यक्त किया गया है कि ग़रीब और ऐसे लोगों को इस बिल से राहत मिलेगी जो खेती पर क़ब्ज़ा किये हुए हैं। अगर वीरेन्द्रशाह जी का संशोधन अगर मंजूर करलिया जाता है तो इस बिल का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। मैं भली प्रकार से जानता हूं कि जब से ज़मींदारी अबोलीशन बिल पास हुआ है तभी से हमारे ज़ालिम ज़मींदारों ने किसानों के खेतों पर क़ब्जा करना शुरू कर दिया था। जो ग़रीब हैं वे हर तरह से परेशान हाल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भली प्रकार जानता हूं कि यह जो कानून बनाया जा रहा है उससे उसके सिद्धान्त की पूर्ति भी नहीं होती। देहात में जो ग़रीब लोग हैं वे ज्यादातर हलवाहे हैं जो दूसरों का खेत जोतते हैं। आप इस बात को तो सोच ही सकते हैं कि ऐसे कितने आदमी होंगे जो ज़मींदारों के मुकाबले में अपनी हस्ती को कायम करते हुए खेतों पर कब्ज़ा रखते आये होंगे। इस सदन में यह बिल उपस्थित होने के बाद भी ज़मींदारों ने हर तरह से और काफी संख्या में ऐसे किसानों को खेतों से बेदखल किया है जो अब तक आसामी थे। अध्यक्ष महोदय, इसके मुकद्दमे अदालतों में भरे पड़े हैं। आप देखें तो आपको मालूम होगा कि धारा १०७, ११७ और १४५ के मुकद्दमे अदालतों में भरे पड़े हैं। मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। जो ग़रीब किसान हैं जिनके पास पैसा नहीं रहा, जिसके पास लाठी बैल नहीं रहे तो वह कौन सा ऐसा किसान हो सकता है जिसका लगातार कब्ज़ा ५७, ५८, और ५९ में उसके खेतों पर रहा हो। मेरा ख़याल है और अपने आंखों से देखी कहानी बताना चाहता हूं कि आज भी ज़मींदार उन किसानों को उन खेतों से जो कि उन्होंने ५० सौं वर्षों से उनके हाथों में दे रखे थे, बंदूक के कोनों से मार मार कर बेदख़ल कर रहे हैं। यह तो तब हो रहा है जब कि यह बिल आज सदन में उपस्थित है। तीन साल पहिले की बात तो कौन कह सकता है। तीन साल पहिले तो यह नामुमकिन बात थी कि किसान ज़मींदार का मुकाबला करता। उस समय तो ज़मींदारों की तूती बोलती थी। सरकार और सरकार की पुलिस ज़मींदारों की ही सहायता करती थी। आज भी मैं यह देखता हूं कि जिस तरीक़े से ज़मींदार लोग या बड़े बड़े काश्तकार छोटे छोटे काश्तकारों के खेतों पर ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा कर रहे हैं उसमें भी पुलिस उन्हीं लोगों का साथ देती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ज़िले आज़मगढ़ की बात कहता हूं कि जुलाई से ही हज़ारों दरख्वास्तें हर एक तहसील से जिला मैजिस्ट्रेट के पास पड़ी हैं लेकिन उन दरख्वास्तों की जांच सरकारी अधिकारी नहीं करते हैं और किसान जब खेत में मारे जाते हैं, लाठी खाते हैं और जो खेत बोये

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

हैं उसको अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो जमींदार लोग और बड़े बड़े किसान लोग उसे मारते हैं और लाठियां खाने के बाद जब वह थाने में जाता है तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आजमगढ़ जिले की बात कहता हूं। ... ...

अध्यक्ष---यह जरा असंगत हो रहा है। आप संशोधन के ऊपर आइये।

श्री रामसुन्दर पांडेय--- तो यह संशोधन जो रखा गया है कि लगातार जिनके कब्जे में रहा हो, यह नामुमकिन बात है। मैं इस बिल का जो प्रवर समिति से आया है और जिसे माननीय राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् १३५६ में जिसका नाम कागज में है उसको तो हक मिलेगा लेकिन सन् १३५७, ५८ में जिसका कब्जा न हो उसको यह बिल हक नहीं देता है। सिर्फ १३५९ में जिसका कब्जा है उसको हक मिलेगा, उसका नाम पटवारी के कागज में इन्दराज होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सन् १३५६ के बाद सन् १३५७ और ५८ में हजारों किसान ऐसे हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती है जो जमीन से बेदखल किये गये और उनको इस ऐक्ट से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है और इस बिल का जो उद्देश्य है अगर यही स्वीकार किया जाता है तो वह इससे पूरा नहीं होता है।

श्री शरण सिंह---क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस क्लाज में क्या संशोधन चाहते हैं? सन् १३५९ के बजाय क्या होना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैंने तो संशोधन रखना चाहा था लेकिन अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति नहीं हुई। वह संशोधन आगे आ रहा है लेकिन.....

अध्यक्ष---उसी के ऊपर आप अपनी बात करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जो संशोधन इस वक्त सामने है उसी पर बोलें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सन् १३५७ या ५८ या ५९ किसी साल में किसान का कब्जा हो तो उस पर उसे अधिकार मिलना चाहिये।

राजा बीरेन्द्रशाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी का जो उत्तर सुना उससे मुझे सन्तोष नहीं हुआ। मुझे आपके जरिये यह अर्ज करना है कि जब मैंने और हमारी पार्टी ने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि जिन लोगों का नाम सन् १३५६ में नहीं लिखा गया है कागज में, जैसा कि आप कहते हैं, मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं कि ऐसा हुआ होगा लेकिन जैसा हमारे माननीय मित्र राज नारायण जी ने बतलाया तो हो सकता है कि पूरब में यह हालत हो लेकिन मैं अपनी तरफ की बात कहता हूं कि जितने खाते जमीन के हैं वे बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे खाते नहीं होते हैं लिहाजा उनको शिकमी पर उठाये जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है जहां ऐसे काश्तकार या ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती बेदखल किये गये हैं या ऐसे लोग रह गये हैं जिनका नाम सन् ५६ में नहीं लिखा गया है। फिर भी अगर सरकार यह मानती है कि ऐसे लोग रह गये हैं तो उन्हीं लोगों के लिये यह संशोधन किया जा रहा है। सन् ५६, ५७ और ५८ के अलावा यदि ५९ में कब्जा मिल गया तो ५९ में गासिबाना कब्जा करने वाले लोग ही होंगे। मेरे मित्र चाहते हैं कि जिन्होंने काश्तकारों की जमीन पर, भूमिधरों की जमीन पर

जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनको पहले हक मिले। यह आपका उसूल नहीं है। आपका उद्देश्य यह है कि वे ग़रीब किसान जिनका नाम पटवारी के कागज में लिखने से रह गया है, जिनके छोटे छोटे खेत हैं, जो बटाई पर जमीन उठाते हैं उनका नाम कागज के अन्दर आ जाना चाहिये। यही इस बिल का मक़सद है लेकिन आज इस बिल से उन लोगों का नाजायज फायदा हो रहा है। श्रीमन्, जिन्होंने किसानों और भूमिधरों की जमींनों पर जबरदस्ती कब्जा इसलिये कर लिया है क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार के यहां स्टे आर्डर होता है तो वह कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है और १३५६ फ़सली में जिन्होंने गासिबाना क़ब्जा किया था उनको जमीन दिला दी। तो मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि सरकार ने गोंडा जिले के उतरौला तहसील में इसका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियन्स किया था। वहां यह सवाल उठा था, वहां पर काश्तकार थे उन्होंने सवाल उठाया था बहुत से माननीय सदस्य हैं जो उधर के हैं वे सब जानते हैं कि वहां सरकार की ओर से कार्य भी किया गया और इसकी कोशिश की गई कि सही रूप में जिनका कब्जा हो उनके नाम से जमीन लिखी जाय और वहां पर सेटिलमेंट हो लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां का हर एक आदमी जानता है कि वहां पर सरकार कामयाब नहीं हुई और वहां पर उन लोगों से जबरदस्ती कब्जा नहीं ले सके। हमारे माननीय लाल टोपीवाले भाइयों, सोशलिस्टों ने भी कोशिशें की कि नाजायज तरीके से जिनकी जमीनें नहीं थीं उन पर लोगों के नाम लिखा कर जबरदस्ती कब्जा कर दिया जाय। और उसमें सरकार को बड़ी अड़चनें आईं। यह सब रिकर्ड में है, सरकार को अनुभव है उसके बाद भी अगर सरकार चाहती है कि ऐसे गोलमाल में रख कर अदालत में चाराजोई हो और लोगों को लड़ाया जाय प्रान्त में बेचैनी हो तो मैं क्या बताऊं मेरी समझ में नहीं आता क्या इसका नतीजा होगा। प्रवर समिति में सरकार की ओर से जो सदस्य थे मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा कि इससे गांवों में बेचैनी होगी गांवों में झगड़े बढ़ेंगे अदालतों में मुकदमेबाजी बढ़ेगी लेकिन इस सबके होते हुये भी माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि इससे गासिबाना कब्जे वाले कैसे वंचित रहेंगे वे कैसे इससे फायदा नहीं उठायेंगे। मैं तो इतना चाहता हूं कि मंत्री जी यदि यह बता देते कि इससे कैसे गरीब किसानों का फायदा होगा जो दरअस्ल बराबर १३५६ फसली से बराबर जोतते चले आये हैं और १३५९ तक लेकिन उनका नाम इन्दराज पटवारी के कागजात में नहीं है और अगर वह साबित नहीं कर पाते तो फिर उनको किसी प्रकार का हक नहीं होना चाहिये और यह कह देना सरासर अन्याय और अनुचित है। हमारे भाई राजनारायण जी ने जो कुछ कहा उनके लिये तो मैं यही उत्तर देता हुं कि उनका एक सिद्धान्त है रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैण्ड चाहे गासिबाना हो चाहे वैसा ही हो उनका सिद्धान्त खुला हुआ है कि जबरन ले लिया जाय और डिस्ट्रीब्यूशन हो, श्रीमन् मैं उनके इस सिद्धान्त को मानने के लिये इस समय तैयार नहीं हूं और न उनकी दलील को ही जब तक कि उनकी सोशलिस्ट सरकार न बने और वह अपने सिद्धान्त को कार्य रूप में परिणित न करें और जब तक यह नहीं होता उनका यह कहना व्यर्थ है उससे कोई लाभ नहीं हो सकता लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि हर आदमी मानता है कि जब तक हमारा संविधान है प्राइवेट प्रापर्टी का सिद्धान्त रहेगा और तब तक चाहे वे सोशलिस्ट हों और चाहे कांग्रेस वाले हों और चाहे और कोई जब तक वह संविधान को मानता है और जिसके लिये उसने यहां सौगन्ध खाई है और खाकर मेम्बर बना है तब तक वह यह नहीं कह सकता कि रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड इस तरह से गासिबाना कब्जा करके करो। जब तक संविधान में संशोधन न हो जाय तब तक उनका कहना व्यर्थ है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अनलाफुल भी है। तो श्रीमन् मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि जब देश में प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी का सिद्धान्त न रहेगा उस समय हम भी उनकी तरह से हो सकते हैं लेकिन

[राजा वीरेन्द्र शाह]

इस समय तो हम उनके सिद्धान्त को नहीं मान सकते। तो मैं आपके जरिये से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को यह समझना चाहिये कि जिस उद्देश्य से यह बिल आया है और जिनके फायदे के लिये यह बिल लाया गाया है कहीं उससे नुक़सान न हो। अगर माननीय मंत्री जी इस बात का इत्मीनान दिला देते कि ऐसा नहीं होगा तो मैं अपने संशोधन को पेश करना आवश्यक न समझता। हमारा संशोधन इस बात को कहता है कि जब तक कोई ५७, ५८ और ५९ फसली में काबिज नहीं है वह गासिबाना कब्जा है और तब तक कभी भी उसका नाम कागज पर नहीं लाना चाहिये। यह मैं संशोधन अपना पेश करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं शुरू में निवेदन कर चुका था माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता और जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया था अगर उनका संशोधन स्वीकार हो जाय तो किसानों को बजाय फायदे के उलटे नुकसान होगा और उनका जो आशय है वह तो शायद पूरा हो जाय लेकिन सच्चे माने में जो किसान है वह महरूम हो जायेंगे। आज कानून यह है कि जो अपने आपको किसान साबित कर दे, जो काश्तकारी का मुआहिदा साबित कर दे चाहे वह मुआहिदा जबानी ही हो तो उसको भी हक मिल सकता है। गरज वाकई यह है कि सौ में ५० मामले ऐसे होते होंगे जहां तहरीर न हो और जबानी शहादत की बिना पर मुआहिदा साबित हो जाय लेकिन सौ में ५ केसेज ऐसे जरूर है। आपका अगर संशोधन मान लेते हैं तो जबानी शहादत बिलकुल गैरमुताल्लिक हो जाता है, इनऐडमिसिबिल हो जाता है, उसको अदालत सुनेगी नहीं क्योंकि आपका कहना यह है कि अगर लिखित रजामन्दी हो तभी वह अधिवासी करार दिये जायं वरना नहीं तो इसलिये आपका संशोधन स्वीकार करने का सवाल होता नहीं है। आपका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ५८ और ५९ तक लगातार काबिज हो यह साबित करे और वह ठीक नहीं है तो इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

अब एक बात जिसपर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि चाहे संशोधन स्वीकार करो या न करो लेकिन कोई तरकीब ऐसी होनी चाहिये कि जिससे गासिबाना कब्जे का खतरा दूर हो जाय। उधर से माननीय राजनारायण जी और माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने जो तकरीरें की उन्होंने इस बात को साफ तो नहीं किया लेकिन शायद वे इस हद तक जाने को तैयार हैं कि गासिब को भी हक देना चाहिये। जहां तक गवर्नमेंट की पोजीशन है हम किसी प्रकार भी गासिब को अख्तियार नहीं देना चाहते हैं। यह सीधी सी बात है कि १३५६ फस्ली में बिला तसफिया लगान जो लोग दर्ज थे उनको काश्तकार मानते थे और मानते हैं इसलिये हमने उनको अख्तियार दिया। जिन लोगों के नाम पटवारी के कागजात में दर्ज नहीं है १३५६ फसली में या उससे पहले तो वह गासिब हो, ट्रेसपासर्स हो ऐसा हम लोग नहीं मानते। जितने भी जनसेवी हों चाहे वह किसी पार्टी से संबंध रखते हों जो कि जनता में काम करते हैं वे इस बात को मानते हैं कि काश्तकार होते हुये उनको लगान की रसीद नहीं दी जाती बहुत लोगों के नाम काश्तकारी में कागजात में दर्ज नहीं है और जमींदार अपना दबाव रखने के लिये उनको रसीद नहीं देते और बिला तसफिया लगान उसमें दर्ज है। यह बात नहीं है कि यह पब्लिक वर्कर की राय है बल्कि जमींदारी अबालीशन ड्राइव के सिलसिले में जब मैं एक डिवीजनल हेडक्वार्टर में गया तो वहां पर एस० डी० ओ० तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सब मौजूद थे। वहां पर यह बात हुई कि जो लोग बिला तसफिया लगान दर्ज हैं उनमें ९८ फीसदी दरवाक्य काश्तकार हैं तो इस तरह से जो बिला तसफिया लगान के काश्तकार थे उनको हमने अख्तियार दे दिया। इसके मतलब यह नहीं है कि हमने जानबूझ कर गासिब लोगों को अख्तियार दे दिया। तो जो सिद्धांत कांग्रेस का था उसी सिद्धांत पर अब भी हम कायम हैं। अब सवाल यह हो सकता है कि १३५९ में आप काइ रहे हैं कि कल्टीवेटरी

पजेशन जिनका है, जिनका खेती के रूप में कब्जा है उनको आप क्या देने जा रहे हैं ? उसमें दो बातें विचारणीय हैं। एक तो यह कि दफा ५(अ) में साफ कर दिया गया है कि १८० और १८३ के जो मुकदमे चल रहे होंगे, जिस जमीन को बाबत चल रहे होंगे, उस जमीन से इस कानून का कोई वास्ता नहीं होगा। वह जो कि रेगुलर प्रोसीडिंग्ज जिस तरह से होती हैं, जिस तरह का जाब्ता है, जिस तरह का कानून है उस कानून के मातहत मुकदमे चलेंगे। दोनों फरीक शहादत दें और जिसके हक में सबूत ज्यादा हो जाय, और जिसके हक में अदालत फैसला कर दे उसको वह जमीन मिल जायगी। १८० और १८३ के जो मुकदमे बेदखली के दायर हुये हैं वह उनके खिलाफ हुये हैं जिन्होंने किसी जमींदार की सीर पर या काश्तकार की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। १८३ के बहुत ज्यादा मुकदमे हैं और १८० के मुकदमों की तादाद काफी है। अगर वाकई गासिब हैं तो उन पर मुकदमे दायर हो चुके हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जो लोग आज बिला तसफिया लगान दर्ज हैं, जिन पर मुकदमा दायर नहीं हुआ है और जिन का इंदराज किसी प्रकार का नहीं है वह ९९ फीसदी सच्चे मानी में गासिब नहीं हैं। अपनी जमीन पर कोई शख्स किसी को गस्ब करता हुआ देख ले और दावा न दायर करे यह मनुष्य के स्वाभाव के विपरीत है।

राजा वीरेन्द्रशाह--मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

आपका यह कहना तो ठीक है। लेकिन स्टे आपने करवा दिया था उस बीच का क्या होगा ?

श्री चरण सिंह--जो स्टे हुआ, तो जो मुकदमे ऐसे थे जो खारिज होने चाहिये थे वह तो खारिज हो गये। बहुत से मुकदमे खारिज हो गये। लेकिन जो चलने वाले हैं, जमींदारी अबोलीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत वह चलेंगे। वह तो सीधी सी बात है तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर वाकई सच्चे मानो में कोई आदमी बिला किसी अख्तियार या रजामन्दी या हक या कानून के किसी की जायदाद पर कब्जा करता है तो वह जायदाद का मालिक या खातेदार चुप नहीं बैठता। वह दावा दायर कर देता है। ऐसे दावे दायर हो चुके। उसको हमने इस कानून की जद से निकाल दिया लेकिन फिर भी हो सकता कि कुछ लोग ऐसे रह गये हों। मैं माननीय सुरेश प्रकाश सिंह और माननीय वीरेन्द्रशाह की दलील को कुछ हद तक स्वीकार करता हूं कि मुमकिन है कि कुछ ऐसे लोग रह गये हों जो वाकई गासिब हों और उन पर दावा दायर न हो। लेकिन ऐसे केसेज सौ में एक होंगे। अब अगर इस कानून में रखते हैं कि जो लोग गासिब हैं उनको हक न दिया जाय और जो गासिब नहीं है उनको हक दे दिया जाय तो वही रेगुलर प्रोसीडिंग्ज चलेंगी और उसमें मुझे पूरा यकीन है कि सभी गासिब हो जायेंगे। फिर किसी को हक नहीं मिलेगा। तो ९९ फ़ीसदी जो ऐसे हैं जो सच्चे मानो में काश्तकार हैं वह भी गासिब होने के कवर में बेदखल हो जायेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि ९९ फीसदी जो सच्चे मानो में काश्तकार हैं उनको हक मिल जाय और चाहे एक फ़ीसदी गासिब जो हैं उनको भी मिल जाय बजाय इसके कि एक फीसदी गासिब निकालने के लिए ९९ फीसदी सच्चे मानी में जो काश्तकार हैं उनको भी बेदखल कर दिया जाय।

जहां तक उसूल का सवाल है हम गासिबाना कब्जे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। किसी तरह, किसी भी समाज में संतुलन कायम रह नहीं सकता, कानून के जरिये आप चाहे कितने ही क्रांतिकारी कदम उठायें, इम्परफ़ेक्ट टाइटिल हो उसको आप परफ़ेक्ट टाइटिल दे दें, लेकिन जानबूझ कर ट्रेसपासर को राइट दें यह मुनासिब नहीं है न हम ऐसा करने जा रहे हैं न हमने ऐसा किया है। इसलिये ट्रेसपासर के सिलसिले में जो गलतफ़हमी है वह मिट जानी चाहिये। लेकिन किन्हीं ट्रेसपासर को अगर कब्जा मिल रहा है तो इस वजह से कि चूंकि उनको मिल रहा है हम यह डिफाइन कर दें कि उनको हक न मिले, तो ९९ फीसदी सच्चे मानी में जो काश्तकार हैं वह भी महरूम हो जायेंगे। लेकिन चूंकि दावे हो चुके हैं, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, मैं केवल दोहरा रहा हूं तो उनके दावे उस कानून की जद से बाहर हैं।

[श्री चरण सिंह]

जहां तक कि राजनारायण और श्री रामसुन्दर पांडेय की तकरीर का वास्ता है तो वह तो ऐसी है कि जो कहीं भी आम भाषा में देहात में दी जा सकती थी, यह किसी भी बाजार के कोनों से दी जा सकती थी और जमींदारी अबोलीशन पर एक आम दी जा सकती थी कि टिलर आफ दि स्वायल को दीजिये। कोई खास बात उन्होंने नहीं कही जिसका मैं जवाब देना जरूरी समझूं कोई अमेंडमेंट उनके हाउस के सामने है नहीं जब वाकाया उनका कोई संशोधन आयेगा तो मैं अपने विचार प्रगट करूंगा।

जहां तक वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन का संबंध है वह मुझे स्वीकार नहीं है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित नया खंड ३ रख दिया जाय--

"३--प्रत्येक व्यक्ति जो १३५८ फ़सली से १३५९ फ़सली के अन्त तक लगातार किसी भूमि पर उस के खातेदार की लिखित रजामन्दी से खेती करने के रूप में काबिज़ हो, किन्तु ऐसा व्यक्ति न हो, जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम (जिसे यहां पर आगे चल कर उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा १९ से २१ तक के अधीन भूमिधर, सीरदार, अधिवासी या असामी हो गया हो, यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो, तो निश्चित दिनांक से अधिवासी होगा और वह उक्त अधिनियम के अधीन अधिवासी को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उनपर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे।

स्पष्टीकरण--यदि कोई व्यक्ति उक्त भूमि पर भाग-बन्ध की (मार्टगेजी विद पजेशन) या ठेकेदार के रूप में या सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार के नौकर के रूप में खेती करता हो, अथवा खेती का काम वास्तविक रूप में करने में, सम्बद्ध भूमिधर या सीरदार को केवल सहायता करता हो या उसके साथ साझेदारी के रूप में काम करता हो, तो उस के संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह उक्त भूमि पर खेती करने के रूप में काबिज है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रवर समिति द्वारा उपस्थित खंड ३ की प्रथम पंक्ति में सन् '१३५९' के बजाय निम्नलिखित रखा जाय, यह संशोधन पेश करता हूं।

"(क) १३५७, या (ख) १३५७ और १३५८, या (ग) १३५७, १३५८ तथा १३५९ में लगातार।"

अध्यक्ष महोदय, जैसी कि हमारी ओर से आशंका प्रगट की गयी थी कि उद्देश्य और कारणों में किसानों के साथ जितनी हमदर्दी प्रगट की गयी थी जो कि असहाय और निर्धन है और मुकदमा नहीं कर सकते, लेकिन आज इस विधेयक की धारा ३ जो प्रवर समिति द्वारा दी गयी है उसमें सिर्फ़ १३५९ फ़सली का जिक्र है और उसका जिक्र होने के कारण यह एक तथ्य है कि जबसे जमींदारी अबालोशन बिल इस सदन के सामने पेश हुआ था। उसी समय से जमींदारों ने किसानों से ज़मीनें लेना शुरू कर दिया इसके पहले भी जबकि बजटके ऊपर भाषण हो रहे थे या गवर्नर महोदय के प्रस्ताव पर भाषण हो रहे थे हम लोगों ने इस संबंध का एक संशोधन भी उपस्थित किया था कि जितने भी १५ अगस्त, सन् ४७ के बाद पट्टे वगैरह दिये

गये थे वह वापस ले लिये जायं। उस समय यही कहा गया था कि अब जमींदारों के पास जमीन ही कहां रह गयी। यहां फिर भी वही कहना पड़ता है कि १३५९ फसली तक ऐसी जमीन किसानों के हाथ में रह ही नहीं जावेगी जिनकी रक्षा की जा सकेगी। जहां तक इस बिल की धारा की मंशा थी वह तो बहुत उचित है, लेकिन बिल जैसा कि उपस्थित किया गया है उसमें अगर केवल १३५९ फसली ही रख दिया जाय तो उससे गड़बड़ी हो सकती है।

इस सदन में जब से जमींदारी अबालीशन बिल पेश हुआ था तभी से जमींदार समझ गये कि अब किसी न किसी तरह से हमारी जमींदारी का खात्मा होने वाला है।

श्री चरण सिंह---मुझको अभी संशोधन की प्रति भी नहीं मिली है।

अध्यक्ष--मैं अभी भिजवाये देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---तो जमींदार यह समझने लगा था कि अब हमारी जमींदारी का खात्मा होने वाला है और जायज और नाजायज तरीके से जहां तक वह जिस भूमि पर कब्जा कर सके कोशिश की और लाखों और हजारों किसानों को इस तरह से परेशान किया गया। जहां तक १३५६ फस्ली का सवाल है, इसके संबंध में हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में उन किसानों के संबंध में कुछ व्यवस्था की भी गयी है। मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिये कोई किसान १३५७ फस्ली में खेती करने के रूप में किसी जमीन पर काबिज रहा हो और जमींदार ने यह सोच कर कि अब जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पास होने वाला है, हम इस भूमि से वंचित होजायेंगे, उसको १३५७ फस्ली के बाद बेदखल करार दिया हो, तो अब इस अधिनियम से किसको फायदा होगा। १९५७ और १३५८ में जबरदस्ती कब्जा करके १३५९ में जो शख्स काबिज होगा वह तो जमींदार ही होगा जिसका मुकाबला वह गरीब किसान नहीं कर सका होगा। इस तरह से १३५९ में अधिकांश जमीनों पर जमींदार काबिज होंगे ही चाहे उनका नाम लिखा हो या न लिखा हो। इस बिल की मंशा यह है कि किसानों के साथ साथ हरिजन, पीड़ित और असहाय किसानों की मदद की जाय लेकिन विधेयक १३५९ फस्ली होने से यह जमींदारों के हक में चला जाता है, अत्याचारियों और जालिमों के हक में चला जाता है। इसलिये अगर माननीय राजस्व मंत्री कृपा करके मेरा यह संशोधन मान लेते हैं, तो उनका मसला तो हल ही हो जायगा उसके साथ ही साथ इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों की पूर्ति भी हो जायगी। इस संशोधन का साफ साफ मतलब यह है कि अगर एक किसान १३५७ फस्ली में काबिज रहा है और बाद के सनों में काबिज नहीं रहा है तब भी जो मैजिस्ट्रेट वहां मौके पर जाय वह उसका नाम इंद्राज कर दे। अगर कोई किसान १३५७ और १३५८ में लगातार काबिज रहा है और १३५९ में बेदखल हो गया है तब उसका भूमि पर कब्जा करा दिया जाय और १३५७, १३५८ और १३५९ फस्ली में अगर उसका लगातार कब्जा रहा है तब उसका नाम पटवारी के कागजात में इन्द्राज कर दिया जाय जब इस संशोधन को मान लिया जायगा तभी सही मानों में जो विधेयक के उद्देश्य कारण हैं वे सफलीभूत होंगे केवल १३५९ फस्ली के रहने से यह विधेयक बिलकुल ही अपने उद्देश्य और मंशा के विरुद्ध चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं आशा करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधन को मान करके इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को सही मानों में चरितार्थ करने का प्रयत्न करेंगे।

अध्यक्ष---मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने अपना एक संशोधन भेजा है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो कि १३५७ या १३५८ या १३५९ इत्यादि" तो उनका और आपका, दोनों का उद्देश्य एक ही मालूम होता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——जी नहीं, उनका उद्देश्य माननीय राजस्व मंत्री के साथ चला जाता है।

अध्यक्ष——माननीय रामसुन्दर पांडेय का संशोधन यह है कि १३५७ या १३५८ या १३५९ और आप के संशोधन में हैं १३५७, १३५८ या १३५७, १३५८ और १३५९....।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——लगातार भी है।

अध्यक्ष——लगातार है मगर मतलब यह है कि अगर एक भी संशोधन हो तब भी काम चल जायगा। मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा दोनों को मिलाकर एक ही संशोधन लिया जाय। आप का संशोधन ले लिया गया है। अब उनके संशोधन को लेने की जरूरत नहीं है।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, जो अभी संशोधन पेश किया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपका संशोधन यह है कि १३५७ में काबिज हो और जो १३५७ के खंड में या उसके बाद बेदखल हो गया हो या १३५७ और १३५८ दोनों साल में काबिज रहा हो और बाद में बेदखल हो गया हो, या १३५७, १३५८ और १३५९ तीनों में काबिज रहा हो और बेदखल हो गया हो। यह तीन आपने मुद्दतें रखी हैं, एक एक साल की दूसरी दो साल की और तीसरी तीन साल की। जहां तक यह बाद की लम्बी मुद्दत है १३५७, १३५८ और १३५९ में भी काबिज हो तो यह तो विधेयक में ही है कि १३५९ में काबिज हो, चाहे १०० साल से काबिज चला आ रहा हो या अकेले १३५९ में ही हो तब तो विधेयक के शब्दों में यह आ जाता है। १३५७ से १३५९ तक काबिज हो तो जब आपने १३५९ रख दिया है तो वह गैर जरूरी हो जाता है.....

श्री राजनारायण——अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा हम यह कहते हैं कि कोई शख्स १३५७ और १३५८ में काबिज था और बाद को बेदखल हो गया हो तो सरकार उसको कब्जा नहीं दिलायेगी। क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि वह बेदखल कैसे हो गया होगा?

श्री चरण सिंह——जबरदस्ती हो गया होगा। मैं अर्ज कर रहा था कि १३५९ में जो काबिज है उसको हक देने के लिये ही यह विधेयक आ रहा है उसका जिक्र खंड ३ में है और कुछ सालों का जिक्र करना रिडेंडेंट है इरैलेवेन्ट है, और अननैसेसरी है। यह काश्तकारों के हकूक के लिये घातक है। इससे तो उस पर और भी बोझा पड़ जायगा और उसका भार बढ़ जायगा। यह तो उसको बजाय आराम देने के उल्टे नुक्सान देने वाला है। जब अकेले १३५९ में काबिज होने पर ही यह विधेयक हक देने को तैयार है फिर आप इसमें १३५७ में काबिज हो, १३५८ में काबिज हो यह और क्यों रखते हैं। अगर आप यह रखते कि १३५७ या १३५८ तब तो कुछ संगत बात होती, कुछ कंसिस्टेंट बात होगी तो १३५७ वाले को कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिये १३५७ या १३५८ यह होना चाहिये था। अब हमें गौर यह करना चाहिये कि हम १३५९ वाले को हक दे रहे हैं चाहे पहले से वह काबिज हो या न हो। १३५६ वाले को जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था विधेयक कानून हक दे रहा है। अब देखना यह रहा है कि १३५७ में काबिज रहा है या १३५८ में रहा है और बीच में बेदखल हो गया तो उसको हक दिया जाय या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है या गवर्नमेंट का संबंध है तो जो आशय इस संशोधन का है उससे मेरी पूरी हमदर्दी है। लेकिन कठिनाइयां हमारे सामने थीं।

एक तो यह कि १३५७ या १३५८ में जबरदस्ती बेदखल हो गया। आपने आगे लिखा है कि यदि उसने स्वेच्छा से उक्त भूमि को छोड़ न दिया हो तो यहां पर स्वेच्छा कहां है जबरदस्ती बेदखल हुआ। फिर जमीन दूसरे काश्तकार को अच्छा नजराना लेकर दे दी और दूसरे ने तीसरे को दी और दूसरा वाला भूमिधर बन गया और उसको राईट आफ ट्रांसफर का हक है

तो फिर हम ट्रांसफर को बेदखल करें और उसको दिलायें तो इंडिविजुअल के साथ तो न्याय होगा, हमदर्दी होगी, लेकिन जो उथल पुथल होगी दूसरे के साथ या जिसको जमीन दे दी तो उससे जमीन लेने से उसके साथ इन्जस्टिस होगी तो इस तरह से एक के साथ जस्टिस होती है और दूसरे के साथ इन्जस्टिस होती है और जहां तक सोसायटी का सवाल है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जमीन पहले वाली काश्तकार 'ए' के पास रहे या 'बी' के पास रहे, अगर हम आपके इस संशोधन को नहीं मानते तो मतलब केवल यही होता है, नतीजा यही निकलेगा कि जो बेदखल शुदा काश्तकार हैं जमीन उसके पास आये और आपके इस संशोधन के मान लेने से पहले के साथ जस्टिस होता है और दूसरे के साथ इन्जस्टिस। लेकिन अगर नहीं मानते और दूसरे ही काश्तकार को उस जमीन पर सेटल कर दिया गया, वही रहता आता है तो जहां तक सोसाइटी का सवाल है उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसमें कठिनाई बहुत होगी। दूसरे यह कि इन्दराज तो है नहीं उन लोगों का, जिन लोगों का इन्दराज था ५७ में उनको बेदखल कर दिया तो वे तो १८३ का दावा दायर किये हुये हैं। यह तो विधेयक आया है उन लोगों के लिये जिनके नाम दर्ज नहीं है। जब नाम दर्ज नहीं है १३५७ में और अब आप चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर ६० में जाकर तफतीश करे, मौके पर जा कर शहादत ले और नतीजा यह होगा दोनों तरफ के फरीक आयेंगे, अफ़सर मौके पर जा कर मुश्किल से इस नतीजे पर पहुंच सकेगा कि किसका कब्जा जून, सन् ५२ में था जब कि आप यह चाहते हैं कि तीन साल पहले किसका कब्जा था। वह बड़ी मुश्किल बात हो जायगी। प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह है कि दो साल, तीन साल या चार साल पहले कब्जा उन लोगों का था जिनका नाम इन्दराज नहीं है और जो निस्बतन कमजोर और निर्बल काश्तकार है उनके मुताल्लिक मौके पर जाकर यह मालूम कर लेना कि वही असल में काबिज था यह बड़ी मुश्किल बात होगी। हम इसी में धन्य मानेंगे कि ५२ में जिनका कब्जा था डिप्टी कलेक्टर साबित कर दे और लिख दे कि फलां का कब्जा था। जहां तक माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन का आशय है मैं पूर्णतया उससे सहमत हूं, मैं चाहता था कि किसी प्रकार यह चीज हो जाय लेकिन अमल में बहुत कठिनाइयां हैं। इसलिये हमने उसे रक्खा नहीं। जब बिल तैयार हो रहा था हमने यह विचार किया कि ५६ में जिनका कब्जा है उन सबको अख्तियार मिल जाय लेकिन जब विचार किया तो मालूम हुआ कि अमल में बहुत कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं कि शायद मैं अपने मतलब को समझा सका और जो मेरे दोस्त मेरी दूसरी तरफ बैठे हुये हैं उनको शायद यह यकीन हो कि मुझे वाकई हमदर्दी है लेकिन उसमें कठिनाइयां हैं, इसलिये हम ऐसा न कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि कभी कभी आशायें दुराशामात्र ही सिद्ध होती हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जहां तक मेरे संशोधन की मंशा का संबंध है राजस्व मंत्री ने उसे माना। उन्होंने दलील दी कि व्यक्तिगत इंट्रस्ट (स्वार्थों) में उथलपुथल होगी, एक व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा। परन्तु समाज के साथ नहीं यही हमारा और राजस्व मंत्री का मतभेद है। हम एक इंडिविजुअल और समाज मे अन्तर करना चाहते हैं, समाज के फायदे का जहां तक सवाल है उस पर कोई असर न पड़ेगा परन्तु ग़रीब व्यक्ति तो बर्बाद हो जायगा। इसलिये हम इस मामले में उनसे मतभेद रखते हैं। दिक्कतें ज़रूर होंगी, परेशानियां ज़रूर होंगी, लेकिन हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वह यही है कि ५९ में पहुंचते पहुंचते जो कब्जे हुये हैं इस बात को जानते हुये कि जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट पास होने वाला है तो वे किसानों के नहीं हुये होंगे, बहुत ही कम केसेज में किसानों के कब्जे रहे होंगे, ज्यादातर जमींदारों के ही हुये होंगे। मंशा जो विधेयक का मालूम होती है, उस दृष्टिकोण को सामने रख कर आमतौर से यही ज़ाहिर होता है कि किसानों की तरफदारी की गई है, लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता। अतः मैं भी मजबूर हूं कि मैं इस संशोधन को वापस न लूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् ५७ और ५८ सुपरफ्लुअस मालूम होता है, कानूनी हैसियत से अगर वह सुपरफ्लुअस है और मेरे संशोधन का जो उद्देश्य है उसे राजस्व मंत्री

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

कबूल करते हैं तो मैं जिस तरह से वे चाहें मैं संशोधन तैयार कर लूं लेकिन मूल संशोधन को वापस ले लूं, इसे मानने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, जहां वह मजबूर हैं इस संशोधन को वापस लेने के लिये उसी प्रकार मैं भी मजबूर हूं इसका विरोध करने के लिये ।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में संख्या "१३५९" के बजाय निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(क) १३५७ या (ख) १३५७ और १३५८ या (ग) १३५७, १३५८ तथा १३५९ में लगातार"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

राजा वीरेन्द्रशाह---अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों की कापी हमको भी मिलनी चाहिये ।

अध्यक्ष---यह संशोधन छोटे छोटे हैं और तत्काल ही आये हैं । इस वजह से इनकी कापी तैयार नही हो सकी है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ३ में 'प्रत्येक व्यक्ति' के आगे "जो १३५७ या १३५८ या १३५९ फ़सली में किसी भूमि पर खेती करने वाले के रूप में काबिज हो" इस प्रकार शब्द रख दिये जायं ।

राजा वीरेन्द्रशाह---यह तो उसी पहले संशोधनों की तरह से है ।

अध्यक्ष---यह त्रिपाठी जी के संशोधन से अधिक स्पष्ट है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---यह संशोधन यह बतलाता है कि जो ग़रीब हैं और बड़े बड़े किसानों का और बड़े बड़े ज़मींदारों का या किसी प्रकार के और लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं उनको इस संशोधन से लाभ होगा और उनको भी हक़ मिलेगा । मैं आप के ज़रिये से माननीय राजस्व मंत्री जी से यह बतलाना चाहता हूं कि जो शब्द उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में कहे थे कि मैं सोशलिस्टों से किसी तरह से पीछे नहीं हूं तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि इस बिल से निःसहाय और ग़रीब लोगों को इस अधिनियम से बहुत लाभ होगा । लेकिन अध्यक्ष महोदय १३५६ के बाद जब ज़मींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तभी से और उसके पहले से जमींदारों ने हर तरीक़े से किसानों को बेदखल करना शुरू किया । १३५६ के बाद और १३५७ और १३५८ में बहुत ज्यादा लोगों को बेदखल हमारे प्रदेश में किया गया है । इस विधेयक के जरिये से १३५९ के लोगों को काबिज माना जाता है । इससे बिलकुल ७,८ फीसदी लोगों को फायदा होगा और ९२,९३ फीसदी लोगों को इससे लाभ नहीं होगा । मैं भली प्रकार जानता हूं कि जिन किसानों के पास पैसा नहीं रहा है और हर तरह से निःसहाय हैं और किसी प्रकार का बल नहीं है और बड़े बड़े किसानों के साथ मुकाबला करने की शक्ति नहीं रही वह सब बेदखल कर दिये गये हैं उन सबको लाभ होना चाहिये । मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप सही मायनों में किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो उन छोटे छोटे किसानों को जिनके पास खेत नहीं हैं अगर उनको लाभ आप पहुंचाना चाहते हैं तो यह मेरा संशोधन, जिसमें १३५७ या १३५८ या १३५९ में किसी एक साल खेत पर काबिज रहने की बात कही गयी है इसको आप मान लें तो मैं समझता हूं इससे हमारे प्रदेश के अन्दर करोड़ों किसानों को लाभ होगा । जो सब तरह से ग़रीब हैं और बड़े बड़े किसानों और ज़मींदारों का मकाबला नहीं कर सकते हैं उन सब को लाभ होगा ।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, यह तो जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था यह संशोधन पहले संशोधन से बेहतर है और युक्ति युक्त है लेकिन जो दलील मैंने पहले संशोधन के विरोध में दी थी वह सब इसके लिये भी अभी तक कायम हैं अर्थात् अगर १३५७ में बेदखल हो गया और दूसरे किसान के पास वह जमीन चली गई और उसमें वह भूमिधर बन गये तो उन सबको मुन्तकिल करना है और उन सबको बेदखल करना होगा और दूसरे यह कि जो यह मुद्दत पीछे की लगाई जाती है इसके मुताल्लिक़ क़ब्जा तय करने में बहुत मुश्किल पैदा होगी क़यास जो रखा है कि असिस्टेंट कलेक्टर मौक़े पर इन्द्राज कर दें, यह क़यास किया जायगा कि वह इन्द्राज सही है, तो क़ब्जे के प्वाइंट को जितना पीछे ले जायेंगे उतना ही वह क़यास निर्बल और कमजोर होता चला जायगा । इसलिये मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय रामसुन्दर जी ने आप के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं । यह संशोधन ऐसा है और इस बात को मान लेने से मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य माननीय माल मंत्री जी अपना जाहिर करते हैं वह पूरा होगा । बड़ी खुशी की बात है कि सदन ने इससे पहले माननीय वीरेन्द्रशाह जी के संशोधन को अस्वीकार कर दिया है । यदि कहीं वह पास हुआ होता तब तो इस बिल के प्राण ही निकल गये होते । अब इस समय मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सन् १३५७---५८ और ५९ तीनों वर्ष के क़ाबिज लोगों का अधिकार मान लेने से थोड़ी कठिनाई जरूर बढ़ती है लेकिन बहुत बड़े तबक़े को जो अपने हक़ों से वंचित किया जा रहा है उसको राहत मिलेगी । मैं ऐसा समझता हूं कि सम्भवतः माननीय माल मंत्री जी की जानकारी में यह बात होगी कि १३५९ फ़सली एक छीनाझपटी का वर्ष रहा है क्योंकि १३५९ फ़सली और पहली जुलाई जैसे-जैसे क़रीब आती गई वैसे वैसे खेतों की छीना झपटी ज्यादा जोरदार होती गई और यह भी सही है कि जो लोग उस समय मजबूत पड़े उन्होंने ही जमीन को छीना है । यह सही है कि माननीय माल मंत्री जी सोचते हैं कि अगर १३५९ फ़सली के क़ब्जे को माना जायगा तो सहूलियत होगी लेकिन जिस समय वह इस बात को अपने सामने रखेंगे कि इस से कितने हजार आदमियों को अपने हक से वंचित हो जाना पड़ेगा । तो उनको इसपर दूसरी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मैंने इस चीज पर सेलेक्ट कमेटी में भी जोर दिया था और इसमें संदेह नहीं कि वहां पर माननीय माल मंत्री ने हमें समझाने की बहुत चेष्टा की थी और उसी वक्त माननीय मंत्री जी को कुछ ग़लत फ़हमी भी हो गई थी कि शायद हम समझ गये और ऐसी ग़लतफ़हमी के शिकार वह अक्सर हो जाया करते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है हम तो चाहते हैं कि ऐसा न हुआ करे क्यों कि उनके हाथ में ६ करोड़ ३० लाख लोगों की जिन्दगी का सवाल है । हम कभी भी उनकी उक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते थे । यदि वह जांच करावें कि १३५९ फ़सली में जमीन किन लोगों के हाथ में गई है तो उन्हें मालूम होगा कि उस वक्त जो बड़े काश्तकार थे, शरह मोए-यन के, हक़ूक़ पट्टा मुस्तक़िल के, या सीर खुदकाश्त के मालिक रहे उन्होंने जमीनों को छीना है । इस तरह से जिन लोगों को वह अधिकार देना चाहते हैं वह अधिकार नहीं पाते । वह यह कि १३५६ के लिये तो उन्होंने अधिकार दे रखा है । उसे मैं मान कर चलता हूं। जैसा कि उन्होंने बार बार सेलेक्ट कमेटी में इस बात पर जोर दिया था, और मैं जानता हूं कि वह इस बात को आज भी कहेंगे, कि १३५६ में जिन लोगों का नाम था वे हक़दार हो गये, सीर-दार हो गये या जो कुछ भी क़ानूनी नाम हो । जमीन उनसे नहीं निकल सकती । यह जरूरी नहीं है कि ५६ में जो नाम पटवारी ने लिख दिया था वह दर्ज माना जायगा। ५७ में भी नये नाम दर्ज हुये और चूंकि जमींदारी विनाश क़ानून सदन के सामने विचाराधीन था इसलिये जमींन को निकालने की प्रवृत्ति जोर से चल रही थी । तो ५७ में जहां किसानों ने किसी तरह अपना नाम दर्ज कराया जिनके मन में यह आशा उत्पन्न हुई कि अगर हमारा नाम दर्ज होगा तो जो जमीदारी विनाश क़ानून से अधिकार मिलने वाले हैं उससे हम इस जमीन के मालिक होंगे और हमें कोई निकाल नहीं सकेगा, तो उनका नाम दर्ज हुआ और स्वभावतः जिस तरह उनके मन में इस बात की उत्सुकता थी कि उनका नाम दर्ज हो उसी तरह से दूसरों के मन में भी

[श्री गेंदा सिंह]

यह उत्सुकता थी कि उनका नाम दर्ज न होने पावे और जो दर्ज हो भी गये हैं उन्हें निकाल दिया जाय । इस तरह से वे उस हक़ से वंचित होंगे जिस पर सालों से उनका क़ब्ज़ा था । वे लगान देते थे और क़ब्ज़ा उनकी रज़ामन्दी से था और माननीय वीरेन्द्रशाह जी के शब्दों में लिखित तो नहीं था मगर ज़बानी था और लिखित तो बहुत कम हुआ करता है । तो इस लिये यह छीना-झपटी चली । जो ५७ में दर्ज थे वे ५८ में बेदख़ल कर दिये गये और जो ५८ में पटवारी के यहां लिखे थे वे ५९ में बेदख़ल कर दिये गये । तो अगर हम ५९ की ही बात मान लेते हैं कि जिनका नाम ५९ में दर्ज है तो यह अन्याय होगा उनके साथ जिनका नाम इससे पहले वर्षों में निकाल दिया गया । सीधे-सीधे तो नहीं लेकिन अगर थोड़ा सा घूम कर यह कहा जाय कि उन लोगों के पक्ष में हम इस क़ानून को बनाने जा रहे हैं । जिन्होंने ज़बरदस्ती ५९ में ज़मीन को छीना है तो यह ज्यादा सही होगा । यह ठीक है कि कहीं यह अर्थ इसका लगाया जाय कि हम ग़ासिबों की वकालत करना चाहते हैं। चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ग़ासिब का अर्थ ही हमारे यहां कुछ ग़लत लगाया गया है । जब मैं क़ानून की किताब में ग़ासिब देखता हूं तो हम तो कांप उठते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं १ मिनट आप का ज़रूर चाहूंगा । मेरे गांव में १२५ घर की आबादी है जिनमें से ९९ आदमी ग़ासिब हुये और ज़मींदार हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा । वह कहीं अदालत या थाने में नहीं गया । १५ वर्ष बाद जब तमादी होने लगी तो उसने दावा दायर कर दिया कि सब ग़ासिब हैं। सारे के सारे आदमी बेदख़ल हो गये । अपनी बात कहना कुछ अधिक अच्छा तो नहीं है लेकिन केवल एक मैं ही रह गया था और, अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा मेरे पीछे भी बरेली जेल में समन फिरा करते थे । ग़ासिब की कहानी कैसी है कि इसे गोंडा, बस्ती और गोरखपुर के लोगों को याद करना चाहिये । पिछले ज़माने में ग़ासिब कह कर ज़मींदारों ने उन किसानों को बेदख़ल किया है जिन्होंने लगान दे दिया था लेकिन रसीद नहीं पायी थी। जिनका नाम दर्ज नहीं था कांग्रेस की हुकूमत आई और उसने उन लोगों का नाम दर्ज कराया । यह नाम दर्ज कराने के बाद वे स्तीफा दे कर चले गये । उसके बाद बस्ती, देवरिया और गोरखपुर के तीन ज़िलों में जो कुछ कार्यवाही हुई वह सबको मालूम ही है । हज़ारों आदमी खेतों से बेदख़ल किये गये । इसलिये आज वे ग़ासिब नहीं कहे जा सकते । जिन लोगों को भी खेत दिये गये हैं वे मर्ज़ी से दिये गये हैं। चाहे वे बटाई की शक्ल में दिये गये हों चाहे लगान तय करके दिये गये हों। वे मर्ज़ी से ही दिये गये। हां, लगान तय करके ज़रूर कुछ कम दिये गये। आपने उसके लिये रखा है कि वे अधिवासी हो जायेंगे । लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनको पहिले क़ानून में आपने हक़ दे रखा है कि जो आदमी दो बर्ष तक क़ाबिज़ रहे, चाहे वह ग़ासिब ही हो, तो वह काश्तकार मान लिया जायगा । और वह इस पिछले कानून के तहत सीरदार हो जायगा । लेकिन अब आप रख रहे हैं कि चाहे उसका क़ब्ज़ा २० साल से ही क्यों न रहा हो लेकिन वह अधिवासी ही होगा। इस वक्त इस सिलसिले में मैं सदन का वक्त तो ज्यादा लेना नहीं चाहता केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि ५७-५८ और ५९ में जिसका क़ब्ज़ा है उसको तो स्वीकार कर लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी । सिर्फ़ इतनी ही कठिनाई हो सकती है कि ५७ में उसका क़ब्ज़ा रहा हो, ५८ में भूमिधर हो गया हो, और ५९ में भूमिधर बन गया हो तो उसको प्रायोरिटी देनी होगी। अगर उसका क़ब्ज़ा ५७ में है तो १८३ दफ़ा के तहत उसको दरख्वास्त देने का अधिकार है। जब आप ५७ में होने वाले कब्जे के आधार पर उसको अधिकार दे रहे हैं तो १८३ के तहत जो उसको पहिले से आप ने अधिकार दे रहे हैं वह इससे नहीं छीने जाने चाहिये । इसलिये इसमें इस प्रकार से संशोधन की ज़रूरत है । बदक़िस्मती से माननीय माल मंत्री जी ने हमारे नोट आफ़ डिसेंट को यह समझ लिया कि वह दूसरे ही दृष्टिकोण से लिखा गया है, प्रेविटकल दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया लेकिन मैंने उसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे उस पर फिर से ध्यानपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री चन्द्र सिंह रावत (ज़िला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्ष की दलीलें और तक़रीरें सदन के सामने पेश हुई उनमें मैंने देखा कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक़

है दोनों पार्टियों का एक ही मक़सद है । वे चाहते हैं कि उन लोगों को इस बिल के ज़रिये से रिलीफ़ दिया जाय जिनका नाम सरकारी रिकार्ड में नहीं है और ज़मीन उनके क़ब्ज़े में है सिर्फ जो आपस में अन्तर है वह केवल इसी बात का है कि विपक्ष के कुछ लोग उन डिफीकल्टीज से जो रोज़ाना कानूनी अदालतों में आया करती हैं, उनसे अनिभिज्ञ हैं। क़ब्ज़ा जिन लोगों का है उन्हीं के पक्ष में यह रिलीफ़ मिल सकती है । ज़मींदारों को इस बिल से कोई भी रिलीफ़ नहीं मिल सकती जैसा कि दूसरा पक्ष समझ रहा है । कारण कि जिनका काम कहीं रिकार्ड में दर्ज नहीं है उन्हीं लोगों के लाभ के लिये यह बिल यहां लाया गया है इसलिये इससे कोई रिलीफ़ ज़मींदारी पक्ष को नहीं मिल सकती है । अगर किसी किसान ने ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा भी कर लिया है और वह १३५९ में काबिज़ है तो वह क़ब्ज़ा इंक्वायरी से वैरीफ़ाई होगा । इससे फ़ायदा किसान को मिल सकता है न कि ज़मींदार को। इसलिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो मिसकंसेप्शन अपोज़ीशन के दिमाग़ में है वह केवल इसी बात का है कि समरी इंक्वायरी के ज़रिये वर्तमान व भूतकाल का क़ब्ज़ा वेरीफ़ायी किया जा सकता है वर्तमान के कब्ज़े का तो समरी इंक्वायरी के जरिये वेरिफ़िकेशन हो सकता है आन दि स्पाट । अगर असिस्टेंट कलेक्टर आन दि स्पाट किसी के क़ब्ज़े के बारे में वेरिफ़ाई करना चाहें तो जो बेदख़ल हो गया है उसका वेरिफ़िकेशन नहीं हो सकता है। अगर क़ब्ज़ा बेदख़ल हो गया है तो रेगुलर प्राविज़न जो जनरल ला का है उसके अन्दर रेगुलर सूट दायर हो सकता है लेकिन उसमें दोनों तरफ़ से लम्बी चौड़ी सबूत गुज़रेगी और अदालत सबूत के बेसिस पर ही किसी नतीजे पर पहुंच सकती है । लेकिन जहां तक समरी इन्क्वारी का क्वेश्चन है अगर रिलीफ़ देना चाहते हैं तो समरी इंक्वायरी के थ्रू बेदख़लों का क़ब्ज़ा वेरीफ़ाई नहीं हो सकता । रेगुलर प्रोसिडिंग अदालत में हो सकती है जहां उसकी बड़ी भारी छान-बीन की जा सकती है । दो साल पहले या एक साल पहले यह किसके क़ब्ज़े में था इसे कौन कह सकता है लेकिन जब असिस्टेंट कलेक्टर मौके पर जा कर समरी इक्वायरी करेगा तो जो कब्ज़ा है ही नहीं वह कैसे वेरिफाई हो सकता है। यह मामला गवाही और सबूत पर मुनसर होगा । बिना रेगुलर कोर्ट डिसीज़न के, बिना रेगुलर गवाही सबूत के इसका फैसला किया जाना यह कानून की नज़र से अन्याय होगा । इसी बात को मुख्तलिफ़ तौर से समझने के दो दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। इस पक्ष का दूसरा है दूसरे पक्ष का दूसरा है वर्ना सब का मक़सद एक ही है ।

अब मैं आप को केवल इतना बतला देना चाहता हूं कि जहां तक लीगल रेकार्ड का प्रश्न है उन सब को रिलीफ़ देने के लिये और सब दफ़ायें मौजूद हैं लेकिन जो प्राविज़न आप बनाने जा रहे हैं यह तो दफा १५१ सिविल प्रोसीज्योर कोड की तरह पर एक रेजिड्यूएरी प्रोविज़न बनाया जा रहा है उसी तरह से आप का यह इनेबलिंग प्राविज़न है कि अगर दूसरों को रिलीफ़ नहीं मिलता, अगर ज़मीन पर क़ब्ज़ा है और उसका नाम नहीं है तो समरी इनक्वायरी आन दि स्पाट हो तो उसका वेरिफ़िकेशन हो सकता है । विपक्ष की तरफ से जितनी दलीलें दी गयीं व तक़रीरें हुई हैं उनके अन्दर प्रखर बुद्धि की स्वर्णिम रश्मि का कोई प्रकाश नहीं है । वे क़ानून के रास्ते में बाधक हैं सरकार खुद चाहती है कि जो दो साल या दस साल से बेदख़ल हो गये हैं उनको समरी इन्क्वायरी करा कर बिना किसी डिफ़िकल्टी के रिलीफ़ पहुंचायी जाय लेकिन कानून की नज़र से जो भारी अड़चनें हैं उनको नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता है इन शब्दों के साथ में जो बिल पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं और जो आपोज़ीशन का अमेंडमेंट है उसका विरोध करता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर बोलते हुये माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जहां तक इस संशोधन के मानने का सम्बन्ध है वह इससे एग्री (सहमत है) करते हैं । एक परेशानी उनको अवश्य है कि इससे काफ़ी दिक्कतें होंगी कि तीन साल पहले किसके क़ब्ज़े में ज़मीन थी । यह बड़ी मुश्किल चीज होगी । मैं भी इसको मानता हूं लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हूं कि इस संशोधन को मान लेने से अगर वे कुछ भी भलाई करेंगे तो वे बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर राजस्व मंत्री जी यह समझते हैं कि फ़सली सन् १३५९ में इस विधेयक के द्वारा एक हज़ार किसानों का फ़ायदा होता है और एक मैजिस्ट्रेट मौके पर जाता है और अगर उसने कोशिश की तो सम्भव है कि दो सौ, चार सौ उसको ऐसे किसान भी मिल जायं और हो सकता है कि गांव पंचायतों के जरिये या और तरीक़े से कुछ और किसानों का पता लग जाय और एक हज़ार के मुकाबले में ४ सौ किसान ही १३५८ में मिल जायं और उसी तरह से १३५७ में २५० किसान ही मिल जायं जिनका क़ब्ज़ा जमीन के ऊपर खेती करने के रूप में है लेकिन उनका नाम नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह आप के विधेयक के उद्देश्य में सहायक ही होगा। दिक्कतें तो काफी होंगी ही लेकिन फिर भी जब आप सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं तो उनसे इसी प्रकार के काम लेने के लिये तो मुकर्रर किया जाता है। तो मैं राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि सूबे के एक दो जिले के लिये एक दो आदमी तीन चार छः महीने के लिये मुकर्रर कर दें, जो जाकर गांव सभाओं में पता लगावें तो इससे यह होगा कि किसानों को जो ५९ का आपने रखा है उससे हमारे संशोधन को स्वीकार कर लेने के बाद डयोढ़े और दूने किसानों का फ़ायदा हो जायगा। इसलिये मैं फिर नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष से हमारे संशोधन के सम्बन्ध में जो आलोचना की गई है मैं उसको बहुत अपूर्ण समझता हूं। माननीय चन्द्र सिंह रावत ने तो यहां तक कह डाला कि इस संशोधन का और हमारे बिल का कोई अन्तर नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि रावत जी की समझ में अन्तर के क्या माने हैं। १३५७-५८ और ५९ में क्या अन्तर है यह रावत जी नहीं समझते कि एक किसान जो ५९ में खेत में काबिज था और ५७ में बेदखल किया जा सकता है और ५८ में किया जा सकता है तो यह एक ताज्जुब की बात है। कि रावत जी ऐसे समझदार व्यक्ति भी इस भेद को नहीं समझ पाते। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है तो इस बिल का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। ३५७ और ५८ में उन किसानों की संख्या नहीं आंकी जा सकती है जो जबरदस्ती बेदखल किये गये हैं और किसानों की मदद करने वाली जो सरकार अपने को कहती है वह बिल्कुल मदद नहीं कर पाई है तो सही मानों में इस बिल का उद्देश्य खत्म हो जाता है।

राजा बीरेन्द्रशाह—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इतनी जोर से आप बोल रहे हैं लेकिन भवन में एक साहब सो रहे हैं। क्या भवन में किसी को सोने की इजाजत है।

अध्यक्ष—हां, अगर वह शोर नहीं करते।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने बिल का उद्देश्य उपस्थित करते हुये जो भाषण दिया था और जो उद्देश्य समझाया था कि ऐसे मिहीन किसानों, दरिद्र किसानों को इससे राहत मिलेगी, इस खंड से उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री को बिल उपस्थित करने के बाद सरकारी सदस्यों ने या मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस तरह का दबाव डाला कि यह जो बिल उपस्थित किया गया है इसके स्वीकृत हो जाने से तो इस प्रदेश और खास कर सरकारी कुर्सियों पर बैठने वाले जो सदस्य हैं उनमें से बहुतों को नुकसान पहुंचने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं गलती नहीं करूंगा यदि मैं कहूं कि आज ही ट्रेन में, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, मेरे साथ एक माननीय सदस्य सरकारी बेंच के थे और वह प्रवर समिति के भी सदस्य थे। उनसे प्रवर समिति की

बातें होती रहीं तो उन्होंने रास्ते में मुझसे कहा कि तुम्हारे संशोधन का हमने इसलिये विरोध किया कि मेरे पास ३० एकड़ खेत हैं और वह इस तरह से कब्जा किया गया है अगर आपका समर्थन कर देते तो वह ३० एकड़ हाथ से निकल जाते। अध्यक्ष महोदय, मैं भली प्रकार से जानता हूं कि राजस्व मंत्री कहने के लिये तो अपने को समाजवादी कहते हैं लेकिन जब असली जामा पहनाने की बात आती है तो मुकर जाया करते हैं और दूसरा चोला और दूसरा बाना पहन लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से राजस्व मंत्री और सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुये अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही माने में इस बिल का उद्देश्य है कि दरिद्र किसानों को जीवनदान मिले, जिन लोगों का खेत बरसों से दूसरों के कब्जे में रहा, जबरदस्ती बड़े-बड़े किसानों और जालिम जमींदारों से या ग़ैर कानूनी काम करने वाले आदमियों से बेदखल किये गये हैं। तो सही मानी में उनको राहत मिलनी चाहिए और राहत दिलाने का एक ही तरीका है कि हमारा जो संशोधन रखा गया है कि ५७-५८, या ५९ में खेती के रूप में काबिज हों उन को सीरदार का हक मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर सही मानी में आप इस प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों को राहत देना चाहते हैं, जो भूमिहीन हैं उनके पास जमीन नहीं है, अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो उससे उनको राहत मिलेगी। और अगर स्वीकार नहीं किया जाता तो आपसे अदब से कहूंगा कि सरकार का जो उद्देश्य है वह खत्म हो जायगा और इस प्रदेश में करोड़ों की तादाद में ऐसे भूमिहीन किसान कतार बांध कर खड़े हो जायंगे। जिनको रोजी देना सरकार के बूते के बाहर का काम हो जायगा। अतः आपके जरिये मैं राजस्व मंत्री जी से फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, कहा कि इस संशोधन को स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत होगी। मैं दिक्कत नहीं महसूस करता हूं। राजस्व मंत्री इस दिक्कत को दूर करने के लिए जो आज प्रदेश में फैली हुई है इस बिल को लाए हैं, फिर जरा सा आगे और बढ़ जाइये तो इस प्रदेश के लाखों-करोड़ों आदमियों को राहत मिलेगी। दिक्कत दूर करने के लिये ही राजस्व मंत्री हैं और दिक्कत दूर करने के लिए ही यह सदन बैठा हुआ है, और दिक्कत दूर करने के लिए करोड़ों-लाखों रुपया रोजाना सर्फ किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि दिक्कत को दूर करने वाली सरकार अगर नहीं है तो अच्छी सरकार नहीं कही जा सकती है। जो सरकार दिक्कतों को दूर करती हैं वही सरकार अच्छी हुआ करती हैं। अगर राजस्व मंत्री अपने को कृषि मंत्री समझते हैं और सही मानी में समाजवादी बनने का दावा करते हैं तो मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री अब शायद हमारी बात के कुछ नजदीक में आ गये होंगे और हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं संशोधन के सिलसिले में कुछ थोड़ा सा अर्ज करूं यह अपने लायक दोस्तों की जानकारी के लिए साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने अपने आपको सोशलिस्ट कहने की आज तक गलती की नहीं। मैं इस जुर्म का मुजरिम नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस के जो सिद्धान्त हैं और हमारी गवर्नमेंट जिन सिद्धान्तों पर चल रही है उनकी मुखालिफत में मैं किसी भी तरीके से, किसी भी अंश में, तहेदिल से, ईमानदारी से सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों को बेहतर नहीं मानता। मैंने जो कहा है वह यह कि सोशलिस्ट पार्टी अगर बरसरे इक्तदार होती, '४६ से ५२ तक तो भूमि व्यवस्था और जमींदारी विनाश अधिनियम जैसा बना है वह इतना क्रान्तिकारी नहीं बन पाता। यह मेरा दावा है। यह मेरा विश्वास है।

[श्री चरण सिंह]

तो यह बिल ऐसा है तो सोशलिस्ट पार्टी जिन सिद्धान्तों में विश्वास करती है, जहां तक आगे जाने की उनकी बिसात है, उससे दूर तक गया है जो अधिनियम बन चुका है और जो यह विधेयक जो मैंने पेश किया है वह भी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज कल दुनिया दो ही भागों में बटी है। एक तरफ कैपिटलिस्ट और दूसरी तरफ सोशलिस्ट। तो क्या मंत्री जी अपने को कैपिटलिस्ट कहते हैं?

श्री चरण सिंह---अगरचे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, सोशलिस्टों का जो मतभेद रहा है वह यह कि चरखे के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज और डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाने की चारों तरफ बात कही जा रही है। जो सोशलिस्ट पार्टी है और जो किसान मजदूर प्रजापार्टी का जो मर्जर किया जा रहा है उनका मतभेद है अहिंसा और हिंसा के ऊपर। लेकिन अब जो प्रोग्राम निकल रहे हैं उनमें यह है कि नान वायलेंट मास सत्याग्रह में हम विश्वास करते है। और तीसरा जो सब से बड़ा अन्तर है वह यह है कि आप बड़ी आर्थिक इकाइयों में विश्वास करते रहे हैं। बिग कलेक्टिव फार्म्स, बिग फैक्टरीज में आपका विश्वास रहा है। अब जब आप छोटी इंडस्ट्रीज में विश्वास करते हैं और जैसा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम निकला है उससे जाहिर है कि आपका वह विश्वास जो बड़ी फैक्टरियों में है उसमें आपका कहां तक विश्वास है।

खैर उससे इस वक्त मतलब नहीं है। जिक्र आज खेती का है। उसमें कलेक्टिव फार्म पर आपका विश्वास है या नहीं। आपका किताबों में विश्वास है और पार्टीज में और प्लेटफार्म पर आप ऐसी बातों में विश्वास की बातें कहा करते हैं लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं है...

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय

श्री चरण सिंह---मैं ईल्ड नहीं करूंगा।।

श्री राजनारायण---"ईल्ड" क्या?

श्री चरण सिंह---बैठना, ताकि आपको मौका मिले। तो वह कलेक्टिव फ़ार्मिंग वगैरा की बातें भी हवाई हैं। आपका वह कलेक्टिव फार्मिंग किताबों में लिखा हुआ है लेकिन न वह काबिले अमल है और न किसान उसको पसन्द करेगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने गवर्नमेंट कमेटीज में देखा है कि कांग्रेस वाले किसी हद तक उस तरफ जाने को तैयार थे लेकिन सोशलिस्ट पार्टी जाने को तैयार नहीं। तो यह कहना कि सोशलिस्ट पार्टी के सिद्धान्त उग्रतर हैं और आगे जाने वाले हैं इसलिये अपने आपको उस तरह का बताता हूं यह बिल्कुल गलत है और गैर मुताल्लिक बात है।

अब जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, तो मैं पहले ही अपनी बातें अर्ज कर चुका, दलीलें भी दे चुका। मेरी दलीलों का जवाब यह दिया गया कि कठिनाइयों को दूर करने के लिये तो आखिर गवर्नमेंट होती है, उसीके लिये यह विधान सभा है और उसी के लिये अफसरान मुकर्रर किये गये हैं। यह बात ठीक है, कठिनाइयों को दूर करने के लिये और इस देश और प्रदेश के इन्तजाम करने के लिये गवर्नमेंट होती है लेकिन बाज बातें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट के दायरे के बाहर होती हैं। मनुष्य चाहता है कि दुनिया में दुःख किसी को न हो। कोई नहीं चाहता कि किसी के ऊपर अत्याचार हो, कोई भूखा रहे, बिना कपड़े के रहे या बिना इलाज के रहे, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि मनुष्य की इच्छा पूरी

नहीं हो पाती और जो आदर्श उसके सामने होता है उसको भी परिस्थिति पूरा नहीं करने देती, आदर्श की ओर वह केवल चल सकता है। आदर्श को पाना, यह तो बहुत ही कम लोगों को खुशनसीबी हासिल हुई है । तो यह बात कि हम चाहते तो हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते और हमें करना चाहिये, तो उसके मुताल्लिक मुझे यह कहना है कि वह काबिले अमल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है । जो प्रैक्टिकल है, वह कर पाते हैं। सब से बड़ी कठिनाई हमारे सामने संविधान की है। संविधान हमको बहुत सी चीजें करने से रोकता है । साथ ही यह भी हम जानते हैं कि वह संविधान डेमोक्रेटिक है। उसमें दूसरे हर फरीक को अपनी बात कहने का हक़ है। जुडीशियल डेसीशन होने के बाद ही किसी आदमी का हक लिया जा सकता है। अगर संविधान में ऐसा न हो तो डिक्टेटरशिप और टोटैलिटेरियनिज्म इस देश में कायम हो जायगा। तो जहां तक संविधान की बहुत सी खूबियां हैं और हमारे यहां वह जनतंत्र स्थापित करता है, उसी तरह से संविधान एक संयम, रेस्ट्रेंट और रुकावटें भी पैदा करता है। बिना उन रुकावटों के कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी डिक्टेटर हो जायगी। जहां हमने ऐसा संविधान अपने देश के लिये बनाया है वहां उसकी रुकावटें और आब्सटैकिल्स भी हमारे सामने हैं। अगर वह नहीं होतीं तो यह बिल इस तरह का नहीं होता। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं कि रुकावट है, लेकिन हम समझते हैं कि वह रुकावटें बहतर है "इन दि लार्जर इंटेरेस्ट आफ दि कंट्री।" देश के दूरगामी जो हित हैं या अधिक बड़े हित हैं उनके लिये यह जरूरी है कि जुडीश्यल कंट्रोल हो। तो संविधान में बहुत सी रुकावटें हैं और उसमें दूसरे आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर यह बिल में हम रखते तो हम जानते थे कि केआस हो जायगा ?। अगर्चे हम चाहते थे और सारी कमेटी चाहती थी कि किसी तरह से ऐसा हो जाय कि कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर मौके पर जाय और वह नतीजे पर पहुंच कर उसका निर्णय दे दे, लेकिन वह हम नहीं कर पाये। इसी तरह से यह था कि कब्जा फौरन दिला दे, लेकिन सब कमेटी के मेम्बरों को मालूम होगा कि सब ने उन कठिनाइयों के सामने माथा नवाया। तो इरदा होते हुए भी हम उन कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकते हैं? इस तरह से वह कठिनाई कि कलेक्टर जाकर ३ साल या ४ साल के कब्जे के अधिकार देने के बारे में तहकीकात करे, तो उसमें बहुत बड़ी कठिनाइयां आयेंगी। इच्छा होते हुये उस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। तो जो दलीलें मैंने अर्ज की थी उनका कोई युक्ति युक्त जवाब नहीं दिया गया।

एक बात कही माननीय गेंदा सिंह ने, वह यह कि एक तरीके से जो ग़रीब आदमी बेदखल कर दिये गये थे ज़मींदारान और बड़े काश्तकारान के द्वारा उन जमींदारान और काश्तकारान के हक़ की हिफाजत यह बिल करता है। एक बात पढ़ कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इत्तिफाक से इस सिलसिले में माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने अपने मिनट आफ डिसेंट में जो अल्फाज इस्तेमाल किये वही सोशलिस्ट पार्टी के मिनट आफ डिसेंट में इस्तेमाल हुये हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——समझा नहीं।

श्री चरज सिंह——जरा ग़ौर करें। कुछ ही हुआ हो, ये अल्फ़ाज़ हैं पृष्ठ ३ पर—

"सिर्फ १३५९ फसली में क़ाबिज वही लोग हैं कि जिन्होंने किसानों से जबरदस्ती जमीनों को बेदख़ल कराया इस तरह से तो ज़मींदार वर्ग की ही रक्षा होती है।"

यह माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी कहते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमान्, मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह मैंने नहीं कहा है। इसमें छपने में ग़लती हो गयी है। यह माननीय जयपाल सिंह जी ने कहा है।

श्री चरण सिंह— खैर, इसमें नाम आप ही का छपा है । सोशलिस्ट पार्टी के मिनट आफ डिसेंट का एक, पैराग्राफ है, जिसको माननीय गेंदा सिंह जी ने यहां बतलाया, वह यह है ।

"प्रवर समिति में जब इस विधेयक पर विचार आरम्भ हुआ बिल के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया गया परन्तु बहुमत न रहने के कारण निर्बल कृषकों के अधिकारों की रक्षा जिनका वर्णन उद्देश्य में किया गया है न हो सकी, बल्कि इसके विपरीत उन जमींदारान के हकों की रक्षा की गयी जो १३५९ फसली में जबरदस्ती कृषकों की भूमि बेदखल कर क़ाबिज हो गये थे।" तो यह इलजाम है।

"इस प्रकार उन किसानों की बेदखली जो १३५९ या १३५८ फ़सली तक जमीनों पर काबिज थे कानूनी करार दी गई। यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १३३९ की धारा १८३ के जरिये जो जमीन वापस तीन साल के अन्दर मिलती थी उस हक़ से कृषक महरूम कर दिया गया।" यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी।

"यदि किसी कृषक का नाम किसी भूमि पर काबिज़ के रूप में १३५७ या १३५८ फसली में दर्ज हो गया तो उसकी मुद्दत १ साल करार देकर १८० धारा काश्तकारी कानून, १९३९ के अन्तर्गत बेदखली के मुक़द्दमात दाखिल कर दिये गये। इन कृषकों की बेदखली इस विधेयक में धारा '५ अ' बढ़ा कर और भी निश्चित कर दी गई और ऐसे कृषक जबरदस्ती जोतने वाले करार दिये गये और जो लोग १३५९ फसली में जबरदस्ती खेतों पर कब्जा कर लिये थे उनका कब्जा कानूनी करार दिया गया।"

वही पहली बात कही गयी। एक तो इसमें यह बात कही गयी कि उन जमींदारान के हक़ों की रक्षा की गई, जो १३५९ फसली में जबरदस्ती कृषकों की भूमि बेदखल कर काबिज हो गये थे। किस प्रकार? कैसे जमींदारान के हक़ों की रक्षा की गयी? हम तो यह कहते हैं कि १३५९ फसली में जिनका कब्जा था, अगर वे १३५९ फसली में बेदखल हो गये या अब बेदखल हो गये, उनका नाम अब भी दर्ज हो सकता है। इस कानून के बनने से उन जमींदारों के हक़ों की कैसे हिफाजत की गयी जिन जमींदारों ने ग़रीब बिला इंद्राज वाले कमजोर किसानों को बेदखल कर दिया। अब वे किसान आ करके दरख्वास्तें देंगे। जो किसान बेदखल हो गये थे अब वे कहेंगे कि हमारा कब्जा था, इसलिये हमारा कब्जा दर्ज होना चाहिये। जो १३५८ फसली में बेदखल कर दिये गये थे वे रेगुलर सूट अब भी दायर कर सकते हैं। तो इस कानून से ग़रीब किसान अपने हक़ों से कैसे महरूम हो गये, यह चीज मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसके लिखने से कोई मतलब नहीं है सिवाय एक के और वह यह कि अब से तीन-चार साल बाद अगर मौका लगे तो इस मिनट आफ़ डिसेंट को तकसीम करा कर बांटा जाय कि देखो हम तो यह कहते थे।

दूसरी बात यह कही गयी कि इस प्रकार उन किसानों की बेदखली जो १३५९ या १३५८ फसली तक जमीनों पर काबिज थे कानूनी करार दी गई । इन अल्फाज से यह समझ में नहीं आता कि कैसे उनकी बेदखली कानूनी करार दी गयी । १३५९ से मैं समझता हूं कि १३५७ से उनका मतलब होगा तो जो लोग बेदखल हो गये उनके हक़ूक पर क्या आंच आती है, क्या चोट लगती है। वह लोग दावा दायर कर सकते हैं और उन्होंने दावा दायर किये हैं। कम से कम इस कानून का उनके ऊपर कोई

एडवर्स अफेक्ट तो पड़ता ही नहीं है । फिर यह कहना कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १८३ के अनुसार किसान अपनी ज़मीन से बेदख़ल कर सकता था उससे भी वह महरूम हो गया यह ठीक नहीं है बल्कि १८३ का तो काश्तकार दावा दायर कर सकता है । अगर बेदख़ली हो गई है तो उनको हम एक्जेम्प्ट कर रहे हैं। वह पहले भी कभी स्टे नहीं थे और आज भी नहीं हैं। इस कानून ने उनको रोका नहीं है तो यह कहना कि दफा १८३ में किसान बेदख़ल कर सकता था उस हक़ से वह महरूम हो गया? (It passes by comprehension) यह बात समझ में नहीं आती है । यदि किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो गया है तो धारा १८० के अन्तर्गत वह बेदख़ली का मुकद्दमा दाखिल कर देगा। वह तो दर्ज था ही नहीं। यह बिल जिसके लिये बना है वह तो पहले था ही नहीं। दावा दायर किया उन लोगों पर जो गासिब हैं। इसी तरह की बातें हैं और माननीय गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि जिन गरीब किसानों को जिन्होंने बेदखल कर दिया है उन्हीं की इससे रक्षा हो रही है। इससे तो ऐसे लोगों के हकों पर ही आंच आ रही है जो लोग काश्तकारों को बेदख़ल करके निश्चित हो गये थे। अब उनके शिकमी काश्तकार या सीर के ग़ैर-दख़ली काश्तकार खुद आकर के दावा दायर करेंगे और अफसर मौके पर जाकर एंट्री कर देगा अगर वह सैटिसफाई हो जायगा इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ में शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" के आगे शब्द "जो १३५७ या १३५८ या १३५९ फसली में किसी भूमि पर खेती करने वाले के रूप में काबिज हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ की पंक्ति १ में शब्द "में किसी भूमि पर" के स्थान पर शब्द "की खरीफ व रबी (दोनों फसलों) में लगातार" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, हमारे संशोधन का अभिप्राय स्पष्ट है। हम यह चाहते हैं कि अगर किसी को कब्जा मिल जाय तो लगातार दोनों फसलों को रख दें तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जायगी और ग़ासिबाना कब्जे की भी कम गुंजायश होगी । इसलिये जो मैंने रखा है उसे माननीय मंत्री जी को मानने में आपत्ति नहीं होगी। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने विचार नहीं किया कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जहां पर एक ही फसल होती, सिर्फ ख़रीफ होती है या रबी होती है तो उनके लिये यह चीज इमप्रैक्टिकेबिल है। खास तौर से बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सी ज़मीन है ।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मेरा अभिप्राय यह था कि पूरे साल उसका कब्जा हो, यह मेरा मंशा है। मंत्री जी ने ऐसा कह दिया कि प्रान्त भर में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर एक ही फसल होती है। तो इसके कोई मानी नहीं। यह तो ऐसी बात है कि पूरे साल कब्जा रहे, यही साबित करने के लिये मैंने यह संशोधन रक्खा है। यह न माना जायगा तो उनकी इच्छा लेकिन मैं समझता हूं कि यह उचित है और माना जाना चाहिये।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ की पंक्ति १ में शब्द "में किसी भूमि पर" के स्थान पर शब्द "की खरीफ व रबी (दोनों फसलों) में लगातार" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (क) के अन्त में "आसामी" के आगे "अथवा" निकाल कर इस प्रकार वाक्य बढ़ा दिया जाय "होगा बशरते कि उक्त भूमिधर, सीरदार के पास अलाभकर जोत हो।"

श्री चरण सिंह---दो बारा पढ़ दीजिये।

अध्यक्ष---स्पष्टीकरण कर दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---यह इस प्रकार है "यदि उक्त भूमि पर भूमिधर या सीरदार, अथवा जहां उक्त भूमि संयुक्त रूप से दो या अधिक भूमिधरों या सीरदारों की हो और उनमें से सब निश्चित दिनांक पर उक्त अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के मद (१) से (६) में अभिदिष्ट व्यक्ति हो, तो वह वर्षानुवर्ष (from year to year) का आसामी होगा। बशर्ते कि उक्त भूमिधर या सीरदार के पास अलाभकर जोत हो।"

धारा १०(२) में कहा गया है "यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षेत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर स्त्री, अवयस्क, पागल, जड़, अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ अथवा भारतीय संघ की सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर हो" तो उसे यह अधिकार न प्राप्त होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि इस प्रदेश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन मौजूद है और वे उन खेतों पर खेती नहीं करते। वे खेत दूसरों के कब्जे में हैं, या परती पड़े हुए हैं इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की यह हालत हो गई है कि अन्न की समस्या जो सरकार सुलझाना चाहती है वह सुलझा नहीं पाती और सही मानी में वह किसान.....

श्री चरण सिंह---आपके जरिये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मेरे पास संशोधन की प्रति भेज दी जाय, उसकी प्रति मेरे पास नहीं है। जो उन्होंने पढ़ा उसकी प्रति मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष---आपके पास भेज दी गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से खेत परती पड़े हुए हैं। धारा १० में कहा गया है कि २५० रुपये से ऊपर जो किसान होगा आसामी के रूप में तो किसी भी सीरदार को सीरदार का या अधिवासी का हक मिल सकता है लेकिन इस बिल के जरिये उस किसान को सीरदार या अधिवासी का हक नहीं मिलता। इसके मानी हो जाते हैं ऐसे हजारों और लाखों परिवार हैं जो ऐसे खेत जोतते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। आजमगढ़ में एक कोर्ट आफ वार्डस के मातहत बहुत बड़े जमींदार हैं। १२६ एकड़ जमीन है, उनके पास दो फार्म हैं ८० एकड़ का एक और दूसरी जगह ४६ एकड़ का फार्म है। इस तरह से १२६ एकड़ जमीन उनके कब्जे में है और खेती हो रही है। अध्यक्ष महोदय, ९०० बीघा जमीन ऐसी है जिस पर कि किसान काबिज हैं और एक दो बरस से नहीं, बीसियों और पचीसियों बरसों से काबिज हैं और जब मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसके यह मानी हो जाते हैं कि ऐसे लोगों के हाथ में जो खेत है, १२६ एकड़ जमीन जिस जमींदार के हाथ में खेत है, वह उसमें खेती कर रहा है लेकिन ९०० बीघा जो जमीन काश्तकारों के कब्जे में है वह आसामी को मिल जायगी। अध्यक्ष महोदय, इसका

लाभ यह होगा कि जो खेत को जोतने बोने वाला हैं, उसी को खेत मिल सकेगा और खेती में तरक्की होगी और अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है तो माननीय राजस्व मंत्री का जो बिल है और जिसे प्रवर समिति ने स्वीकार किया है अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष महोदय, लाखों आदमी इस प्रदेश में ऐसे हैं जो बिना खेत के हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन ९०० बीघा जमीन पर जिन किसानों का कब्जा है साढ़े तीन सौ परिवार ऐसे हैं जो इनसे संबंध रखते हैं और उनके हाथ से यह जमीन निकल जायगी। तो इस बिल का जो उद्देश्य है कि गरीब लोगों को जमीन मिले इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, मैं भली प्रकार जानता हूं कि हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सरकार द्वारा नियुक्त डाक्टरों से शारीरिक दुर्बलता का प्रमाण-पत्र पेश करके २ करोड़ किसानों को बेदखल कर सकते हैं। मेरा जो संशोधन है उसका तात्पर्य यह है कि इस तरह के जो आदमी हैं जिनके पास अलाभकर जोत से ज्यादा खेत हैं और उनके खेतों पर किसान काबिज हैं उनको सीरदार का हक मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि अगर कोई विधवा औरत है, और उसके पास अलाभकर जोत से अधिक जमीन है तो उससे ज्यादा की जरूरत उसको है। हमारे प्रदेश में बहुत ऐसे परिवार ह जिनमें एक-एक परिवार में १०, १०, ५, ५ और ६, ६ आदमी रहते हैं और इस ऐक्ट के पास हो जाने से वह ५, ६ आदमियों का परिवार बिना खेत के हो जायगा, बिना रोटी एवं रोजी का हो जायगा। माननीय राजस्व मंत्री का जो बिल है उसे मान लेने से यह नतीजा निकलेगा कि अगर एक अबला है, १ हजार एकड़ खेत उसके पास है और उसी से उसका काम चले तो मैं नहीं समझता कि ऐसे अस्वस्थ लोगों का सरकार कब्जा उन खेतों पर रखे और इस ऐक्ट के जरिये उन किसानों को जो उन पर खेती करते हैं बेदखल कर दिया जाय यह कहां तक उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी अलाभकर जोत से ज्यादा जिनके पास खेत, हैं, उनके खेतों पर अगर कोई किसान काबिज हो तो उसे सीरदार का हक दिला सकेंगे।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, आज तो बदकिस्मती से मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद जो विधेयक निकला है उसमें यह जो संशोधन किया जा रहा है जिसका आशय है कि अगर भूमिधर या सीरदार जिस की जमीन पर किसी आदमी का कब्जा हो जाता है १३५९ में खेती करने के रूप में वह भूमिधर या सीरदार स्वयं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा २० की उपधारा २ के मुताबिक १ से लेकर ६ तक की जो किस्में गिनाई गई हैं। और किस्मों में आ जाती है या उसमें डिसेबिल्ड की बात पाई जाती है यानी उन ६ में से किसी प्रकार असमर्थ है अर्थात् औरतें हैं, नाबालिक हैं, पागल हैं या जडबुद्धि हैं या अन्धेपन या किसी शारीरिक अनेबिलिटी के कारण खेती नहीं कर सकते हैं या फौज में मुलाजिम हैं तो ऐसे भूमिधर या सीरदार की जमीन पर अगर १३५९ में कल्टीवेट्री पजेशन किसी आदमी का पाया जाता है तो वह अधिवासी करार नहीं दिया जायगा। यह मोटा सा मतलब इसका है और आप संशोधन यह चाहते हैं कि अगर ऐसे भूमिधर और सीरदार के जो लाभकर इकानामिक खेत हैं तभी वह अधिवासी करार देने चाहियें और अगर अनइकोनामिक हैं, छोटे-छोटे खाते हैं तो अधिवासी करार नहीं देना चाहिये। अगर मैं सही समझता हूं तो यह मतलब है आपके संशोधन का। अब इसमें सोचने की बात यह है कि दफा १० जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून की यह कहती है कि २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदार की सीर में जो गैरदखीलकार काश्तकार होंगे वे सब सीरदार करार दिये गये लेकिन अगर ऐसे जमींदार नाकाबिल हैं, खेती करने के तो गैरदखीलकार काश्तकार या सीर वाले वह सीरदार करार नहीं दिये जायेंगे। यह कानून कहता है और जैसा कि हमारा यह अनुपूरक कानून बनने जा रहा है तो इसमें भी उस कानून के जो हमारे बुनियादी सिद्धांत हैं उनको मान लिया है उनके खिलाफ यह कानून नहीं जा सकता। अगर आपकी बात मानली जाय तो जो आदमी उसमें काश्तकार दर्ज था और जमींदार उसको काश्तकार मानता था तब तो उसको हक नहीं मिलता और अगर वह काश्तकार दर्ज नहीं था और जमींदार उसको काश्तकार मानता नहीं था तो उसको हक मिल गया।

[श्री चरण सिंह]

तो जिनका नाम नहीं था उनको हक मिल गया और जिनका नाम उसमें दर्ज है उनको हक मिला नहीं उनको अधिवासी करार नहीं दिया गया। तो यह उस कानून के सिद्धांत के बिलकुल विपरीत जाता है। इस लिये यह सही नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर विचार हुआ था और मैं समझता हूं कि यूनानिमसली इसको अस्वीकार कर दिया गया था।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये नाकाबिल है और उसके पास करीब २० एकड़ जमीन थी और वह खुद खेती नहीं कर सकता है और उसने जमीन को दूसरे को दे रक्खा है और आपने यह कहा कि तुम्हारे पास सवा छै एकड़ से ज्यादा है और तुम्हारे खेत अलाभकर हैं इसलिये चाहे तुम नाकाबिल हो, अन्धे हो, या औरत हो चाहे तुम कुछ हो खुद खेती करने के काबिल नहीं हो तो आप फिर भी उसको हक दे देते हैं। इसलिये यह बात कोई मुदल्लल बात नहीं है और समझ में आने वाली दलील नहीं है। जब कि आपकी भूमि वितरण की बात स्वीकार हो जाय तब यह शायद संभव हो सके अब भूमि वितरण की बात नहीं मानी गई है क्योंकि यह देश के लिये हितकर नहीं होगी। इस प्रदेश के अन्दर अब इतनी भूमि नहीं है कि वैसा किया जा सके। इसलिये जैसा मैंने अर्ज किया कि यह मुनासिब नहीं है और हमारा जो भूमि व्यवस्था का कानून है उसके बिलकुल विपरीत पड़ती है। क्योंकि जो आदमी दर्ज है जिसको काश्तकार मानते हैं उसको हक नहीं मिलता बड़े कानून में और जो दर्ज नहीं है और जिस को काश्तकार नहीं मानते उसको हक मिल जाता है तो इस को मैं मंजूर नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण---जो संशोधन हमारे पांडे जी ने उपस्थित किया है उस के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय राजस्व मंत्री जी की सफाई को सुनने के बाद भी मैं यह आवश्यकता समझता हूं कि इस संशोधन के पक्ष में कुछ अवश्य कहा जाना चाहिये और उस समय मैं और भी आवश्यक समझता हूं जब कि माननीय माल मंत्री जी अपने को हर समय और हर पल यह कहते नहीं थकते कि वह सोशलिस्ट से दो कदम आगे जाने के लिये तैयार हैं मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन पांडे जी ने रखा है उस पर सदस्यगण जरा गौर करें तो सदन के सम्मानित सदस्य अवश्य इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि माल मंत्री सोशलिस्टों से २ कदम आगे जाना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं? जहां तक बहुत लम्बी चौड़ी बात का सवाल है और कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के उद्देश्य क्या हैं इस पर बहुत लम्बी तकरीर माननीय राजस्व मंत्री जी ने दी है। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता लेकिन मैं इतना बतला देना चाहता हूं कि वह क्लासलेस सोसाइटी को मानते हैं या वह कोआपरेटिव कामनवेल्थ या वेलफेयर स्टेट को मानते हैं? यह बात राजस्व मंत्री ने स्पष्ट नहीं की। समय-समय पर बुद्धि भेदवश इन तीन शब्दों में ही कांग्रेस के आबजैक्टिव को व्यक्त किया गया है। सदन को इन तर्कों में नहीं जाना चाहिये कि कांग्रेस पार्टी क्या है और सोशलिस्ट पार्टी क्या है बल्कि जो चीज वह मूर्तिमान करती है उस से ही सही अन्दाजा लगाया जा सकता है। मैं माननीय माल मंत्री जी के तर्कों पर नहीं जाता चूंकि वह अपने को सोशलिस्ट न कहकर गौरवान्वित समझते हैं। वह ऐसा करें लेकिन उन के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू अपनी गाड़ी अपने को सोशलिस्ट कह कर ही चलाने में सफल हो रहे हैं।

अध्यक्ष---विषयांतर हो रहा है।

श्री राजनारयण---मैं अपने संशोधन पर ही आ रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चाहे माननीय माल मंत्री जी उन को कोई सोशलिस्ट कहे तो गाली समझते हों लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने को सोशलिस्ट कहते हैं तो उनके लिये भी माल मंत्री गाली समझते हैं, ऐसे शब्द कहना मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश की सरकार की मर्यादा ऐसे तर्कों से भंग होती है।

अपने उन सम्मानित सदस्यों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं जो बाद में बोलने को खड़े हों कि यह लाभकर और अलाभकर जोत, इसी जमींदारी ऐक्ट में साफ तौर पर आई है। अहमियत इस बात पर दी गई है और मैं माननीय माल मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट में तो अनएकनामिक होर्लडिंग रखने वाले काश्तकारों के लगान में भी कमी करने की सिफारिश की गई थी यह वह क्यों भूल जाते हैं और ट्रेजरी बैंचेज के सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश किया करते हैं कि हमारे हाथ बंधे हैं और इस में व्यवहारिकता नहीं है। मैं पूछता हूं कि इस में क्या अव्यवहारिक है अगर पांडे जी के संशोधन को मान लें या उस से पहले संशोधन को मान लिया होता। मुझे बहुत ही परेशानी हुई है और मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसी लिये नहीं चाहते थे कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय वहां तो इस को और भी तोड़ा मरोड़ा गया है। यह तोड़ मरोड़ पूंजीशाही मनोवृत्ति का ही परिचय है।

हमारे पांडे जी का तो केवल इतना ही कहना है कि जमींदारी उन्मूलन की धारा १० की जो उपधारा २ है उसमें यही कहा गया है कि यदि सीर के किसी काश्तकार के क्षेत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर स्त्री, अव्यस्क, पागल, जड़ या अन्धेपन या शारीरिक दुर्बलता के कारण खेती करने में असमर्थ, अथवा भारतीय संघ की सैनिक नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो, और अब वह यह चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनकंट्रोलेबुल होल्डिंग रखता हो या, उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट भी किया, कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखता हो तो उसकी जमीन को जोतने वाले काश्तकार को क्यों वंचित किया जाता है। आखिर उनके पास तो काफी जमीन रह जाती है। फिर गरीब जोतने वाले ऐसे माल मंत्री द्वारा क्यों वंचित किये जाते हैं जो अपने को हर समय सोशलिस्टों से क़दम आगे जाने की बात कहते हैं मुझे निहायत अदब के साथ माननीय माल मंत्री जी को यह बताना पड़ता है कि वह हम लोगों को शब्दों में गुमराह करने की कोशिश न करें। वह बिल की धाराओं पर आकर स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि क्या २ क़दम आगे आने वाली बात है ? और क्या २ क़दम पीछे हटनेवाली बात है। वह यह भी बतावें कि क्या ३० एकड़ के नौकर जमीन एक स्त्री, अंधे, बालक या पागल या भारतीय सेना के सैनिक या नौसेना या विमानसेना के नौकर के लिये काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत काफ़ी है। जरा मंत्री जी यहां के आंकड़ों को भी तो देखें। ७३ फ़ीसदी किसान २ एकड़ से कम जमीन रखते हैं। ८५ फ़ीसदी किसान ६ एकड़ से कम जमीन रखते हैं और ९५ फ़ीसदी किसान १० एकड़ के नीचे आते हैं। तो ५ फ़ीसदी के लाभ के लिये माननीय माल मंत्री जी क्यों परेशान होते हैं ? मैं समझता हूं कि अब मंत्री जी पांडे जी के संशोधन को जरूर क़बूल करेंगे। हमारी परेशानी और भी ज्यादा होजाती है जबकी माननीय मंत्री जी शब्दों में तो कहते हैं कि वह सोशलिस्ट से आगे हैं या उद्देश्यों में कोई फ़र्क नहीं है या उनसे २ क़दम आगे हैं मगर जब व्यवहार की बात आती है तो वह कैपिटैलिज्म से भी पीछे चले जाते हैं। हमारे भाई परिपूर्णानन्द जी इस बात से सहमत होंगे कि प्लानिंग तो कैपिटैलिज्म के अन्दर भी होती है मगर इस सरकार की कोई प्लानिंग ही नहीं है। यह कुछ भी नहीं कर सकती यह तो चूं चूं का मुरब्बा है। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह तो ऐसी है। अगर २ कदम आगे जाने की बात है तो कह दो और ३ कदम पीछे हटने की बात है तो कह दो। जब मंत्री जी उठेंगे तो इस बात को अवश्य कहेंगे कि हमने कानून पढ़ा नहीं है और जल्दी में बोल रहे हैं। हमारे मित्र शिवनारायण कुछ कहना चाहते हैं मगर माल मंत्री जी उन्हें रोक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज शिवनारायण जी अवश्य बोलें। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पांडेय जी का यह संशोधन स्वीकार होता है या पहलेवाला हुआ होता तो उससे काश्तकार का भला होता। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यदि माननीय माल मंत्री जी १३५९ के काबिज या गैरकाबिज को देखकर चलेंगे तो जमींदारों का ही हित होगा और गरीबों का नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन की गुरुता को स्वीकार करें और उसके महत्व को कबूल करें। केवल शाब्दिक जाल में जाकर आत्मप्रवंचना की परिपाटी को न अपनायें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि आज सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ने इस सदन के मध्य यह चैलेंज किया है कि पांडे जी के संशोधन के जरिये से वे किसानों का बहुत उपकार करने जा रहे हैं जिनका कब्जा ५६, ५७ और ५८ में दर्ज है लेकिन बिल का जो मकसद है वह हमारे दोस्त समझे ही नहीं। वह तो उन लोगों के बारे में जिनका कब्जा इस वक्त खेतों पर है लेकिन उनका नाम दर्ज नहीं है उनको कब्जा दिलवाने के पक्ष में यह बिल है। हमारे बस्ती, देवरिया और गोरखपुर में ऐसे बहुत से किसान होंगे और गंगापुर में, जहां हमारे दोस्त रहते हैं वहां पर भी ऐसे बहुत से किसान होंगे लेकिन उनका जिक्र बाबू साहब ने नहीं किया। सबसे ज्यादा लाभ आज इस कानून से हरिजनों का ही है जिनके पास इस वक्त तक खेत मौजूद है और उनका नाम दर्ज नहीं है। मिनिस्टर साहब ने बार-बार यह फरमाया कि ५२ के बाद धींगा धींगी हुई, जिनकी लाठी में दम था उन लोगों ने अपना नाम लिखवाया भी। जिनके पास पैसा था उन लोगों ने अपना नाम दर्ज करा लिया। लेकिन बिल का मकसद यह है कि गांवों में बहुत से ईमानदार लोग भी मौजूद हैं उनके सामने जाकर मजिस्ट्रेट अगर यह पाये कि वाकई उसका कब्जा है तो वह मान लिया जाय। यहां चिल्लाने से काम नहीं चल सकता। उनको तो गांव में जाकर प्रचार करना चाहिये मेरे दोस्त कहते हैं "सत्यं ब्रूयात प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् असत्य् में विषय" जितनी चीजें चमकती हैं वे सब सोना नहीं है। लेकिन क्या ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की मिसाल गंगापुर गांव में लागू नहीं होती क्या उनकी अपनी खेती और जमींदारी जो उनके पास है उसका बटवारा हो गया है। हम तो सोशलिस्टों के प्रोग्राम को पूरा कर रहे हैं। हमने जमींदारी अबोलीशन किया अब खेतों का भी बटवारा हो रहा है। रोज-रोज हम एक नई चीज को शुरू कर रहे हैं और हमारा हर कदम सोच समझ कर उठ रहा है जिसमें आपकी भी राय हो, जमींदार भाई जो यहां बैठे हुये हैं, उनकी भी राय हो, कांग्रेस के लोगों की भी राय हो और हम सब मिल कर एक चीज को बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन रहे और सब काम शांति के साथ हो जांय।

हमारे माननीय दोस्त गेंदा सिंह, और मदन मोहन उपाध्याय जी कहा करते हैं कि जब शिवनारायण जी बोलते हैं तो गवर्नमेंट की पालिसी जान पड़ती है। हम अपनी गवर्नमेंट की पालिसी को जानते हैं। हमारी गवर्नमेंट की जो पालिसी है वह बहुत सुन्दर है और वाकई वह बहुत ही क्रांतिकारी है। जिन लोगों के नाम पटवारी ने दर्ज नहीं किये और जिनके पास लाठी भी नहीं थी उनको हक दिलाये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय को इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे ऐसा बिल लाये। मैं राजनारायण जी से अपील करूंगा कि वे अपनी पार्टी से कहें कि वे चल कर गांवों में प्रचार करें और गरीबों को भूमि दिलवायें।

श्री राजनारायण--मेरा एक पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। हमारे बारे में यह जो कहा गया कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है या नहीं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने माननीय मित्र से कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी भूमि का ताल्लुक है उससे सम्बन्ध विच्छेद भी कर दिया है। मगर मैं आप से यह कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि सरकार भी कोई ऐसा क़ानून बनावे....

अध्यक्ष--यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन के बाहर की बात है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाब वाला, मैं आप के जरिये यह जानना चाहता हूं कि अगर हाउस के किसी एक सदस्य की बात किसी दूसरे माननीय सदस्य को या सदस्य गण को बुरी लगे तो क्या यह मुनासिब है कि वह उसका फ़ौरन् जवाब दे और इस तरह से जिस-जिस का नाम आता रहे वह उसका जवाब देता रहे ?

अध्यक्ष--पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात उन्होंने कही थी इसलिये मैंने उनको इजाजत दे दी थी लेकिन जब वे उससे बाहर बोलने लगे तो मैंने उनको रोक दिया।

श्री गेंदा सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन केवल इतना है कि जिन लोगों के पास लाभकर जोत से ज्यादा जमींन हो, यदि जमींदारी विनाश कानून की दफ़ा १० के अन्दर उनको सुविधा मिली है तो उनको वह सुविधा न मिले । मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी की जितनी हमदर्दी उन लोगों के साथ है उससे कम हमदर्दी हम लोगों को भी नहीं है लेकिन कुछ कठिनाइयां भी हैं जिन्हें उनको ध्यान में रखना चाहिये । इस कानून में यह लिखा हुआ है कि यदि स्त्री है और उसके पास हजार एकड़ जमीन है तो शिकमी लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा सिवा इसके कि वह आसामी दर्ज होगा । यह सही है कि यह जो बड़ा कानून है वह इससे पहले पास हो चुका है और इसके बाद हम सप्लीमेंटरी पास कर रहे हैं। सप्लीमेंटरी के ऊपर मैं उसके कुछ ज्यादा तह में नहीं जा पाया कि हम उस कानून के और आगे जा सकें या नहीं लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि उस कानून में कुछ कमी मालूम हुई इसलिये यह सप्लीमेंटरी बिल आया । तो मैं समझ रहा हूं कि उस कमी को दूर करने में इस दफ़ा में भी इन धाराओं में भी कमी को जा सकती थी और हम ऐसे शब्द से कुछ आशा कर सकते थे जिससे इस धारा के मुताबिक जो रुकावट है, जो दिक्कतें हैं वे दूर हो जातीं।

बदकिस्मती से इस समय माननीय माल मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहता हूं और सदन को भी उन्हें इस बात से वाकिफ़ कराना चाहिये कि एक स्त्री है और एक पुरुष है जिसके खातों का बटवारा हो गया है । स्त्री के नाम से ५ सौ एकड़ और पुरुष के नाम भी ५ सौ एकड़ है । यह तो पैत्रिक संपत्ति के बारे में मैंने कहा । इसमें रोक नहीं है, बटवारा हो सकता है । उन्होंने अपना खाता अलग कर लिया । स्त्री पुरुष में कोई रुकावट तो है नहीं। लेकिन जो नयी जमीन उन्होंने इस वक्त पंचायतों के हाथ में बटवारे का काम आने से पहले अपने नाम से पट्टा कर लिया और ऐसी जमीनें हजारों लाखों एकड़ हैं जिनको पुरुष जमींदारों ने , पुरुष खातेदारों ने अपनी स्त्री के नाम से करा लिया और उन्होंने अपना भूमिधर और सीरदार बना लिया और अपना नाम काट कर उनका नाम करा दिया । और यह इसी बीच में दो, चार छः महीने में कराया है । उन्हें शिकमी काश्तकार जोतते हैं तो फिर उनके हक़ की हिफाजत के लिये माननीय माल मंत्री जी ने क्या किया है । यह तो स्त्री की बात हुई।

दूसरी बात यह भी है कि इसमें एक ईडियट शब्द आया है । अगर कोई ईडियट है और उसकी जमीन चाहे वह जितने दिन से भी जोतता है तो उसका उस जमीन पर कोई हक़ पैदा नहीं होगा । मुझे मालूम नहीं कि ईडियट की डेफिनिशन उस दफा में क्या लिखी हुई है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईडियट को यह सुविधा प्राप्त हो जाय कि वह अपनी जमीन शिकमी बन्दोबस्त कर सकेगा और फिर वह बेदखल नहीं होगा, कोई हक़ दूसरे शिकमी काश्तकार का पैदा नहीं होगा तो बहुतों को ईडियट बनने की ख्वाहिश हो सकती है। और अगर वह ईडियट बन जाय तो इसकी सुरक्षा का माननीय माल मंत्री जी क्या देते हैं कि उसको ईडियट बनने से रोक दें। उसी तरह से पागल की भी बात है । मैं मानता हूं कि लोग पागल बनने नहीं जायेंगे । लेकिन अगर हजार, पांच सौ एकड़ जमीन से किसी तरह से उसकी हिफाजत हो सके, लाख दो लाख रुपया कमा सके तो दो चार महीने या दो चार साल पागल बनना भी कोई ऐसी बात नहीं है जो बना न जा सके । तो जो बड़ा कानून है उसमें यह खामी है । उस खामी को देखते हुये यह लगता है कि पागल बन जायेंगे या ईडियट बन जायेंगे । स्त्री वाली बात ऐसी है कि अगर माननीय माल मंत्री जी जानना चाहेंगे तो हम बता भी सकेंगे कि फलां जगह लोगों ने अपनी जमीन अपनी स्त्रियों के नाम कर दी है सिर्फ इस क़ानून की दफ़ा १० से फायदा उठाने के लिये। ऐसी हालत में माननीय रामसुन्दर जी ने जो संशोधन आप के सामने रखा है, उससे आप उन लोगों के हक़ों को बचा लेंगे जो कि उनके किसान होंगे और किसान हो कर अपने हक़ को पा सकेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा है उसके विरोध में जो शिवनारायण जी और माननीय मालमंत्री जी के भाषण हुये हैं उन भाषणों से मुझे कोई

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

संतोष नहीं हुआ है । यह बात साबित है कि जो इस तरह के आदमी हैं ६:आं आदमी जिनकी गणना ऐक्ट में की गयी है वह बन सकते हैं और बन कर हजारों एकड़ जमीन जो किसानों के कब्जे में है उनको बेदखल कर सकते हैं और बेदखल कर के इस प्रदेश में जो उन लोगों की कतार खड़ी कर सकते हैं जो भूमि हीन होंगे।

अध्यक्ष महोदय, सब से बड़ी आश्चर्यजनक संशोधन प्रवर समिति ने किया है और प्रवर समिति में मैंने कहा भी था तथा माननीय साथी गेंदा सिंह जी ने भी इस तरफ इशारा किया है कि बहुतेरे जमींदार ऐसे हैं जिन्होंने खातों को अपने स्त्रियों और बच्चों के नाम दर्ज कर दिया है।

इसके अतिरिक्त एक और परेशानी उत्पन्न होगी । परती जमींनें भी बड़ी तादाद में तोड़ी गई हैं जो आज भी किसानों के क़ब्जे में हैं। पर जमीदारों ने पटवारी के कागज में अपने बच्चों को लिखा दिया है एवं पट्टा भी अपने बच्चों के नाम से कर दिया है। उनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो परती जमीन पर हर तरह से क़ाबिज हैं। इस संशोधन के जरिये से जो प्रवर समिति ने स्वीकार किया है वह बेदखल होने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो बिल का उद्देश्य है जिनका नाम खातों में नहीं है उस संशोधन के जरिये से उनको लाभ नहीं मिलने वाला है । तो सही बात यह है कि यदि माननीय राजस्व मंत्री हमारे संशोधन को स्वीकार करते हैं कि जिनके पास अलाभकर जोत से ज्यादा खेत है और उनकी जमीन पर दूसरे लोग क़ाबिज हैं तो उन लोगों को सीरदार का हक़ मिलना चाहिये । प्रवर समिति ने स्वीकार किया कि असामी का हक़ मिलना चाहिये । असामी का अधिकार दो चार, पांच, साल का हुआ करता है । ऐसे सब लोगों को बेदखल कर दिया जायगा और जो ईडियट हैं, स्त्री हैं, जो खेती नहीं कर सकते हैं उनको खेत इस तरह से दिये जा रहे हैं । इस सरकार को रास्ता बताने वाली वर्किंग कांग्रेस कमेटी ने अभी कुछ महीने पहले प्रस्ताव पास किया था कि काग्रेस की सरकारों को जमींन का बटवारा करना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि सरकार के एक बहुत बड़े यंत्र, हमारे इस प्रदेश के राजस्व मंत्री माननीय चरण सिंह जी जैसे, जो अपने को हम लोगों से सौ गुना आगे बतलाते हैं, ऐसे लोगों को खेत देना चाहते हैं जो सही मानी में खेती नहीं कर सकते । और सही माने में खेती न करके उन खेतों पर क़ब्जा रखना चाहते हैं, जो खेतों पर कभी जा नहीं सकते हों, तो अध्यक्ष महोदय मैं इस संशोधन के जरिये से यह समझता हूं कि यह जो बिल है उसका उद्देश्य सही माने में परिमार्जित होगा और जो प्रवर समिति ने संशोधन स्वीकार किया है उससे इस बिल का उद्देश्य खत्म हो जाता है और सही मानों में जो इस प्रदेश में अन्न उपजाओ आन्दोलन के ऊपर हमारे माननीय राजस्व मंत्री और भारत सरकार करोड़ों रुपया हर साल खर्च किया करती है वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पायेगा । क्यों कि जो खेती नहीं कर पाते हैं, जो पागल हैं, जड़ हैं उसको अगर जमींन दे दी जायगी तो वह उसके लिये बेकार होगी। उसको क्या जरूरत है खेती की ? पागलों के लिये पागल खाने बने हुये हैं । वह पागल खाने में जा कर अपना पेट भर सकते हैं । अगर वैसे लोगों को हजारों एकड़ जमीन दे दी जाय तो हमारी क़ीमती जमीन का एक बड़ा हिस्सा बरबाद हो जायगा और जिस प्रकार हमारी सरकार भिक्षा मांगती है विदेशों से अन्न के लिये, वह काम जारी रहेगा और माननीय राजस्व मंत्री अन्न के उत्पादन में सरकार का हाथ न बंटा कर के अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, मैं समझता हूं कि यह माननीय राजस्व मंत्री के लिये लज्जा की बात होगी । मैं आप के द्वारा फिर राजस्व मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारा संशोधन है उसको स्वीकार करेंगे और सारे प्रदेश में जो इस तरह की जमीन है वह सही मानों में भूमिहीन और किसानों को दी जायगी और उसका सही उपयोग होगा ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जितने मेरे माननीय मित्र इधर से बोले हैं और जितनी बार बोले हैं और जितने संशोधनों पर बोले हैं सब में एक बात जरूर कही गयी

कि अगर हमारे इस संशोधन को नहीं माना गया तो इस विधेयक का जो उद्देश्य है वह खत्म हो जायगा। हर संशोधन के विषय में यही कहा गया । तो इससे तो नतीजा यही निकलता है कि यह बात बढ़ाकर कही जाती है, उस पर एम्फ़ैसिस देने के लिये कही जाती है, मुबालग़े के लिये कही जाती है । कोई भी ऐसा संशोधन नहीं था कि जिसको मैंने अस्वीकार किया है और जिसके अस्वीकार करने से इसकी मंशा खत्म हो जाती है ।

मैंने जो शुरू में एक बात कही थी , उसका किसी ने जवाब नहीं दिया कि ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में जो हमने उसूल माना है, अगर इस संशोधन को मान लेते हैं तो इस संशोधन के विपरीत पड़ता है । किसी ने इस दलील का जवाब नहीं दिया और न जरूरत समझी ।

श्री गेंदा सिंह—मैंने दिया था । मैंने यही अर्ज किया था कि उस पुराने बिल को जमींदारी विनाश क़ानून में कमी दूर करने के लिये लाया गया है ।

श्री चरण सिंह—तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम तो यही कहता है कि ढाई सौ रुपये से बड़ा मालगुजार, या सीर के गैर दख़ोलकार काश्तकारान सीरदार हो जायंगे, हेरीडिटरी टिनेंट्स हो जायंगे और फिर इस क़ानून के अधीन सीरदार हो जायंगे। लेकिन अगर वह जमींदार असमर्थ हैं और छः प्रकार की असमर्थताएं गिनाई हैं, तो उनके काश्तकार सीरदार नहीं हो सकेंगे । यह हमने उसमें माना । तो मतलब यह हुआ कि वह काश्तकार माना जाता था जमींदार, वह काश्तकार दर्ज था, रिकग्नाइज था, तो उसको कोई राइट नहीं मिलता और जो काश्तकार रिकग्नाईज नहीं हैं, जिनके नाम दर्ज नहीं हैं वह बेदख़ल हो जायंगे । तो उस कानून का संशोधन करते हुये और उसके साथ यह चीजी होती तो यह बात समझ में आती कि यह उस कानून को पूरा करते हुये यह संशोधन नहीं किया जाता है । मगर दफ़ा १० का तो संशोधन नहीं किया अगर इस बात को मान लें तो परस्पर विरोध आ सकता है । तो आपने जो जवाब दिया वह जवाब नहीं था।

फिर इसके अलावा यह बात है कि जिसकी वजह से हमने अधिनियम में रखा था ज़मींदारी विनाश में कि वह औरत काबिल नहीं थी खेती करने के, यह वह पागल है या फौज में मुलाज़िम है या नाबालिग़ है तो उससे यह गैर मुताल्लिक बात है । देखना यह है कि वह खेती करने के काबिल था या नहीं था । हम इकोनामिक एक्सप्लायटेशन के ख़िलाफ हैं तो जिन लोगों ने एक्सप्लायटेशन की ग़रज़ से ज़मीन दी ताकि वे लगान उसका खा सकें उनकी मिलकियत का हक़ हमने ले लिया लेकिन जो लोग खेती कर ही नहीं सकते मजबूर थे । वे या तो ज़मीन खाली रखते या अपनी गुजर के लिये जो नाबिलग़ थे या फौज में मुलाजिम थे वे किसी को ज़मीन दे देते । इस लिये उन्होंने एक्सप्लायटेशन के लिये ऐसा नहीं किया बल्कि डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा किया । क्या आप यह चाहते हैं कि जो आदमी फौज में आफ़िसर हो उसकी ज़मीन अगर ३० एकड़ से ज्यादा हो तो उसकी ज़मीन ले ली जाय । जैसा मैंने कहा था कि इच्छा न होते हुये भी कुछ ट्रेसपासर्स को जमीन इसमें मिल जायगी । अगर फौज में हमारा कोई जेनरल है जो कशमीर में देश की सेवा कर रहा है, अगर इत्तिफ़ाक से उसकी ज़मीन ३० एकड़ से ज्यादा है तो वह ज़मीन उस किसान को नहीं मिलेगी जिसके नाम दर्ज है । वह तो दफा १० में आ गयी है और जिनके नाम दर्ज नहीं हैं उसी को मिल जायगी अब मैं क्या करूं ? इसका आप ने जवाब नहीं दिया । मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता । मेरी वे दलीलें कायम हैं । किसी ने उन दलीलों की काट नहीं की है ।

रहा यह है कि कुछ लोगों ने अपनी औरतों के नाम फ़र्जी इन्दराज करा लिया है । ऐसा हो सकता है लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत कम होगा किसी मामले का दुनिया में कोई भी कानून कमप्लीट सल्यूशन नहीं होता है, पार्शल सल्यूशन होता है । जो जनरल केसेज हैं आमतौर पर उन्हीं को यह सैटिस्फ़ाई करता है । हो सकता है कि कोई एक आध केस ऐसा हो

[श्री चरण सिंह]

जिसके लिये यह ठीक न हो लेकिन जैसा संशोधन में है अगर हम वैसा कर देंगे तो बहुत लोगों का नुक्सान हो जायगा । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (क) के अन्त में "असामी" के आगे "अथवा" निकाल कर इस प्रकार वाक्य बढ़ा दिया जाय "होगा बशर्ते कि उक्त भूमिधर सीरदार के पास अलाभकर जोत हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) की पंक्ति २ तथा ४ में "अधिवासी" के स्थान पर "सीरदार" रख दिया जाय । अब यह इस प्रकार होगा---

"यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो तो सीरदार निश्चित दिनांक से होगा और एतत्द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, और वह यथास्थिति उक्त अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा असामी या सीरदार को प्राप्त सभी अधिकारों का अधिकारी होगा और उन पर लगाये गये सभी दायित्व उसके होंगे"

अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन मैंने रखा है वह (ख) से संबंधित है । अलाभकर जोत से ज्यादा जोतने वाले सीरदारों के खेतों पर जो जोत रहे हैं वे इस कानून में असामी लिखे जायेंगे और वे सब बेदखल कर दिये जायंगे। इसी लिये मैं यह संशोधन लाया हूं कि वे अधिवासी न रहें बल्कि उनको सीरदार के हक़ मिलें।

श्री चरण सिंह---जरा अपना संशोधन आप फिर पढ़ दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि उक्त भूमिधर या सीरदार उक्त प्रकार का व्यक्ति न हो तो....।

श्री चरण सिंह---कहां क्या रखना चाहते हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय---उपखंड (ख) में "अधिवासी" की जगह "सीरदार" रखना चाहते हैं। उपखंड (ख) की पंक्ति २ तथा ४ में "अधिवासी" शब्द आया है। उसकी जगह पर "सीरदार" रखना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---"अधिवासी" की जगह पर "सीरदार" रखना चाहते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि अधिवासी और असामी माननीय राजस्व मंत्री के ऐक्ट के जरिये बेदखल कर दिये जायंगे लेकिन जो आदमी खेती पर बहुत दिनों से काबिज है और सीरदार हो गया है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है । मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री हमारे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय सिलेक्ट, कमेटी में भी यह बात कही गई थी और उस समय यह बात साफ़ कर दी गयी थी और सब की समझ में भी आ गई थी लेकिन फिर भी वही राग अलापा जा रहा है। इसमें भूमि की जो परिभाषा की गयी है वह यह है कि "भूमि से आशय ऐसी भूमि से है जिसके उत्तर प्रदेश जमींदारी तथा भूमि व्यवस्था विधेयक की धारा १८२ के अन्तर्गत भूमिधर या सीरदार बन गये हों ।" जो भूमिधर और सीरदार बन गये हैं तो उनका नाम दर्ज करने के लिये यह विधेयक पेश हुआ है । भूमिधर का अधिवासी

हो जायगा और असामी का सीरदार हो जायगा । यदि आपकी बात मान ली जाय तो सीरदार के सीरदार हो जायंगे तो सीरदार की जमीन में दूसरा आदमी सीरदार यह बात बिल्कुल अक्ल के खिलाफ नहीं तो कम से कम कानून के ख़िलाफ तो है ही । सीरदार का सीरदार कैसे हो सकता है । भूमिधर का अधिवासी हो सकता है , सीरदार का अधिवासी हो सकता है । एक तो इस तरह से गलत है ।

दूसरी बात यह है कि अधिवासी जो बनाये जा रहे हैं वह लोग हैं जो टैनेण्ट्स के सब टैनेण्ट्स हैं । हमारे यहां टैनेण्ट्स की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके सब टैनेण्ट्स की तादाद तो बहुत काफ़ी है । एक तो उनको अधिवासी करार दिया है । दूसरे वह लोग हैं जो २५० रुपये के छोटे मालगुजार के काश्तकार हैं उनको सीरदार करार दिया गया है और तीसरे जो २५० रुपये से ऊपर बड़े मालगुजार की सीर में गैर दखली काश्तकार हैं उनको सीरदार करार दिया गया है तो जिनका कल्टीवेटरी पजेशन होगा तो वह लोग इन तीन कैटेगरी में ही आ सकते हैं । २५० रुपये के जो छोटे मालगुजार हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है यानी ३०,००० है और २५० रुपये से बड़े मालगुजार हैं उनकी तादाद बहुत कम है । आप यह चाहते हैं कि काश्तकार के काश्तकार को भी सीरदार करार दिया जाय । आपकी बात यदि मान ली जाय तो सब सीरदार हो जायंगे । एक दर्जा सब टैनेण्ट्स का है वह अधिवासी होंगे और जिनका कोई दर्जा नहीं है वह एक दर्जा और ऊपर सीरदार हो जायंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई से कहता हूं कि यह बात कानून के विरुद्ध पड़ती है ।

अध्यक्ष——मैं समझ नहीं पाया लेकिन जिस तरह का यह है उससे मुझे शक था और यह अवैध सा दिखाई देता है कि वह सीरदार का सीरदार हो । इस तरह का अमेंडमेंट आना, मैं समझता हूं कि अनुचित सा है । माननीय गेंदा सिंह जी कहें या माननीय रामसुन्दर पांडेय कहना चाहें तो वह कह सकते हैं कि यह किस तरह से वैध है ।

श्री गेंदा सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ हद तक यह कहना सही है कि यह अवैधानिक सा लगता है और वह इसलिये अवैधानिक सा लगता है कि इसको माननीय माल मंत्री जी ने यह कहा कि सीरदार की जमीन पर सीरदार कोई कैसे हो सकता है क्योंकि यह चीज अवैधानिक हो जायगी । दूसरे इसके पहले एक संशोधन अस्वीकार किया जा चुका है उसके लिये भी यहां पर सीरदार इस्तेमाल किया गया था कि यदि वह सीरदार बनने का हक़दार है तो सीरदार बनाया जाय । उसको हमने अस्वीकार कर दिया । इसलिये वह अवैधानिक है । इसके साथ-साथ भूमिधर की तरफ जो माननीय माल मंत्री जी ने इशारा किया है . . . . ।

अध्यक्ष——यह संशोधन अवैधानिक है और जब वह अवैधानिक है तो यहां पर नहीं आ सकता है । अगर इसका एक अंश भी अवैधानिक है तो वह भी संशोधन के रूप में यहां पर नहीं आ सकता है । अगर हम उसको मान लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम एक अवैधानिक चीज स्वीकार कर लेते हैं । इसलिये अब मैं इसकी इजाजत नहीं देता कि यह प्रश्न इससे आगे बढ़े ।

श्री गेंदा सिंह——आपने तो इस पर अपना फैसला ही दे दिया ।

अध्यक्ष——जो भूमिधर या अधिवासी हैं उनको ही आप सीरदार करार दे रहे हैं लेकिन सीरदार का तो सीरदार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, यह तो स्पष्ट ही है । ऐसी अवस्था में, मैं समझता हूं कि ऐसे संशोधन पर भवन का समय लेकर विवाद नहीं होना चाहिये ।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि धारा ३ के स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय:——

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि खातेदार यह साबित करदे कि उक्त व्यक्ति का उसकी भूमि पर कब्जा गासिबाना था तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कब्जा अवैध माना जायगा ।"

श्रीमान्, धारा ३ जो इस विधेयक की है वह यह कहती है कि १३५९ फसली में अगर कोई व्यक्ति अपना कब्जा साबित कर दे केवल स्थानीय सबूत पर तो उसका नाम पटवारी के कागजात में दर्ज कर दिया जायगा और धारा ४ जो इस विधेयक की है वह यह है कि कब्जेदार की इन्क्वायरी होगी और कैसे वह मजिस्ट्रेट इसका नाम पेपर्स में दर्ज करेगा। श्रीमन्, यहां पर इस संशोधन को रखते हुये मैं यह निवेदन करूंगा कि केवल प्रश्न इतना है जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने स्वयं कहा कि ९९ वह गरीब और कमजोर काश्तकारों का भला होते हुये कहीं ऐसा न हो कि एक गासिबाना कब्जेदार के खिलाफ हम कोई ऐसी बात करें जिससे उन ९९ का नुक्सान हो जाय। जहां पर किसी कानून या वैधानिक रूप से ९९ लोगों का फायदा होता हो और अगर एक कोई गासिबाना कब्जेदार को मौका मिल जाय, जहां तक ९९ ईमान्दार आदमियों का फायदा होता हो और एक चोर का फायदा हो जाय। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं परन्तु सवाल तो यह है कि अगर एक चोर भी रोका जाय और ९९ ईमानदार आदमी हैं या यहां पर ९९ कमजोर काश्तकार हैं उनका कोई भी नुक्सान न हो उनके किसी अधिकार पर कोई कुठाराघात न होता हो परन्तु चोर रोका जाता हो · · · · · ।

अध्यक्ष—क्या आप देर तक अपने भाषण को जारी रखेंगे ?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—जी हां।

अध्यक्ष —तो आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ,
१७ सितम्बर, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये १० सितम्बर, १९५२ के अन्न मंत्री के स्थगित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

साफ्टकोक के उन सात कोटा होल्डरों की सूची जिन्हें द्वितीय तिमाही में बताया हुआ १० वैगन कोटा दिया गया :—

१	सर्व श्री तारा चन्द्र ऐण्ड ब्रादर्स	२ वैगन
२	,, बद्री प्रसाद टंडन	२ वैगन
३	,, सूरजभान ऐण्ड कंपनी	२ वैगन
४	,, रामभरोसे रामेश्वर प्रसाद	१ वैगन
५	,, रामा ब्रादर्स	१ वैगन
६	,, वासीमल बाबूलाल	१ वैगन
७	,, ए स० गोबिन्द प्रसाद अग्रवाल	१ वैगन

संसद भवन

नत्थी 'ख'

(देखिये १० सितम्बर, १९५२ के अन्न मंत्री के स्थगित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

नियुक्त साफटकोक के कोटा होल्डरों की संशोधित सूची जिन्हें पूर्व कोटा होल्डरों के स्थान पर करने के लिये जिलाधीश ने सिफारिश की है।

१.	श्रीमती प्रेमलता धाकरे, राजामंडी आगरा	१ वैगन	बेलनगंज, आगरा
२.	सर्वश्री ब्रिजपाल सिंह, दिल्ली गेट, आगरा	१ वैगन	,, ,,
३.	,, इक़बाल नाथ कन्हैयालाल धुलियागंज आगरा	१ वैगन	,, ,,
४.	श्री बद्रीप्रसाद टंडन ऐण्ड सन्स चिली ईन्ट रोड, आगरा	१ वैगन	,, ,,
५.	सर्वश्री राम भरोसे रामेश्वर प्रसाद, नूरी गेट आगरा	१ वैगन	,, ,,
६.	श्री बाल मुकन्द मुन्जी, लोहामंडी, आगरा	१ वैगन	,, ,,
७.	,, लाल चन्द्र नैयर, बाग मुज्जफर खां, आगरा	१ वैगन	,, ,,
८.	सर्वश्री हीरालाल उलफत राय, सिंह गली आगरा	१ वैगन	,, ,,
९.	,, जयगोपाल त्यागी, कोतला रोड, फिरोज़ाबाद	१ वैगन	फिरोज़ाबाद
१०.	श्री शांती लाल शर्मा, स्टेशन रोड, फिरोज़ाबाद	१ वैगन	फिरोज़ाबाद

नत्थी 'ग'

(देखिये १० सितम्बर, १९५२ के अन्न मंत्री के स्थगित तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

Copy of G. O. no. 3328/V—184-1950, dated July 17, 1951, from the Deputy Secretary to Government of Uttar Pradesh, Medical (B) Department Lucknow to the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, Lucknow.

Subject :—Concession to Political sufferers during their stay at State hospitals or Sanatoria.

I am directed to refer to your letter no. X. J. F. 144-G/47—30539, dated January 20, 1951, on the subject mentioned above, and to convey the following orders of the Governor. These orders supersede G. O. no. 4140B/V—184-50, dated November 15, 1950.

(*i*) If it becomes necessary for a political sufferer to have a prolonged stay in a State Sanatorium or hospital for treatment and he cannot afford to do so at his own expenses he shall be given during his stay there all concessions admissible under the rules of the hospital.

(*ii*) In cases where any special concession which is not admissible under the Hospital Rules is asked for by the political sufferer, or is proposed to be allowed to him, a reference should be made to Government with your comments before allowing the concession.

(*iii*) The question whether a political sufferer can or cannot afford the cost of his treatment at the hospital should be decided by you on the recommendation of the Hospital Superintendent who will make enquiries from the District Magistrate concerned, unless any special order about this has already been received by you from Government.

(*iv*) It should be impressed on Hospital Superintendents that political sufferers seeking admission to or staying at hospitals should be treated with due consideration and sympathy.

(*v*) Their cases needing your orders or orders of Government should be given priority.

2. I am to add that for purposes of the orders contained in the preceding sub-paras (i) to (V) of para 1, "political sufferer "means a person who has under-gone imprisonment or detention for not less than six months in the cause of political advancement of the country or a person who has devoted the best part of his life to the struggle for independance and has made tangible sacrifices for the national cause and has now become old or infirm.

3. These concessions will be allowed to only those "Political Sufferers" who, in terms of para 2 above, produce a certificate from the District Magistrate of the District where they reside.

No. 332(i)B/V-184/1950

Copy forwarded for information to:—
(1) Home Department (Police-B)
(2) Information Directorate
in continuation of G. E. no. 4140(i)/(ii)B/V--184-50, dated November 15, 1951.

By order,
(Sd) A. P. MISRA,
Deputy Secertary

नत्थी 'घ'

(देखये १७ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४३ व ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६पर)

फिरोज़ाबाद के भट्ठेवालों की सूची जिनको सन् १९५२ ई० की प्रथम छमाही में कोयले के चूरे का कोटा स्वीकार किया गया —

१	सर्वश्री फूल चन्द पुत्तूमल	६ वैगन
२	„ श्री दयाल त्रिलोक चन्द	६ „
३	„ श्री कंजी लाल छोटे लाल	६ „
४	„ श्री गोविन्द ब्रिक वर्क्स	४ „
५	„ श्री पोकपाल भगवत प्रसाद	८ „
६	„ श्री रामेश्वर दयाल गंगा सरन	६ „
७	„ श्री राम स्वरूप शिव चरण	४ „
८	„ श्री दाऊ दयाल मित्तल	४ „
९	„ श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज	६ „
१०	श्री मुरारी लाल अग्रवाल	६ „
**११	श्री मूल चन्द्र अग्रवाल	६ „
१२	„ श्याम लाल अग्रवाल	४ „
**१३	सर्वश्री किशन लाल बांके लाल	४ „
१४	श्री तुला बक्स हजारी बक्स	४ „
१५	„ श्याम लाल ऐण्ड सन्स	४ „
१६	„ रामस्वरूप करन सिंह	४ „
**१७	„ अफगान ब्रिक किल्न	४ „
**१८	„ श्री हर प्रदास चौबे	४ „
१९	सर्वश्री रामस्वरूप अग्रवाल	४ „
२०	„ गया प्रसाद हरी ओम प्रकाश	४ „
२१	„ स्टार ग्लास वर्क्स	४ „
२२	श्री एस० एफ० हसन	६ „
**२३	„ फूल चन्द अग्रवाल	६ „
२४	„ बांके लाल अग्रवाल	६ „
**२५	सर्वश्री सत्य प्रकाश ऐण्ड कम्पनी	६ „
**२६	श्री ओम प्रकाश राधे श्याम	६ „
**२७	„ चौबे ऐण्ड सन्स	६ „
	जोड़	१३८ वैगन

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३०५ पर)

१८९० का ऐक्ट २।

चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२।

चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में, उसकी उत्तर-प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में, कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधन करने के निमित्त

विधेयक

भूमिका।

चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९० में, उसकी उत्तर-प्रदेश में प्रवृति के संबंध में कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो आगे चलकर प्रतीत होंगे, संशोधन करना आवश्यक है,

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिमियम चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स (उत्तर प्रदेशीय संशोधन) अधिनियम, १९५२, कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१८९० के ऐक्ट २ में नई धारा ६–ए का बढ़ाया जाना।

२—चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स ऐक्ट, १८९०, की धारा ६ के पश्चात निम्नलिखित धारा (6–A) बढ़ाई जायगी।

"6-A. (1) If the State Government is satisfied upon representation made or otherwise that, in any case, where any property has already vested in the Treasurer of Charitable Endowments under section 4 and a scheme has been settled under section 5 that the person or persons acting in the administration thereof are wasting or mal-administering the same, it may by notice require the person or persons to show cause why the scheme setted for administration be not modified or substituted by another scheme.

(2) The notice under sub-section (1) shall be served in such manner as may be specified.

(3) Where the person or persons served with the notice fail o show cause wthin the time allowed or the Government is satisfied after considering their explanation, if any, and making such enquiry as it may deem necessary that the property is being wasted or mal-administered it may, notwithstanding anyth ing contained in section 5 or 6, modify the sch eme or substitute another scheme in its place."

उद्देश्य और कारण

सरकार का ध्यान हाल में इस ओर आकृष्ट हुआ है कि चैरीटेबिल इण्डाउमेंट्स ऐक्ट, २, १८९० के अन्तर्गत निश्चित योजना के अनुसार कार्य करने के लिये स्कूल और कालेजों के प्रबन्ध में कुप्रशासन हो रहा है और सम्पत्ति का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जब तक कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से इस संबंध में सहमति न ले ली जाय या उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त न हो

जाय उस ट्रस्ट की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन करना या उसके स्थान में कोई दूसरी योजना रखना संभव नहीं है। इसका परिणाम यह है कि कुप्रबन्ध की एक भारी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतएव यह आवश्यक है कि चैरिटेबिल इण्डाउमेंट्स ऐक्ट २, १८९० में संशोधन किया जाय जिससे यदि आवश्यक हो तो उक्त ऐक्ट के उपबन्धों के अधीन पहले से निश्चित प्रबन्ध की योजना में संशोधन किया जा सके या उसके स्थान में दूसरी योजना रक्खी जा सके और इस प्रकार स्कूल और कालेजों को कुप्रबन्ध से बचाया जा सके और सम्पत्ति को भी दुरुपयोग तथा कुप्रशासन से सुरक्षित किया जा सके।

हर गोबिन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—९४ एल० ए०—१९५२—८५०